

**Centre for Distance & Online Education
(CDOE)**

**Bachelor of Arts
(SEM. IV)**

SOCL 202 (Opt. II)

**SOCIOLOGY
(Social Problems in India)**



**Guru Jambheshwar University of Science &
Technology, HISAR-125001**

CONTENTS

No.	Title	Author	Updation	Page
1.	सामाजिक समस्याएँ-I (Social Problems-I)	Dr. Shakuntla Devi	Dr. Shakuntla Devi	3
2.	सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का महत्व (Importance of study of Social Problems)	Dr. Shakuntla Devi	Dr. Shakuntla Devi	33
3.	सामाजिक समस्याओं के अध्ययन-II (Study of Different Social Problems-II)	Dr. Shakuntla Devi	Dr. Shakuntla Devi	58
4.	संरचनात्मक मुद्दे और लैंगिक असमानता (Structuctural Issues and Gender Inequality)	Dr. Shakuntla Devi	Dr. Shakuntla Devi	84
5.	अल्पसंख्यक समुदायों का विकास (Development of Minorities)	Dr. Shakuntla Devi	Dr. Shakuntla Devi	110
6.	सामाजिक अव्यवस्था) Social Disorganization)	Dr. Shakuntla Devi	Dr. Shakuntla Devi	128
7.	सुरक्षात्मक उपाय: महिला एवं बाल विकास (Protective Measures:Women and Child Welfare)	Dr. Shakuntla Devi	Dr. Shakuntla Devi	144
8.	एड्स/ एचआईवी और निदान (AIDS / HIV and Solutions)	Dr. Shakuntla Devi	Dr. Shakuntla Devi	171

Updated By: Dr. Shakuntla Devi, Programme Coordinator, DDE, GJUST, Hisar

Subject : Sociology (Social Problems in India)	
Course Code : SOCL 202	Author : Dr. Shakuntla Devi
Lesson No. : 01	Updated By: self
सामाजिक समस्याएँ –I (Social Problems-I)	

अध्याय की संरचना

1.0 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

1.2 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

1-2-1- सामाजिक समस्याओं की अवधारणा (Concept of Social Problems)

1.2.2 सामाजिक समस्या का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definitions of Social Problems)

1.2.3 सामाजिक समस्याओं के प्रकार (Types of Social Problems)

1.3 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

1.3.1 सिलेबस के अनुसार समस्याओं की व्याख्या

- i. गरीबी(Poverty)
- ii. बेरोज़गारी (Unemployment)
- iii. भ्रष्टाचार (Corruption)

1.3.2 अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याएँ (Other Important Social Problems)

1.4 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)**1.5 सारांश (Summary)****1.6 सूचक शब्द (Keywords)****1.7 स्व-मूल्यांकन हेतु प्रश्न (Self-Assessment Questions) (SAQs)****1.8 अपनी प्रगति की जाँच करने के लिए उत्तर देखें (Answers to check your Progress)****1.9 सन्दर्भ ग्रन्थ/निर्देशित पुस्तकें (References/ Suggested Readings)****1.0 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)**

इस पाठ की पढ़ाई करने के बाद आप निम्न में सक्षम हो जायेंगे और आप कर पाओ गे:--

- सामाजिक समस्याओं के बारे में जानेंगे ।
- भारतीय समाज की समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे ।
- विभिन्न सामाजिक समस्याओं के विषय में पढ़ेंगे ।
- **vi;k;** के विशेष उद्देश्यों से परिचित होंगे ।
- सामाजिक समस्याओं का निराकरण को समझेंगे और चर्चा करेंगे ।

1.1 ifjp; (Introduction)

भारतीय समाज अति प्राचीन है, जिसकी विशेषताएँ वैदिक साहित्य में वर्णित है । उस काल के समाज का एक निश्चित स्वरूप था, उसकी कुछ मूल विशेषताएँ रहीं । समय-समय पर इसमें अन्य समाजों के लोग भी मिलते चले गए ।

इससे भारतीय समाज के बाह्य आकार (External size) में सामान्य परिवर्तन आने लगा, जो वर्ण-विभाजन में देखा जा सकता है । भारत में आगंतुक जातियों को अपने में लीन करनेवाला भारतीय समाज इस्लाम के आते-

आते इतना संकुचित हो गया कि उसका एक अंग 'शूद्र' या 'अस्पृश्य' कहलाया, जिसे आगत (अचानक या बताकर आ पहुँचने वाला) इस्लाम ने अपने में रख लिया। यह भारतीय समाज का एक मोड़ कहा जा सकता है।

वर्ण-व्यवस्था की प्रारंभिक दिशा में सभी वर्णों में रोटी-बेटी का संबंध था। वेदों में विराट् पुरुष के वर्णन-प्रसंग में कहा गया है कि ब्राह्मण उसके मुख, क्षत्रिय उसकी बाँहें, वैश्य उसके मध्य भाग और शूद्र उसके चरण हैं। कर्म के अनुसार, यह विभाजन बाद में जन्म के अनुसार होने लगा और अपने ही वर्ण में रोटी-बेटी की कट्टरता दृढमूल हो गई तथा अस्पृश्यता एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गई। कालांतर में प्रजातांत्रिक शासन-पद्धतियाँ अस्तित्व में आईं और अब साम्यवादी विचारधारा के अनुसार जातिहीन, वर्गहीन समाज की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। आज हमारी सामाजिक समस्याओं में जातिवाद, छुआछूत, दहेज, अंधविश्वास, बलात्कार, बाल शोषण, बेगार (मूल्य चुकाए बिना श्रम), अशिक्षा आदि समस्याएँ विकराल बनी हुई हैं।

जातिवाद हिंदू समाज की कट्टरता की देन है। किसी भी अपराध के कारण एक बार जो जाति से बहिष्कृत होता है, उसके लिए समाज के द्वारा सदा के लिए बंद हो जाने से वर्णों में सैकड़ों मध्यवर्ती अंतर्गत हो गए; अनेक सवर्ण-अवर्ण जातियाँ खड़ी हुईं।

भारत में प्रायः पैतृक उत्तराधिकार का नियम होने के कारण विवाहिता स्त्री और उसकी संतानें भी पति की जाति की मानी जाने लगीं। इस प्रकार शूद्रों की संख्या बढ़ती गई। स्वतंत्रता संग्राम के समय से हरिजनों की दशा सुधारने के यत्न शुरू हुए। स्वतंत्र भारत के संविधान में भी इस संबंध में काफी-कुछ वर्णित है।

संविधान में छुआछूत, बेगार, बाल शोषण आदि को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। इन बुराइयों से निजात दिलाने के लिए दलित तथा दबे-कुचलों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। जातीय बंधनों की समस्या जितनी हिंदू धर्म में है उतनी अन्य धर्मों में नहीं है।

सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए समाज के हर वर्ग को उन्नति करने का समान अवसर मिलना चाहिए, सबकी शिक्षा-व्यवस्था समान स्तर पर होनी चाहिए, पिछड़े वर्ग की आर्थिक दशा को सुधारने के उपाय होने चाहिए ।

जाति-भेद मिटाने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा सकता है । नारी समाज को शिक्षित करके स्वावलंबी बनाने से दहेज प्रथा को रोका जा सकता है । भारतीय जीवन की मूल प्रवृत्ति भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों के समन्वय पर आधारित है ।

यही कल्याणकारी मार्ग भी है । जो राष्ट्र अपनी मान्यताओं पर ध्यान न देकर दूसरों का अंधानुकरण करता है, वह कभी अपनी सामाजिक समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता ।

- बेरोजगारी – आज हमारे देश के सामने कई समस्याएं हैं। उनमें से बड़ी बेरोजगारी की समस्या है । बेरोजगारी के कारण देश के युवकों-युवतियों में भारी असंतोष और बेचैनी पाई जाती है। देश की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। यही नहीं, जनसंख्या पर नियंत्रण भी इस समाधान में बड़ी सहायता कर सकती हैं।
- भ्रष्टाचार– भ्रष्टाचार की समस्या भी बड़ी है। भ्रष्टाचार मानव को अपने पंजे में दबोच रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज में पुनः नैतिक मूल्यों की स्थापना की जानी होगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दण्ड-व्यवस्था भी स्थापित होनी चाहिए।
- महंगाई – महंगाई ने भी आम आदमी की कमर तोड़ दी है। काला-बाजारी तथा जमाखोरी से महंगाई बढ़ती है। पॉकेटमारी, चोरी तथा डकैती जैसी घटनाओं में वृद्धि का कारण नैतिक मूल्यों में गिरावट ही है जो महंगाई से पनपती है। तमाम समस्याओं के बावजूद कई दिशाओं में तरक्की भी की गयी है। आज का युग विज्ञान के चमत्कारी आविष्कारों का युग माना जाता है।

1.2 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

1.2.1 सामाजिक समस्याओं की अवधारणा (Concept of Social Problems)

- i. भारतीय समाज को कई मुद्दों के साथ जोड़ दिया जाता है जो सामाजिक समस्याओं का रूप ले लेती हैं। समाजशास्त्री फुल्लर और मेयर्स के अनुसार “जब समाज के अधिकांश सदस्य किसी विशिष्ट दशा एवं व्यवहार प्रतिमानों को अवांछित आपत्तिजनक मान लेते हैं तब उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है।
- ii. एक सामाजिक समस्या, सामान्य रूप से, ऐसी स्थिति है जो एक समाज के संतुलन को बाधित करती है। अगर हम मानव समाज के इतिहास पर दृष्टि डालें तो यह विभिन्न तरह की समस्याओं और चुनौतियों का इतिहास रहा है।
- iii. समाज चाहे शिक्षित ही क्यों न हो, सभ्य ही क्यों न हो, समस्याएं हर जगह व्याप्त हैं। यही समस्याएं सामाजिक विघटन का कारण हैं। सामाजिक समस्या को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्री ग्रीन ने कहा है “सामाजिक समस्या ऐसी परिस्थितियों का पुंज है जिसे समाज के बहुसंख्यक अथवा पर्याप्त अल्पसंख्यक द्वारा नैतिक तौर पर गलत समझा जा सकता है।”

1-2-2 सामाजिक समस्या का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Social Problems)

कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार, नकारात्मक स्थिति और व्यवहार एक सामाजिक समस्या नहीं है, जो इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, जब तक कि उन्हें नीति निर्माताओं, बड़ी संख्या में आम नागरिकों या हमारे समाज के अन्य वर्गों द्वारा मान्यता प्राप्त न हो; इन समाजशास्त्रियों का कहना है कि 1970 के दशक के पहले बलात्कार और यौन उत्पीड़न सामाजिक समस्या नहीं थी क्योंकि हमारे समाज ने पूरी तरह से ध्यान दिया। अन्य समाजशास्त्रियों का कहना है कि नकारात्मक परिस्थितियों और व्यवहारों को एक सामाजिक समस्या माना जाना चाहिए, भले ही वे बहुत कम या कोई ध्यान न दें; इन समाजशास्त्रियों का कहना है कि 1970 के पहले बलात्कार और यौन हमले एक सामाजिक समस्या थी।

- एक सामाजिक समस्या किसी भी ऐसी स्थिति या व्यवहार है जिसका बड़ी संख्या में लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होता है और जिसे आमतौर पर एक ऐसी स्थिति या व्यवहार के रूप में पहचाना जाता है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता होती है। इस परिभाषा में एक उद्देश्य घटक और एक व्यक्तिपरक घटक दोनों हैं।
- शब्द "सामाजिक समस्या" आमतौर पर उन सामाजिक स्थितियों को संदर्भित करने के लिए लिया जाता है जो समाज को बाधित करती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं- अपराध, जातिवाद और इसी तरह के व्यवहार हैं। यह इस बात पर केंद्रित है कि लोगों को कैसे और क्यों समझ में आता है कि कुछ शर्तों को सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात् वे सामाजिक समस्याओं का सामाजिक निर्माण कैसे करते हैं।

1.2.3 सामाजिक समस्याओं के प्रकार (Types of Social Problems)

सामाजिक समस्याएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। हालाँकि, इन विविध सामाजिक समस्याओं को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है:--



- i. आर्थिक – ये समस्याएं आर्थिक वितरण में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती हैं जैसे गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि।
- ii. सांस्कृतिक – ऐसी समस्याएं जो किसी राष्ट्र या समाज की स्थापित मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं, कानूनों और भाषाओं से उत्पन्न होती हैं जैसे कि दहेज, बाल विवाह, किशोर-अपराध आदि।
- iii. जैविक – प्राकृतिक आपदाओं, संक्रामक रोगों, अकाल आदि के कारण होने वाली जैविक समस्याएं हैं।
- iv. मनोवैज्ञानिक – बीमार मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य से उत्पन्न समस्याएं इस श्रेणी में आती हैं।

1.2.4 भारत में विभिन्न सामाजिक समस्याएं (Social Problems in India)

आज हमारे समाज में जो सामाजिक बुराईयां व्याप्त हैं, उन्हें शायद ही कभी सूचीबद्ध किया जा सके। उनमें से प्रमुख हैं- किशोर-अपराध, बाल-शोषण, धोखा, ड्रग-पेडलिंग, मुद्रा-तस्करी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार, सार्वजनिक निधियों का गबन, छात्र और युवा अशांति, सांस्कृतिक हिंसा, धार्मिक-असहिष्णुता, सीमा विवाद, बेईमानी, चुनाव में धांधली, कर्तव्य के प्रति कमिटमेंट न देना, परीक्षा में गड़बड़ी, अनुशासनहीनता, अन्य प्रजातियों के लिए अनादर, सकल आर्थिक असमानता, गरीबी, बीमारी और भूख, व्यापक-अशिक्षा, रोजगार के अवसरों की कमी, अन्याय, अधिकार का दुरुपयोग, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, जनता का शोषण, भेदभाव और जातीय-भाषावाद, जानवरों के साथ दुर्यवहार, मानव-क्षमता की कमी, गृह-युद्ध, सूखा, मानव-तस्करी और बाल-श्रम आदि। उनमें से जो प्रमुख हैं, इस प्रकार निम्नलिखित हैं :--

- निर्धनता
 - बेरोज़गारी
 - जनसंख्या विस्फोट
 - वृद्धावस्था और वृद्धों से दुर्व्यवहार
 - सांप्रदायिकता, धर्म-निरपेक्षता तथा क्षेत्रीयकरण
 - पिछड़ी जातियां, जनजातियां और वर्ग
 - युवा-असन्तोष और आन्दोलन
 - बाल-दुर्व्यवहार और बाल-श्रम
 - महिलाओं के विरुद्ध हिंसा
 - निरक्षरता
 - नगरीकरण
 - वैश्वीकरण तथा उपभोक्तावाद
 - अपराध और अपराधी
 - बाल अपराध
 - घरेलू हिंसा
 - मद्यपान
 - मादक पदार्थों का दुरुपयोग एवं व्यसन
 - एड्स
 - आतंकवाद
 - भ्रष्टाचार

- जनजातीय असंतोष
- बंधुआ मजदूर
- कृषि-संकट एवं किसानों की आत्महत्या
- कालाधन

1.3 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

1.3.1 सिलेबस के अनुसार समस्याओं की व्याख्या (Social Problems according to Syllabus)

सिलेबस के अनुसार कुछ समस्याओं की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से है:-

i) गरीबी (Poverty)

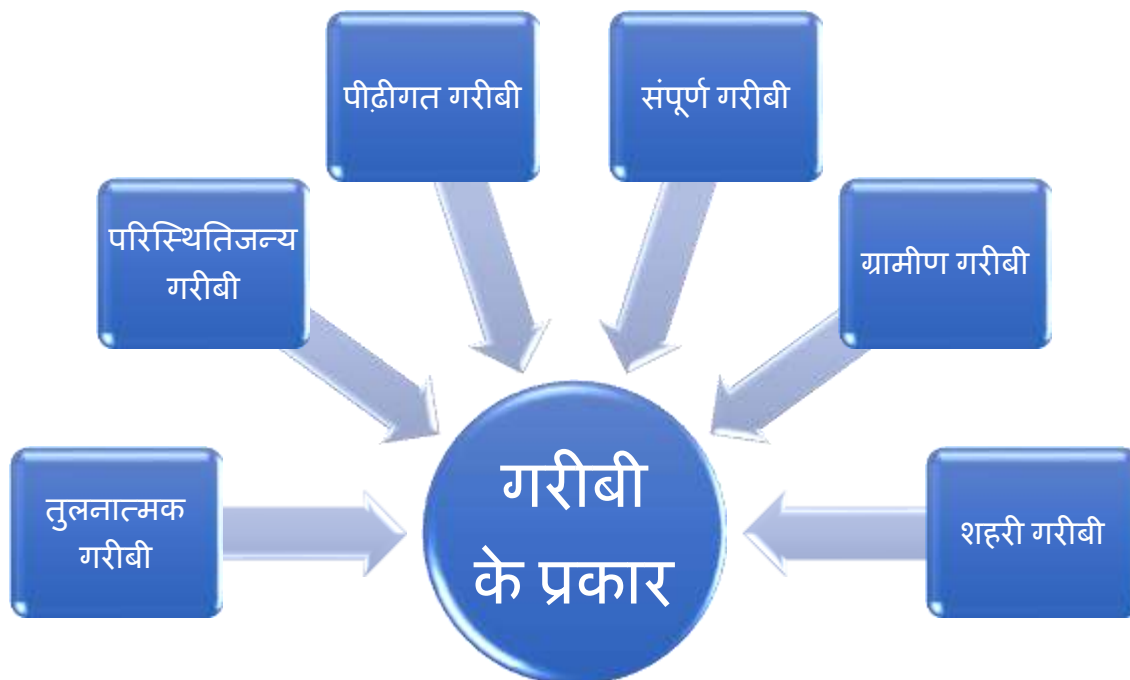
गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक घर को जीवित रहने के लिए भोजन, कपड़े और आश्रय आदि जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। भारत में गरीबी व्यापक स्थिति है। स्वतंत्रता के बाद से, गरीबी मुख्य चिंता बनी हुई है। यह इक्कीसवीं सदी है और गरीबी अभी भी देश में बनी हुई है।

यद्यपि गरीबी मानव इतिहास के रूप में पुरानी घटना है लेकिन समय के साथ इसका महत्व बदल गया है। आर्थिक उत्पादन के पारंपरिक (यानी, गैर-औद्योगिक) मोड के तहत, व्यापक गरीबी को अपरिहार्य के रूप में स्वीकार किया गया था। सामान और सेवाओं का कुल उत्पादन, भले ही समान रूप से वितरित किया गया हो, फिर भी पूरी आबादी को प्रचलित मानकों के अनुसार जीवन यापन करने का एक आरामदायक मानक देने के लिए अपर्याप्त होगा। हालांकि आर्थिक उत्पादकता के साथ जो औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आउटपुट हुआ, यह दुनिया के सबसे अधिक औद्योगिक देशों में मामला बन गया। यदि आवश्यक पुनर्वितरण आउटपुट को प्रभावित किए बिना व्यवस्थित किया जा सकता तो राष्ट्रीय आउटपुट पूरी आबादी को एक आरामदायक स्थिति में ले जाने के लिए पर्याप्त था।

समय या अवधि (लंबे समय तक या अल्पकालिक या चक्रीय) और वितरण (व्यापक, केंद्रित, व्यक्तिगत) जैसे कारकों के आधार पर कई प्रकार की गरीबी को अलग किया जा सकता है।

गरीबी की अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Poverty)

गरीबी एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या समुदाय के पास वित्तीय संसाधनों और जीवन स्तर के न्यूनतम स्तर के लिए आवश्यक धन की कमी होती है। गरीबी का मतलब है कि रोजगार से आय का स्तर इतना कम है कि बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है



गरीबी का समाधान (Solutions to Poverty)

भारत एक स्थिर और जीडीपी विकास दर दिखा रहा है, जिसने दुनिया भर के निवेशकों को प्रभावित किया है। हालाँकि, अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में देश की अक्षमता के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी गरीबी से पीड़ित हैं। निस्संदेह, यह एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है जिसे तत्काल संबोधित किया जाना चाहिए।

मुद्दे पर बहुत सारे विविध दृष्टिकोण हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने सुझाव दिया है कि सरकार को गरीबी सहायता कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए। कई अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाकर आय सृजन की दिशा में काम करना चाहिए। इसके अलावा, छोटे गाँवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की काउंसलिंग की जानी चाहिए और उनके पैसे को सही ढंग से बचाने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

शिक्षा

भारत में गरीबी के पीछे निरक्षरता सबसे बड़ा कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों, गाँवों और छोटे शहरों में रहने वाले अनपढ़ लोग बेरोजगारी की सबसे ज्यादा चपेट में हैं। ग्रामीण आबादी के 51% से अधिक लोग आकस्मिक श्रम से कमाते हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेतों पर काम करता है और जीवन यापन करता है। उनकी कृषि उत्पादकता और समग्र आय बढ़ाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षित लोग नई नौकरियाँ भी पा सकते हैं, जो उन्हें गरीबी दूर करने में मदद कर सकते हैं। बालिका-शिक्षा भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षित बालिकाएँ कुशल श्रमिकों में विकसित हो सकती हैं और अच्छी नौकरी पा सकती हैं। कामकाजी महिलाएँ परिवारों को कमा कर पाल सकती हैं और उनका समर्थन कर सकती हैं, इस प्रकार अपने बच्चों को बेहतर जीवन स्तर दे सकती हैं।

आधारभूत संरचना पर निवेश

स्कूलों, अस्पतालों, शौचालयों, बिजली और गैर-प्रदूषणकारी हीटिंग विकल्पों जैसे बुनियादी ढांचे की कमी से भारत का गरीबी संकट भी पैदा होता है। सरकार को देश के बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, जो एक लंबा रास्ता तय कर सकता है और उद्यम विकास और आय सृजन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में मदद कर सकता है।

कौशल विकास

आज अधिकांश उद्योग कुशल मजदूरों और श्रमिकों की तलाश करते हैं। लोगों को बुनियादी कौशल सीखने के लिए सरकार को नए कार्यक्रमों की शुरुआत करनी चाहिए जो उन्हें रोजगार खोजने में मदद कर सकें। देश से गरीबी उन्मूलन के लिए व्यावसायिक और तकनीकी कौशल का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

देश के लाखों घरों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए ये सामाजिक-आर्थिक कदम उठाए जाने चाहिए। भारत के बच्चे गरीबी संकट के कारण सबसे अधिक पीड़ित हैं जो हजारों छोटे शहरों और गांवों को प्रभावित करता है। शिक्षा और विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण उनके भविष्य से अक्सर समझौता किया जाता है। प्रतिष्ठित एनजीओ 'सेव द चिल्ड्रन' देश के वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। एनजीओ हजारों भारतीय बच्चों के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम लागू कर रहा है, ताकि उन्हें बेहतर भविष्य मिल सके। आज कुछ दान करें और समाज के लिए अपना थोड़ा सा करें। यह न केवल देश को समग्र रूप से मदद करेगा, बल्कि आपको बहुत खुशी और संतुष्टि भी देगा।

ii) बेरोजगारी (Unemployment)

लोगों के पास हाथ है, पर काम नहीं; प्रशिक्षण है, पर नौकरी नहीं; योजनाएँ और उत्साह है, पर अवसर नहीं है बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है इससे न केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि बेरोजगारी पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। भारत में सवा अरब लोग रहते हैं, यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बहुत ही विकराल रूप धारण करे हुए हैं बेरोजगारी की समस्या राष्ट्र के मस्तक पर कलंक की टिके के समान है बेरोजगार होने से तात्पर्य काबिलियत तथा शिक्षा से पूर्ण होने के बावजूद भी रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ होना होता है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब काम की कमी होती है और काम करने वालों की अधिकता होती है।

बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाज़ार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग-अलग होती है जैसे- अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो उसे बेरोजगार माना जाता है

हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या में निरंतर वृद्धि हो रही है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा बेरोजगार युवावर्ग है। हमारे आसपास इतने युवक हैं जिन्होंने ऊँची-ऊँची डीग्रीयाँ हासिल की हैं लेकिन वे आज भी रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। नौकरी की तलाश में लोग प्रतिदिन दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं तथा अखबारों और इन्टरनेट में दिए गए विज्ञापनों द्वारा अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी की खोज में लगे रहते हैं, परन्तु उन्हें रोजगार की प्राप्ति नहीं होती।

- बेरोजगारी के प्रकार (Types of Unemployment)

बेरोजगारी के भी प्रकार होते हैं जिसमें शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी और प्रच्छन्न (छिपा हुआ) बेरोजगारी जैसे कई सारी चीजें शामिल हैं। अशिक्षित बेरोजगारी के सम्मुख यह समस्या विकराल रूप में नहीं होती है। क्योंकि ये लोग किसी न किसी रूप से छोटे-छोटे काम धंधे कर अपनी दो वक़्त की रोटी का इन्तजाम कर लेते हैं लेकिन शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं-- जो शिक्षित बेरोजगार होते हैं वो पढ़े-लिखे होते हैं, ये लोग अशिक्षित व्यक्तियों की तरह छोटे-छोटे काम करने के लिए कभी राजी नहीं होते क्योंकि ये लोग मेहनत-मजदूरी करने में अपनी योग्यता और विद्या का अपमान समझते हैं जो कि सही भी है आखिर इतने पढ़ने-लिखने का फायदा ही क्या जब हमें मजदूरों की नौकरी ही करनी है।

ऐसे बेरोजगार लोगों की वास्तविक संख्या ज्ञात से कहीं अधिक होती है, क्योंकि जो सरकारी आंकड़ों में गिने जाते हैं, उनकी गिनती तो हो जाती है, लेकिन जिनके नाम रोजगार कार्यालय में अंकित नहीं होते हैं,

वे इस गिनती में नहीं आ पाते हैं। बेकार व्यक्तियों की संख्या प्रतिवर्ष लाखों में बढ़ जाती है। एक अनुमान के अनुसार इस वक़्त हमारे देश में लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं।

- i. मौसमी बेरोजगारी- जैसा की शब्द से ही स्पष्ट है, यह उस तरह की बेरोजगारी का प्रकार है जिसमें वर्ष के कुछ समय में ही काम मिलता है मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी से प्रभावित उद्योगों में कृषि उद्योग, रिसॉर्ट्स और बर्फ़ कारखाने आदि शामिल हैं। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बोवाई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं
- ii. प्रछन्न बेरोजगारी- प्रछन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है अर्थात् यदि इन लोगों को उस काम में से हटा भी लिया जाये तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा।
- iii. अल्प बेरोजगारी- जब कोई व्यक्ति जितने समय काम कर सकता है उससे कम समय उसे काम मिलता है या कह सकते हैं कि उसे अपनी क्षमता से कम काम मिलता है, उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति वर्ष में कुछ समय बेरोजगार रहता है।

इसके अलावा कुछ ऐसे बेरोजगार भी होते हैं जिनको मजदूरी भी ठीक मिल सकती है लेकिन फिर भी ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं जैसे- भिखारी, साधू इत्यादि

• बेरोजगारी के कारण (Causes of Unemployment)

बेरोजगारी की बढ़ती समस्या निरंतर हमारी प्रगति, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है देश के बेरोजगारी के अनेक कारण निम्नलिखित हैं:--

- i. बढ़ती हुई जनसंख्या

भारत में जनसंख्या का विस्फोट जितना जबरदस्त है, कामों के अवसरों में विकास उतना तीव्र नहीं है हर वर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारों की कतार को और अधिक लम्बा कर जाती है जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात की वजह से रोजगारों की कमी और अवसर में बहुत कम वृद्धि हो रही है इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

ii. यंत्रीकरण अथवा मशीनीकरण

यंत्रीकरण अथवा मशीनीकरण ने भी असंख्य लोगों के हाथ से रोजगार छिनकर उन्हें बेरोजगार कर दिया है, क्योंकि एक मशीन कई श्रमिकों का काम निपटा देती है। फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। गाँधी जी कहा करते थे- 'हमारे देश को अधिक उत्पादन नहीं, अधिक हाथों द्वारा उत्पादन चाहिए'। उन्होंने बड़ी-बड़ी मशीनों की जगह लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया उनका प्रतीक चरखा था। परन्तु आधुनिकता की चकाचौंध में, अधिकांश जन उस सच्चाई के मर्म को नहीं समझे। परिणाम यह हुआ कि मशीनें बढ़ती गईं, हाथ खाली होते गए बेकारों की फ़ौज जमा हो गई। जब से कंप्यूटर का देश में विकास हुआ है इससे बेकारी की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है

iii. शिक्षा व्यवस्था

कई सालों से हमारी शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बेरोजगारी के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है यहाँ व्यवसाय प्रधान शिक्षा का अभाव है व्यवहारिक या तकनीकी शिक्षा के अभाव में शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी बेरोजगार रहता है।

iv. अशिक्षा

भारत में व्याप्त अशिक्षा भी बेरोजगारी का मुख्य कारण है। आज के मशीन युग में शिक्षित, कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। हम अपनी शिक्षा-व्यवस्था में साक्षरता

को ही विशेष महत्व देते हैं। व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की अवहेलना होती है। तकनीकी शिक्षा का जो भी प्रबन्ध है, उसमें सैद्धांतिक पहलु पर अधिक जोर दिया जाता है और व्यवहारिक पहलु पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि हमारे इंजिनियर तक मशीनों पर काम करने से कतराते हैं। साधारण रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त कर हम केवल नौकरी करने लायक बन पाते हैं।

v. घरेलु उद्योग धंधों को प्रोत्साहन ना देना

बेरोजगारी का एक अन्य कारण है कि सरकार की ओर से घरेलु उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन ना देना। सरकार की ओर से बड़े-बड़े व्यापारियों और कंपनियों को अरबों रूपए तक का कर्ज आसानी से मिल जाता है लेकिन लघु-उद्योग स्थापित करने के लिए आम व्यक्ति को कर्ज नहीं दिया जाता है। इसी कारण लघु-उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पा रहे हैं और देश में गरीबी फैली हुई है।

• बेरोजगारी के समाधान (Solution to Unemployment)

प्रत्येक समस्या का समाधान उसके कारणों में छिपा रहता है अतः यदि ऊपर-कथित कारणों पर प्रभावी रोक लगाई जाये तो बेरोजगारी की समस्या का काफी सीमा तक समाधान हो सकता है। व्यावसायिक - शिक्षा, लघु-उद्योगों को प्रोत्साहन, मशीनीकरण पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसरों की तलाश, जनसंख्या पर रोक आदि उपायों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए। जब तक इस समस्या का उचित समाधान नहीं होगा तब तक समाज में न तो सुख-शांति रहेगी और न ही राष्ट्र का व्यवस्थित एवं अनुशासित ढांचा खड़ा हो सकेगा।

स्किल-डेवलपमेंट योजना (Skill-Development Plan)

आगे चलकर बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकती है हम भारतीयों को स्वयं को ज्ञान और नए आविष्कारों के माध्यम से इतना सक्षम बनाना होगा जिससे विश्व भर के बड़ी कंपनियों को हमारी ताकत

का पता चल सके और वह भारत में निवेश करें तथा अपनी कंपनियां शुरू करें। इससे हमारे देश के लोगों को करियर के नए अवसर प्राप्त होंगे और हमारे देश को विकसित होने में मदद मिलेगी।

हाल ही में सरकार ने भी भारत के नौजवानों को आगे ले जाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू किया हुआ है जैसे 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना', 'मुद्रा लोन योजना', 'आवास योजना', 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान', 'सुकन्या समृद्धि योजना' इत्यादि लोगों को सरकार की इन योजनाओं से जुड़ना चाहिए और इन योजनाओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाना चाहिए जिससे वह हमारे भारत देश का भविष्य बन सकें

बेरोजगारी कई समस्याओं को जन्म देती है जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अशांति, उपद्रव, दंगे, चोरी, डकैती, अपहरण इत्यादि युवा वर्ग की शक्ति एवं ऊर्जा का प्रयोग के लिए उन्हें सही शिक्षा और उसके बाद उचित मार्गदर्शन मिलना जरूरी है, वरना युवक भटक जाते हैं।

iii) भ्रष्टाचार (Corruption)

भ्रष्टाचार राष्ट्र की रीढ़ को बर्बाद कर रहा है, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। सरकार को रिश्त देने वाले और रिश्त लेने वाले के खिलाफ समान रूप से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।

भ्रष्टाचार की सबसे सरल परिभाषा निम्नलिखित है:- निजी लाभ के लिए भ्रष्टाचार सार्वजनिक शक्ति (निर्वाचित राजनीतिज्ञ या नियुक्त सिविल सेवक द्वारा) का दुरुपयोग है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक भ्रष्टाचार नहीं बल्कि व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच निजी भ्रष्टाचार को भी एक ही सरल परिभाषा द्वारा कवर किया जा सकता है:-

भ्रष्टाचार निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति (विरासत, शिक्षा, विवाह, चुनाव, नियुक्ति या अन्य जो भी हो) का दुरुपयोग है।

इस व्यापक परिभाषा में न केवल राजनेता और लोक-सेवक शामिल हैं, बल्कि एक कंपनी के सीईओ और सीएफओ, नोटरी पब्लिक, एक कार्य-स्थल पर टीम लीडर, एक निजी स्कूल या अस्पताल में प्रशासक या प्रवेश-अधिकारी वगैरह सब शामिल हैं।

भ्रष्टाचार के लक्षण/विशेषताएं (Characteristics of Corruption)

भ्रष्टाचार की चर्चा अत्यंत कठिन है क्योंकि यह हमारे समाजों में एक छिपी हुई घटना है। विशेषाधिकारों के लिए शक्ति के आदान-प्रदान में दोनों पक्ष अपने लेन-देन को गुप्त रखना चाहते हैं। इससे यह स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि व्यापक और गहरे भ्रष्टाचार ने हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक-जीवन में कितना प्रवेश किया। इसके अलावा, जो कुछ के लिए 'दोस्ताना मोड़' से अधिक नहीं है, वह दूसरों के लिए 'दुर्व्यवहार' है। एक जगह में मित्रता हो सकती है यह मित्रता अन्यत्र अस्वीकार्य है। दिन के किसी विशेष समय पर सामान्य व्यवहार दूसरे घंटे में अस्वीकार्य हो सकता है।

स्टूडेंट्स, अब हम निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान देंगे।

- a) प्राप्तकर्ता और भुगतानकर्ता।
- b) जबरन वसूली।
- c) समाज का स्नेहक।
- d) नैतिक समस्या।
- e) गरीबी में कमी।
- f) छोटा सुंदर है।
- g) संस्कृति।
- h) 'दोस्तों के बीच अंतरंग और व्यक्तिगत संपर्क'।

भ्रष्टाचार का समाधान (Solution to Corruption)

- पारदर्शिता

सरकारी प्रक्रियाओं को बदलने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण समाधान है। यदि सरकार और प्रक्रियाओं के सदस्य पारदर्शी हैं तो भ्रष्टाचार में भारी कमी आ सकती है। इसके अलावा, जन प्रतिनिधियों के चुनाव से संबंधित प्रावधान कड़े होने चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो वह चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा। भारत में पहले से ही एक प्रावधान है कि अपराधी के रूप में किसी भी व्यक्ति को संसद सदस्य या विधायक सदस्य के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे प्रभावी रूप से शून्य भ्रष्टाचार की दिशा में पहला कदम बताया जाएगा।

- सरकार और जनता के बीच सीधे संपर्क की पेशकश करना

यह सरकार और शासितों के बीच सीधे संपर्क को बढ़ाकर भ्रष्टाचार को कम कर सकता है। ई-गवर्नेंस इस दिशा में बहुत मदद कर सकता है।

तीसरा, सभी को एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए, यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और अपनी क्षमता से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जिम्मेदार नागरिकों को देरी के बिना तुरंत सतर्कता विभाग को भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अलावा, उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों का पालन करना चाहिए, क्योंकि बुरे व्यवहार की एक मात्र रिपोर्टिंग प्रभावी उन्मूलन के लिए पर्याप्त नहीं है।

- सरकार और सतर्कता एजेंसियों को हमेशा नेताओं और उनके सहयोगियों के लिए अपनी आय के स्रोत और बैंक खातों पर चेक रखना

सरकार और सतर्कता एजेंसियों को हमेशा नेताओं और उनके सहयोगियों के लिए अपनी आय के स्रोत और बैंक खातों पर एक चेक रखना चाहिए। यदि कोई संदिग्ध लेन देन पाया जाता है तो उन्हें न्यायिक प्रणाली को सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि कोई भी नेता अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसे पद से हटा दिया जाना चाहिए। शीर्ष सरकारी पद और स्थिति प्रदर्शन के आधार पर होनी चाहिए। सरकार को नेताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन नियमित रूप से करना चाहिए।

अंत में, एक मजबूत और प्रभावी नेतृत्व की जरूरत है। जिन लोगों को चुनाव के माध्यम से अधिकार और अधिकार दिए गए हैं, उन्हें अपने वादे और लोगों को दिए गए वादे को पूरा करना चाहिए। उन्हें सरकारी प्रशासन से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अवांछित अड़चनों और यहां तक कि कानूनों को हटा देना चाहिए, जो भ्रष्टाचारियों को सजा से बचने में मदद करते हैं।

1.3.2 अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याएं (Other Important Social Problems) अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याएं निम्नलिखित हैं:--

- **अंधविश्वास (Superstitions)**

धर्म एवं ईश्वर की आड़ में कुछ लोग गरीब एवं भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं समाज में अंधविश्वास के मूल में धार्मिक आडम्बर एवं ईश्वर का भय ही हैं। भूत प्रेत, ईश्वर के नाम पर चढ़ावा एवं बलि ये सब अंधविश्वास के ही रूप हैं। इसके कारण सामाजिक प्रगति बाधित होती हैं।

- **निरक्षरता (Illiteracy)**

निरक्षरता एक ऐसी स्थिति है जो राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। भारत की अधिकतर आबादी निरक्षर है। भारत सरकार ने हालांकि निरक्षरता के खतरे से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। भारत का विकास लोगों के साक्षर होने से ही हो पायेगा।

भारत में अशिक्षा एक समस्या है जो इससे जटिल आयामों के साथ जुड़ी हुई है। भारत में अशिक्षा उन विभिन्न असमानताओं के आयामों में से एक है जो देश में अस्तित्व में है। यहाँ लिंग-असमानता, आय-असमानता, राज्य-असंतुलन, जाति असंतुलन और तकनीकी-बाधाएं हैं जो देश में साक्षरता की दर को निर्धारित करती हैं। भारत के पास सबसे बड़ी निरक्षर आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और 65.46% महिलाओं की साक्षरता दर है। कम महिला साक्षरता दर भी लिखने और पढ़ने की गतिविधियों के लिये महिलाओं के पुरुषों पर निर्भर रहने के लिये जिम्मेदार है। इस प्रकार एक दुष्चक्र का रूप ही ले लिया है।

फिर ये कोई नयी अवधारणा नहीं है कि धनवानों के पास गरीबों से बेहतर शैक्षिक सुविधाएं हैं। निर्धन व्यक्ति कुशलता और ज्ञान की कमी के कारण अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिये स्वयं को अकुशल मजदूर के कार्यों में शामिल रखते हैं। इस प्रकार उनका ध्यान शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर आय अर्जित करने पर केन्द्रित हो जाता है जिससे कि वो समाज में जीवित रहने के लिये सक्षम हो सके। वो राज्य, जो शिक्षा पर अधिक खर्च करते हैं, उन राज्यों के मुकाबले में उच्च साक्षरता दर रखते हैं जो शिक्षा पर कम खर्च करते हैं। इस मामले में केरल एक ऐसा ही राज्य है। इस राज्य ने प्रत्येक सदस्य पर 685 डॉलर खर्च किये हैं जो इसका शैक्षिक स्तर भी बताता है।

निराशाजनक साक्षरता दर के मुख्य कारणों में से एक यह- स्कूलों की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ असक्षम और अयोग्य है। बच्चों के द्वारा स्कूलों को छोड़ने को प्रेरित करने वाला एक और कारण उचित स्वच्छता की कमी है। एक अध्ययन ने स्पष्ट किया है कि 59% स्कूलों में पानी पीने की सुविधा नहीं है। वहाँ शिक्षकों की भी कमी है।

साक्षरता स्तर में सुधार के लिये प्रयास

1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और इस प्रकार वर्ष 2003 में संविधान में शिक्षा का अधिकार (83वें संवैधानिक संशोधन, 2000) के तहत शामिल किया गया।

इसके बावजूद, देश संविधान के 45वें अनुच्छेद के प्रभाव में आने के बाद भी 10-14 साल की आयु वाले बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान नहीं कर सका।

देश में शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये बहुत सी अन्य योजनाओं को भी लागू किया गया।

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना को घोषित किया गया था कि पूरे देश में विशेष रूप से युवा-आबादी के बीच निरक्षरता की समस्या को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा एक साक्षर समुदाय के निर्माण के लिये प्रयास किए गए। इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक 41% की साक्षरता को प्राप्त करना था। 1992 की शिक्षा नीति 21 वीं सदी के आगमन से पहले 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी प्रदान करती थी, एक ऐसी नीति है जो आज धूल फाँक रही है क्योंकि ये प्रचलित अशिक्षा और बच्चों को स्कूल में लाने और रोकने में सक्षम नहीं हो पायी है।

2001 में 6 से 14 साल तक की आयु-वर्ग वाले सभी बच्चे स्कूल जायें और 2010 तक स्कूल में आठ साल पूरे करें, ये सुनिश्चित करने के लिये 'सर्व शिक्षा अभियान' शुरू किया गया था। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व 'शिक्षा गारंटी योजना' और 'वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा' है, जिसका अर्थ है मुख्य रूप से बच्चों के लिये प्रारंभिक स्कूलों का निर्माण एक किलोमीटर के दायरे में हो।

- **बाल विवाह (Child marriage)**

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाल विवाह का दूसरा स्थान है। पहला कानून जो बनाया गया था वह 1929 का बाल विवाह निरोधक कानून था जो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू

किया गया था। बाल विवाह भारत में व्याप्त सामाजिक समस्याओं में से एक है जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करके ही पूरा होगा।

- **भुखमरी (Starvation)**

भुखमरी एक ऐसी स्थिति है कुपोषण जिसका परिणाम है। जिसके बारे में ध्यान नहीं रखने पर अंत में मृत्यु हो जाती है। क्वाशीकोर और मार्समस नामक बीमारी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोग ऐसे आहार ले रहे होते हैं जो पोषक तत्वों (प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा और फाइबर) से भरपूर नहीं होते हैं। भारत के संदर्भ में, यह कहना अनावश्यक है कि 'खाद्य वितरण प्रणाली' त्रुटिपूर्ण है। लेकिन अब इन समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

- **बाल-श्रम (Child Labour)**

बाल श्रम का मतलब आमतौर पर किसी भी काम में भुगतान के साथ या उसके बिना बच्चों का रोजगार है। बाल-श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। जहां तक भारत का संबंध है, यह मुद्दा एक दुष्चक्र है क्योंकि भारत में बच्चे ऐतिहासिक रूप से अपने खेतों और अन्य प्राथमिक गतिविधियों में माता-पिता की मदद करते हैं।

- **आतंकवाद (Terrorism)**

भारत के विभाजन के दिन से आतंकवाद ने भारत को प्रभावित किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद लंबे समय से अनसुलझा मुद्दा रहा है। इसका उपयोग करते हुए पड़ोसी देश ने भारत के खिलाफ आतंक का सबसे अधिक इस्तेमाल किया है। जो खत्म ही नहीं हो रहा है।

- **सांप्रदायिकता (Communalism)**

विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण होने के कारण, भारत में सांप्रदायिक मतभेदों को बढ़ावा मिला है। सांप्रदायिक झड़पों के कारण देश भर में विभिन्न घटनाओं में बहुत हिंसा होती है। इस तरह की घटनाएं होने के कारण भारत आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित होता है।

- मुद्रास्फीति (Inflation)

मुद्रास्फीति का अर्थ यह है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। यह गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए, 1990 में एक सौ रुपये में जितना सामान आता था, अगर 2000 में उसे खरीदने के लिए दो सौ रुपये व्यय करने पड़े हैं तो माना जाएगा कि मुद्रास्फीति शत-प्रतिशत बढ़ गई।

अगर अर्थव्यवस्था में कीमत कुछ समय के लिए बढ़ती है और फिर कम हो जाती है और फिर दुबारा बढ़ती है तो हम इसे मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। मुद्रास्फीति में तो सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ना चाहिए। एक निश्चित आय वर्ग वाले लोगों पर मुद्रास्फीति का बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसकी आय निश्चित होती है और जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है इस प्रकार एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है।

मुद्रास्फीति समस्त अर्थशास्त्रीय शब्दों में संभवतः सर्वाधिक लोकप्रिय है। किंतु इसे पारिभाषित करना एक कठिन कार्य है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गयी भिन्न-भिन्न परिभाषाएं निम्नलिखित हैं:-

- बहुत कम माल के लिए बहुत अधिक धन की आपूर्ति हो जाने से मुद्रा स्फीति का जन्म होता है।
- माल या सेवा की आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाने पर भी इसका जन्म हो ही जाता है।
- आपूर्ति में दोष, गत्यावरोध तथा ढांचागत असंतुलन के चलते भी मुद्रा स्फीति पनपती है।

सामान्य रूप से इसका अर्थ ये होगा कि ये बिना रुके बढ़ती दर से किसी दिए गए कालखण्ड में मूल्य स्तर की वृद्धि है जो भविष्य में और अधिक वृद्धि की सम्भावना को बढ़ाती है।

भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index) तथा औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) से होता है।

मुद्रास्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation)

जो निम्नलिखित हैं:--

- निवेशकर्ता पर प्रभाव

निवेशकर्ता दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के निवेशकर्ता वे होते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों से निश्चित आय प्राप्त होती है तथा दूसरे निवेशकर्ता वे होते हैं जो संयुक्त पूंजी कम्पनियों के हिस्से खरीदते हैं। इनकी आय मुद्रास्फीति के होने पर बढ़ती है। मुद्रास्फीति से निवेशकर्ता के पहले वर्ग को नुकसान तथा दूसरे वर्ग को फायदा होगा।

- निश्चित आय के वर्ग पर प्रभाव

निश्चित आय के वर्ग में वे सब लोग आते हैं जिनकी आय निश्चित होती है जैसे श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी आदि। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं जिसका प्रभाव निश्चित आय वर्ग पर पड़ता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण निश्चित आय वर्ग नुकसान उठाता है।

- कृषकों पर प्रभाव

मुद्रास्फीति का कृषक वर्ग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि कृषक वर्ग उत्पादन करता है तथा मुद्रास्फीति के दौरान उत्पादन की कीमतें बढ़ती हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दौरान कृषक वर्ग को लाभ मिलता है।

- ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव

मुद्रास्फीति का ऋणदाता पर प्रतिकूल तथा ऋणी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब ऋणदाता अपने रुपये किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति होने के कारण उसके रुपये का मूल्य कम हो जायेगा। इस प्रकार ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि तथा ऋणी को लाभ होता है।

- बचत पर प्रभाव

मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि मुद्रास्फीति होने के कारण वस्तुओं पर किये जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है। इससे बचत की सम्भावना कम हो जायेगी। दूसरी ओर मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग बचत करना ही नहीं चाहेंगे।

- भुगतान संतुलन पर प्रभाव

मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। इसके कारण हमारे निर्यात मँहगे हो जायेंगे तथा आयात सस्ते हो जायेंगे। निर्यातों में कमी होगी तथा आयतों में वृद्धि होगी जिसके कारण भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो जायेगा।

- सार्वजनिक ऋणों पर प्रभाव

मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो सरकार को सार्वजनिक योजनाओं पर अपने व्यय को बढ़ाना पड़ता है इस व्यय की पूर्ति के लिए सरकार जनता से ऋण लेती है। अतः मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है।

- करों पर प्रभाव

मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय में बहुत वृद्धि होती है। सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए नये-नये कर (Taxes) लगाती है तथा पुराने करों में वृद्धि करती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में वृद्धि होती है।

- नैतिक प्रभाव

मुद्रास्फीति के कारण व्यापारी वर्ग लालच में अंधा हो जाता है और जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा मिलावट आदि का प्रयोग उत्पादन को बेचने में करते हैं। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिस हो जाते हैं तथा व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों का पतन होता है।

- उत्पादकों पर प्रभाव

मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभ प्राप्त होता है क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमते बढ़ रही होती हैं तथा मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से उद्यमी तथा उत्पादकों का फायदा होता है। पिछले वर्षों में मुद्रास्फीति को आम आदमी द्वारा सामना करते हुए देखा गया है। वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने लोगों में रोष पैदा कर दिया है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती दरों ने मध्यम वर्ग की जेब को इतना प्रभावित किया है, जिससे लोगों को मुद्रास्फीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

1.4 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)

अधिगम सम्बंधित क्रियाकलाप

रिक्त स्थान भरो:--

- i) भारत में प्रायःका नियम होने के कारण विवाहिता स्त्री और उसकी संतानें भी पति की जाति की मानी जाने लगीं ।
- ii) एक सामाजिक समस्या किसी भी ऐसीहै जिसका बड़ी संख्या में लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होता है ।
- iii) आज हमारी सामाजिक समस्याओं में जातिवाद, छुआछूत,आदि समस्याएँ

विकराल बनी हुई हैं।

- iv) सबकीसमान स्तर पर होनी चाहिए, पिछड़े वर्ग कीको सुधारने के उपाय होने चाहिए।
- v) जातिवाद हिंदू समाज की की देन है।
- vi) पितृसत्ता एकहै जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है।
- vii) सरकारी प्रशासन सेको मिटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।

कृपया उत्तर की पड़ताल पाठ के अंतिम हिस्से 1.8 में करें।

1.5 सारांश (Summary)

आप जान गए हैं कि भारतीय समाज विविध संस्कृतियों, लोगों, विश्वासों और भाषाओं का एक जटिल मिश्रण है जो कि कहीं से भी आया हो, लेकिन अब इस विशाल देश का एक हिस्सा है। एक सामाजिक समस्या किसी भी ऐसी स्थिति या व्यवहार है जिसका बड़ी संख्या में लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होता है और जिसे आमतौर पर एक ऐसी स्थिति या व्यवहार के रूप में पहचाना जाता है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता होती है।

यह जटिलता और समृद्धि भारतीय समाज को एक बहुत जीवंत और रंगीन सांस्कृतिक देश बनाता है। हमारे भारत देश में आज भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो भारत के विकास में बाधा बनी हुई हैं। जैसे – गरीबी, जनसंख्या, प्रदूषण, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, असमानता, लैंगिक भेदभाव, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, शराब, नशाखोरी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा प्रमुख हैं। इन सभी समस्याओं से आज समाज का सारा वातावरण दूषित हो गया है। लोगों का आपस में विश्वास उठ रहा है हर कोई स्वार्थ साधने की खातिर दूसरों का अहित कर रहा है। शोषण और उत्पीड़न बढ़ रहा है।

नशाखोरी, फैशनपरस्ती और अनैतिकता का खूब प्रचार हो रहा है इन सब बुराइयों से आज हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है।

वर्तमान में अनेक समस्याओं से सामाजिक जीवन में अशांति व्याप्त है एक लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र में ऐसी समस्याओं का समाधान करने में युवाओं का विशेष योगदान हो सकता है वे ही जन-जागरण के द्वारा युवा शक्ति को सामाजिक उन्नयन की चेतना से मंडित कर सकते हैं।

1.6 सूचक शब्द (Keywords)

- i. सांप्रदायिकता: अपने संप्रदाय या धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरे संप्रदाय या धर्म को गलत ठहराना या द्वेष रखना; अपने संप्रदाय के हित और अन्य संप्रदाय के अहित में संलग्न होने का भाव
- ii. धर्म-निरपेक्षता : धर्मनिरपेक्ष होने की अवस्था या भाव
- iii. सांस्कृतिक: संस्कृति से संबंध रखनेवाला; संस्कृति से संबंध रखने या संस्कृति के क्षेत्र में आने या होनेवाला
- iv. समृद्धि: जिसके पास बहुत अधिक धन-संपत्ति हो; वैभवपूर्ण; ऐश्वर्यशाली
- v. मानव विकास सूचकांक: एक सूचकांक है, जिसका उपयोग देशों को "मानव विकास" के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है।
- vi. जटिलता: जटिल होने की अवस्था या भाव, पेचीदगी, दुरुहता
- vii. पितृसत्तात्मक: पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है।
- viii. आतंकवाद: राज्य या विरोधभाव को दबाने के लिए हिंसा या भयोत्पादक उपायों का अवलंबन।
- ix. निरक्षरता: अपढ़ता, गँवारपन, मूर्खता।
- x. बेगार: मूल्य चुकाए बिना श्रम

1.7 स्व-मूल्यांकन हेतु प्रश्न (Self-Assessment Questions) (SAQs)

निम्नलिखित प्रश्नों के यथासंभव उत्तर दीजिये।

- i. ऐसी समस्याएं कौन सी समस्याएं हैं जो भारत के विकास में बाधा बनी हुई हैं।
- ii. महिलाओं के साथ हिंसा के कारण और हिंसा के प्रकार अपने विचार प्रकट कीजिए।
- iii. विभिन्न सामाजिक समस्याओं के विषय में संक्षिप्त नोट लिखें।
- iv. सामाजिक समस्याओं का निराकरण को अपने शब्दों में वर्णन करें।
- v. सामाजिक समस्या किसे कहते हैं? विवरण दीजिए।

1.8 अपनी प्रगति की जाँच करने के लिए उत्तर देखें **(Answers to check your Progress)**

उत्तर:

- i. पैतृक उत्तराधिकार
- ii. स्थिति या व्यवहार
- iii. दहेज, अंधविश्वास, बलात्कार, बाल शोषण, अशिक्षा
- iv. शिक्षा-व्यवस्था, आर्थिक-दशा
- v. कट्टरता
- vi. सामाजिक व्यवस्था
- vii. भ्रष्टाचार

1.9 सन्दर्भ ग्रन्थ/निर्देशित पुस्तकें **(References/ Suggested Readings)**

- i. Sociology: An Introduction by Smelser, Neil, J., Wiley Eastern Private Limited
- ii. Sociology: Principles of sociology with an introduction to social thought by Shanker Rao C.N., S. Chand and Company.
- iii. History of Social thought by K.Singh, Prakashan Kendra, Lucknow.
- iv. Samajshastra (Hindi), M.L.Gupta & D. D. Sharma, Sahitya Bhawan Publications, Agra

Subject: Sociology (Social Problems in India)	
Course Code: SOCL 202	Author: Dr. Shakuntla Devi
Lesson No.-02	Updated By: self
सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का महत्व (Importance of study of Social Problems)	

अध्याय-संरचना

2.1 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

2.2 परिचय (Introduction)

2.3 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

2.3.1 सामाजिक समस्याएँ

2.3.2 सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का महत्व (Importance of study of Social Problems)

i) सामाजिक समस्याओं पर विचार (Facts on Social Problems)

ii) सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन (Sociological Imagination)

2.4 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

2.4.1 अपराध (Crime)

2.4.2 मद्यपान (Alcoholism)

2.4.3 नशीली दवाओं का दुरुपयोग एवं व्यसन के प्रयोग (Use of Drugs and Drug- addiction)

2.4.4 काला धन (Black-money)

2.5 स्वयं-प्रगति जाँच (Check your Progress)

2.6 सारांश (Summary)

2.7 संकेतक शब्द (Keywords)

2.8 स्वयं - मूल्यांकन परीक्षा (Self-Assessment Questions)

2.9 प्रगति-समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें (Answers to check your progress)

2.10 सन्दर्भ / सहायक अध्ययन-सामग्री (Other Suggested Readings)

2.1 अधिगम उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत तक, आप निम्न योग्य होंगे :---

- सामाजिक समस्या समझें, अपराध, आलोचनात्मक मामले समझेंगे।
- सामाजिक घटना या सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का महत्व समझेंगे

2.2 परिचय (Introduction)

सामाजिक" शब्द "जनता" का पर्याय है। नतीजतन, किसी भी परिभाषा में इन दो शब्दों में से कम से कम एक शामिल है, जिसका अर्थ समाज से जुड़े लोगों का एक सेट है। यह माना जाता है कि सभी सामाजिक घटनाएं संयुक्त कार्य का परिणाम हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके पालन में भाग लेने के लिए एक से अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। "संयुक्त" का मतलब श्रम के परिणाम से सीधा संबंध नहीं है। इसके अलावा, समाजशास्त्र में यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि कोई भी कार्य एक या दूसरे तरीके से सामाजिक है।

इसके ठीक ऊपर यह संकेत दिया गया था कि विचाराधीन व्यक्ति के श्रम को एक शब्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्या "सामाजिक समस्या / सामाजिक घटना" की अवधारणा में एक ऐसा समाज शामिल नहीं है जिसमें दो से अधिक लोगों को शामिल करना चाहिए?

यहाँ आप जानेंगे कि कोई भी मानवीय गतिविधि उसके सामाजिक पर्यावरण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। आस-पास के लोगों से संबंध और मानवीय क्रियाओं के परस्पर प्रभाव से आप उसकी गतिविधि का एक करीबी, या बल्कि परिचित या अपरिचित रूप, एकांत में उसे सुधारें। कुछ स्वयं बनाते हुए भी, कोई यह नहीं कह सकता कि यह केवल उसकी ही योग्यता है। हर घटना की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि होती है।

2.3 विषय-वस्तु का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Contents)

2.3.1 सामाजिक घटनाएं/ समस्याएँ

समस्याएँ हर किसी के जीवन का एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस पाठ में, आप सामाजिक घटनाओं के कई उदाहरणों का पता लगाएंगे जो इस बात की जानकारी प्रदान करते हैं कि वे समाजों के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात, और सामाजिक घटनाओं का एक स्पष्ट आयाम यह है कि इसमें एक व्यक्ति के अवलोकन योग्य व्यवहार पहलुओं को शामिल किया गया है जो किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए- प्रतियोगिता, संघर्ष, विवाह, तलाक, जातिवाद, धर्म, नास्तिकता, सामाजिक आंदोलन आदि।

यदि आप उन सभी ज्ञान और अनुभवों के बारे में सोचते हैं जो हम अपने जीवन के दौरान हासिल करते हैं, तो हमारे विश्वदृष्टि को आकार देने में मदद करने वाली राशि शायद गिनती के लिए बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, जब हम छोटे होते हैं, तो हमारे माता-पिता के दृष्टिकोण राजनीति या धर्म जैसी चीजों के बारे में हमारी अपनी राय को सीधे सूचित करते हैं, जबकि बाद में अनुभव, रोमांटिक रिश्तों की तरह, हमारे प्यार की धारणा और भावनात्मक जोखिम के स्तरों को आकार देते हैं जो हमें स्वीकार्य लगते हैं।

समाजशास्त्र में, इस तरह के ज्ञान और अनुभवों को सामाजिक घटना के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो कि व्यक्तिगत, बाहरी, सामाजिक निर्माण हैं जो हमारे जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं, और जैसे हम उम्र के

रूप में लगातार विकसित हो रहे हैं। यदि यह परिभाषा अस्पष्ट या भ्रमित करने वाली लगती है, तो यह संभवतः इसलिए है क्योंकि सामाजिक घटना की श्रेणी अविश्वसनीय रूप से व्यापक और जटिल है, लेकिन सामाजिक घटना का मूल सिद्धांत यह है कि यह समाज द्वारा बनाई गई है, जो दुनिया में स्वाभाविक रूप से भूकंप, वायरस, या मौसम के कार्य जैसी किसी चीज के विपरीत है।।

सामाजिक घटना के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि इसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अवलोकन व्यवहार शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, नस्लवाद एक सामाजिक घटना है क्योंकि यह एक विचारधारा है जिसका लोगों ने निर्माण किया है जो सीधे दूसरे समूह को प्रभावित करता है, उन्हें अपने व्यवहार को बदलने के लिए मजबूर करता है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, विवाह भी एक सामाजिक घटना है क्योंकि यह एक अवलोकनीय कार्य है जिसके लिए लोगों ने अर्थ बनाया और लागू किया है, जो प्रेम और रिश्तों की अवधारणा को बदल देता है क्योंकि इसका अर्थ विकसित होता है।

सामाजिक घटनाओं की विविधता के कारण, उन्हें गतिविधि द्वारा अलग करने की प्रथा है। एक पूर्ण वर्गीकरण का हवाला देना समस्याग्रस्त है उनके प्रयोगात्मक क्षेत्रों के रूप में कई क्षेत्र हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि समाज में अन्य सामाजिक घटनाएं भी हैं। उनमें से प्रत्येक के उदाहरण लगातार उसकी गतिविधि की परवाह किए बिना एक व्यक्ति को घेरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति समाज का हिस्सा होता है, हालाँकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का रिश्ता अलग हो सकता है। यहां तक कि असामाजिक व्यक्तित्व नकारात्मक तरीके से उसके साथ बातचीत करते हैं। असामाजिक व्यवहार समाज के साथ असफल टकराव के परिणामस्वरूप खुद को प्रकट कर सकता है। एक व्यक्ति खुद को कभी नहीं बनाता है, यह सब समाज के साथ दीर्घ-कालिक और फलदायी सहयोग का परिणाम होता है।

इसी तरह, सामाजिक घटना के रूप में युद्धों का भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। उदाहरण के लिए, फिलिस्तीनियों और इजरायल के बीच इजरायल में चल रहे संघर्ष को लें। इस मामले में, प्रत्येक पक्ष के कार्य और बयान उन समूहों के भीतर व्यक्तियों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं, और बाद में जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं और जिस तरह से वे दूसरे पक्ष को समझते हैं, उसे बदल रहे हैं।

कई अलग-अलग तरीके हैं जो अन्य लोग हमारे जीवन को प्रभावित या बदल सकते हैं, लेकिन उनमें से, व्यवहारिक घटनाएं संभवतः सबसे महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि क्या आप एक शहर की सड़क पर चल रहे थे और अचानक एक अजनबी द्वारा लूट मार किया गया था। एक बार अनुभव के शुरुआती झटके बिगड़ गए थे, उन तरीकों के बारे में सोचें, जो उस बिंदु से आपके स्वयं के व्यवहार को बदल सकते हैं। आप शायद समान स्थितियों में बहुत अधिक सतर्क हो जाएंगे, शायद अजनबियों से अधिक भयभीत होंगे, और इसी तरह कालचक्र चलता रहता है।

सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में, अपराध और हिंसा के अन्य कार्य अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हैं जब यह कुछ विषयों पर हमारे व्यवहार या राय को आकार देने के लिए आता है। हमारे द्वारा उपयोग किए गए उदाहरण में, एक व्यक्ति का व्यवहार, आपके प्रति एक आपराधिक कार्य ने आपकी शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा की भावना को प्रभावित किया है, और उस तरीके को बदल दिया है जो वे उस बिंदु से आगे सोचेंगे और व्यवहार करेंगे।

इसलिए उल्लेखनीय है कि समाज में, वह खुद को पुनः पेश करता है। यह सामाजिक घटना, वास्तव में, उनके अपने माध्यम से पैदा होती है। उदाहरण के लिए- संस्कृति जो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, सक्षम नहीं है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि समाज किसी भी सामाजिक घटना की कुंजी है। इसके बिना, न तो संस्कृति, न राजनीति, न ही शक्ति, न ही धर्म संभव है, जो इसे आधार बनाता है। इस दृष्टिकोण से, यह ध्यान दिया जा सकता है कि स्व-पालन भी स्व-संरक्षण के कार्य का एक उदाहरण है।

2.3.2 सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का महत्व (Importance of study of Social Problems)

समाजशास्त्र हमें इस तरह के सामाजिक मुद्दों को समझने में मदद करता है क्योंकि इससे हमें उन तरीकों के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है जिससे हमारा समाज इन मुद्दों को प्रभावित करता है। हम केवल व्यक्तियों और उनके लक्षणों के बारे में नहीं सोच सकते। इसके बजाय, हमें सामाजिक संस्थाओं और अन्य मैक्रो-लेवल कारकों पर विचार करना होगा जो मुद्दों को प्रभावित करते हैं।

यदि यह समाजशास्त्र के लिए नहीं था, तो हम गरीबी और अपराध के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि ऐसे मुद्दे जो केवल व्यक्तिगत कमियों से संबंधित थे।

i. सामाजिक समस्याओं पर विचार (Facts on Social Problems)

सामाजिक समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण विचार, जो निम्नलिखित हैं

- समाज कैसे संचालित होता है, उससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और बुरे लोगों के कारण समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं।
- सामाजिक समस्याएं असामान्य नहीं हैं; इसके बजाय, वे प्रकृति में संरचनात्मक हैं (यानी, जीवन के तरीके में निर्मित)। कुछ मामलों में, जिसे एक समस्या माना जाता है वह वास्तव में समाज को संचालित करने में मदद कर सकता है।
- सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए बदलाव की आवश्यकता है।
- लोग समस्याओं को अलग तरह से देखते हैं। कुछ लोगों को एक समस्या के रूप में देखा जाता है, दूसरों की समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
- कई समस्याओं को हल किया जा सकता है लेकिन सभी समस्याएं नहीं।
- समय के साथ समस्याओं की परिभाषाएं बदल जाती हैं।

- समस्याओं में मूल्यों के साथ-साथ तथ्यों का भी समावेश होता है।
- विभिन्न सामाजिक समस्याएं आपस में संबंधित हैं।
- एक समस्या का समाधान एक नई समस्या पैदा कर सकता है।

आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि यदि उनके पास एक समस्या को हल करने के लिए एक घंटा है, तो उन्हें इसे समझने में 59 मिनट और समाधान खोजने में एक मिनट का समय लगेगा।

सामाजिक मुद्दे उतने सरल नहीं हैं जितने वे प्रतीत हो सकते हैं। वे संस्थागत और व्यक्तिगत कारकों के एक मेजबान को शामिल करने वाले गूढ़ रहस्य की तरह हैं। सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करना उनके विविध आयामों को उजागर करता है।

भारत में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्या यह एक सामाजिक समस्या है या केवल एक प्रशासनिक विसंगति है जिसके कारण कुछ दुर्गम क्षेत्र और नियमविहीन क्षेत्रों का शोषण होता है। अब भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए एक सामाजिक बदलाव को गहराई से बात किए बिना प्रभावित नहीं किया जा सकता है जो इसे सामाजिक रूप से संचालित करता है। और इसके बाद विस्तार से इसका सबसे गहरा मूल कारण सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संसाधनों और स्वयं शासन के प्रति घृणा है। इसलिए सामाजिक मुद्दों पर जब खुले तौर पर चर्चा होती है तो अंततः उनकी बेहतर समझ पैदा होती है और तब केवल परिवर्तन को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। यदि कुछ अभिजात वर्ग के लोग कहते हैं कि शासन परिवर्तन को प्रभावित करना चाहता है तो वे भारत में मुद्दों के बारे में व्यापक चर्चा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। कानूनी मानदंडों ने तय किया कि यह प्रतिबंधित है। हालांकि कुछ समाज के सामाजिक मानदंड अभी भी कानूनी मानदंडों से पीछे हैं और इसलिए बदलाव नहीं लाया जा सकता है। फिर इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा आवश्यक है ताकि कानूनी और सामाजिक मानदंडों के बीच सामंजस्य

हो और लोग स्वेच्छा से इस प्रथा को छोड़ दें। इसलिए चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, हम निश्चित रूप से समाधान का एक हिस्सा हैं

लेकिन हम सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। और मुद्दों के बारे में बात करना प्रक्रिया की शुरुआत है। प्रत्येक राजनेता और नीति निर्माता अपने लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और लोग चुनते हैं कि वे किसका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जिसके आधार पर इन सामाजिक मुद्दों को इन उम्मीदवारों ने संबोधित करने का वादा किया है और रोजमर्रा के जीवन में उनके सटीक स्वभाव और कारणों के बारे में समस्याओं की बेहतर समझ आदि सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने से जागरूकता पैदा करने में मदद मिलती है। महिलाओं के मुद्दों को सबसे गलत समझा गया है कि महिलाओं की मदद की जरूरत नहीं है, वास्तविक समानता और प्रतिनिधित्व प्राप्त करें। उनके बारे में बात करने वाले अधिक लोग मुद्दों की लोकप्रियता बढ़ाएंगे, जिससे गति में वृद्धि होती है, जिससे किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का कारण बनना आवश्यक है। इसके अलावा, जितनी बार आप इन मुद्दों के बारे में बात करते हैं, उतना ही आप अपने आप को और अपने साथियों को उनके बारे में सोचते हैं, जो कि बड़ी तस्वीर है, इस पर अधिक स्पष्टता से स्पष्ट मांगों की ओर जाता है, जिसे आप अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों के सामने रख सकते हैं।

आप जाने गे कि सामाजिक समस्याओं की समाजशास्त्रीय समझ समाजशास्त्रीय कल्पना(सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन) की अवधारणा पर काफी हद तक टिकी हुई है। हम विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को बदलने से पहले इस अवधारणा पर कुछ चर्चा करते हैं जो सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए एक और संदर्भ प्रदान करते हैं- सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन यानि समाजशास्त्रीय कल्पना जो विस्तार से निम्नलिखित है:--

ii. सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन (Sociological Imagination)

कई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एक या अधिक सामाजिक समस्याओं का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग गरीब और बेरोजगार हैं, कई खराब स्वास्थ्य में हैं, और कई को पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत अधिक

शराब पीते हैं, या अपराध करते हैं। जब हम इन व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं, तो यह सोचना आसान होता है कि उनकी समस्याएं अकेले उनकी हैं, और यह कि वे और अन्य व्यक्ति एक ही समस्या के लिए पूरी तरह से अपनी कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार हैं।

समाजशास्त्र एक अलग दृष्टिकोण लेता है, क्योंकि यह जोर देता है कि व्यक्तिगत समस्याएं अक्सर समाज के पहलुओं से उपजी समस्याओं में निहित होती हैं। समाजशास्त्रीय कल्पना बारे प्रमुख अंतर्दृष्टि के साथ सी. राइट मिल्स(1959) मिल्स, सी. डब्ल्यू.(1959) ने पता लगाया था।

व्यक्तिगत परेशानियों और सार्वजनिक मुद्दों के बीच अंतर तथा व्यक्तिगत परेशानियां एक समस्या को प्रभावित करती हैं जो प्रभावित व्यक्ति, साथ ही साथ समाज के अन्य लोगों को भी प्रभावित करती हैं, आमतौर पर व्यक्ति की व्यक्तिगत और नैतिक विफलताओं को दोषी ठहराती हैं। उदाहरणों में खाने के विकार, तलाक और बेरोजगारी जैसी विभिन्न समस्याएं शामिल हैं। सार्वजनिक मुद्दे, जिनके स्रोत किसी समाज की सामाजिक संरचना और संस्कृति में निहित हैं, कई व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली सामाजिक समस्याओं का उल्लेख करते हैं। समाज में समस्याएं उन समस्याओं के लिए मदद करती हैं जो व्यक्ति इस प्रकार अनुभव करते हैं। मिल्स ने महसूस किया कि आम तौर पर माना जाता है कि कई व्यक्तिगत समस्याएँ जन समस्याओं (Social Problems) को सार्वजनिक मुद्दों के रूप में समझा जाता है और उन्होंने समस्याओं के लिए संरचनात्मक आधार की सराहना करने की क्षमता का उल्लेख करने के लिए समाजशास्त्रीय कल्पना (Social Imagination) शब्द गढ़ा।

मिल्स के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए, कुछ समकालीन सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए हमारी सामाजिक कल्पनाओं का उपयोग बेरोजगारी के साथ शुरू करेंगे, जो मिल्स ने खुद चर्चा की। यदि केवल कुछ ही लोग बेरोजगार थे, तो मिल्स ने लिखा, हम उचित रूप से उनकी बेरोजगारी को यह कहकर समझा सकते हैं कि वे आलसी थे, काम की अच्छी आदतों का अभाव था, और आगे भी। यदि ऐसा है, तो उनकी बेरोजगारी उनकी खुद

की व्यक्तिगत समझ होगी। लेकिन जब लाखों लोग काम से बाहर होते हैं, तो बेरोजगारी को सार्वजनिक मुद्दे के रूप में सबसे सभ्य समझा जाता है क्योंकि मिल्स (1959, पी.

9) मिल्स, सी. डब्ल्यू (1959) के रूप में समाजशास्त्रीय कल्पना- “अवसरों की बहुत संरचना ढह गई है। हमें समाज के समस्या के सही बयान और संभावित समाधानों की सीमा दोनों आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार करने की आवश्यकता है, न कि केवल लोगों के बिखराव की व्यक्तिगतता और विशेषता की।”

2.4 विषय-वस्तु का पुनः प्रस्तुतीकरण (Re-presentation of Contents)

किसी सामाजिक या समुदाय की कार्यप्रणाली कैसी हो सकती है, इसे समझने के लिए कुछ सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना और जागरूक होना महत्वपूर्ण है। इन सामाजिक समस्याओं के बारे में ज्ञान होने से हम आशा कर सकते हैं कि हम समस्याओं को ठीक करने के लिए उलट सकते हैं और इसका हल ढूँढ सकते हैं। एक सामाजिक समस्या लगभग हर पहलू में समाज को प्रभावित करती है और घुसपैठ करती है। कुछ सीखे हुए व्यवहार का अस्तित्व समाज की संपूर्णता को कई लाभकारी और हानिकारक तरीकों से प्रभावित करता है। सामाजिक समस्या, उत्तरदाताओं के समाज का प्रभाव है, जो मानवता की स्थिति के आधार पर नई समस्याओं को जन्म देती है (और गिरती है)। आधुनिक दुनिया कई सामाजिक समस्याओं और मुद्दों का सामना करती है इन मुद्दों में से कई उनके विकास, प्रभाव और बाद के निहितार्थ में अस्पष्ट हैं।

2.4.1 अपराध (Crime)

जन्म या आनुवंशिकता (heredity) का दंडाभियोग से क्या संबंध है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता; किंतु हम वातावरण के प्रभाव अस्वीकार नहीं कर सकते। यह साधारण अनुभव है कि कलुषित वातावरण अपराध करने की भावना को प्रोत्साहन देता है। चोरों की संगति में यदि किसी शिशु को रख दिया जाय तो क्रमशः उसकी मनोवृत्ति चोरी की ओर अग्रसर अवश्य होगी। इस प्रकार यदि कम अवस्था के शौकिया अपराधी को साधारण

कैदियों के साथ जेल में रखा जाय तो इस स्थिति का प्रभाव उसे संभवतः कारावास से मुक्त होने पर अपराध करने को प्रेरित करे। इंग्लैंड में वोस्टल नामक संस्था खुली। शौकिया तथा कम अवस्था के अपराधियों का सुधार करना इनका उद्देश्य था। क्रमशः दूसरे प्रगतिशील देशों में भी यह संस्थाएँ खुली। कोई व्यक्ति या तो स्वयं अथवा निमित्त रूप में अपराधी हो सकता है या घटना से पूर्व अथवा पश्चात् सहायक हो सकता है। कोई या तो स्वयं अपराध करता है या अन्य किसी एजेंट से कराता है, जो कानूनन अपराध के लिये उत्तरदायी नहीं होता, (सात साल से कम अवस्था का शिशु, कोई पशु या कोई मशीन) ऐसा व्यक्ति प्रधान अपराधी कहलाता है। द्वितीय श्रेणी का प्रधान वह है जो घटनास्थल पर उपस्थित रहकर प्रधान को अपराध कर्म में सहायता देता है या उसे प्रोत्साहित करता है। घटना से पूर्व का सहायक वह है जो प्रधान को अपराध करने को प्रोत्साहित करता है किंतु अपराध के समय उपस्थित नहीं रहता। घटना से पश्चात् का सहायक वह है जो यह जानते हुए कि किसी ने गुरुतर अपराध किया है, उसे शरण देता है या उसे भागने में सहायता पहुँचाता है। इस प्रसंग में स्मरणीय है कि राजद्रोह में जितने लोग संमिलित होते हैं, सबके सब प्रधान अपराधी होते हैं। दंड की गुरुता एवं लघुता की दृष्टि से उक्त श्रेणी करण उपयोगी है। जो निम्नलिखित है

2.4.2 मद्यपान (Alcoholism)

शराबीपन, मादक पेय पदार्थों के अत्यधिक और दोहराए जाने वाले पीने से इस हद तक कि पीने वाला बार-बार नुकसान पहुँचाता है या दूसरों को परेशान करता है। नुकसान शारीरिक या मानसिक हो सकता है; यह सामाजिक, कानूनी या आर्थिक भी हो सकता है।

मद्यपान की परिभाषा (Definition of alcoholism)

- मद्यपान भी एक बीमारी है जिसे कभी-कभी रोकथाम की रणनीतियों और शैक्षिक पहल के माध्यम से टाला जा सकता है। अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की तरह, कुछ लोग निवारक उपायों के बावजूद जोखिम लेते हैं और शराब का विकास करते हैं।

- ड्रगरेहेब डॉट कॉम को बताया, "अल्कोहलिज्म इस अर्थ में एक बीमारी है कि समय के साथ भारी निरंतर पीने के परिणामस्वरूप न्यूरोलॉजिकल या कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं"।
- लियोनार्ड ने कहा, "उन परिवर्तनों से एक ऐसी स्थिति बनती है जो शराब को लोगों के लिए अधिक सुखद अनुभव बनाती है।" "और इससे मस्तिष्क परिवर्तन होता है जो पीने पर नियंत्रण कमजोर करता है।"
- मद्यपान एक जटिल, कई-पक्षीय घटना है, और इसकी कई औपचारिक परिभाषाएं, परिभाषा के दृष्टिकोण के अनुसार बदलती हैं।
- एक सरलीकृत परिभाषा शराब को बाध्यकारी पीने के कारण होने वाली पुरानी बीमारी है। शराब की विशुद्ध रूप से औषधीय-शारीरिक परिभाषा इसे एक मादक पदार्थ की लत के रूप में वर्गीकृत करती है, जिसमें वांछित प्रभाव पैदा करने के लिए बढ़ती हुई खुराक की आवश्यकता होती है और जब पीने को रोक दिया जाता है, तो यह एक वापसी सिंड्रोम का कारण बनता है। हालांकि, यह परिभाषा अपर्याप्त है, क्योंकि शराबियों, अन्य नशीली दवाओं के आदी के विपरीत, शराब की बढ़ती खुराक की हमेशा जरूरत नहीं होती है। दूसरी ओर, अफीम का नशा करने वाले लोग दवा के इतने अधिक अनुकूल हो जाते हैं कि वे सामान्य घातक खुराक से सौ गुना अधिक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में शराबियों को अनुकूलित किया जाता है, वह शायद ही कभी एक सामान्य घातक खुराक से ऊपर हो। इसके अलावा, शराब में पीछे हटने वाले सिंड्रोम असंगत रूप से होते हैं, कभी-कभी एक ऐसे व्यक्ति में दिखाई देने में विफल होते हैं, जिन्होंने उन्हें पहले कभी अनुभव किया है और कुछ शराब पीने वालों में जिसका वे विनाशकारी व्यवहार करते हैं, अन्यथा यह उन लोगों से अलग नहीं है जो फार्माकोलॉजिकल रूप से शराब पर निर्भर हैं।

शराब की लत के कारण (Causes of Alcoholism)

शराब सहित अधिकांश नशे की लत पदार्थ, मस्तिष्क में खुशी और इनाम केंद्र को प्रभावित करते हैं। शराब इस प्रणाली में हेरफेर करती है, जो हमें उन व्यवहारों को दोहराने के लिए प्रेरित करती है जो हम आनंद लेते हैं। जब लोग आदी हो जाते हैं, तो उनके दिमाग शराब की इच्छा के लिए रासायनिक रूप से फिर से तैयार हो जाते हैं।

डॉ. केनेथ लियोनार्ड, एडिक्शन इंस्टीट्यूट ऑन एडिक्शन के निदेशक, ड्रगरहेब डॉट कॉम के अनुसार "हम जानते हैं कि लगभग 50 प्रतिशत जोखिम आनुवांशिक है," क्योंकि ऐसा लगता है "सबसे अच्छा भविष्यवक्ता वास्तव में कई पारिवारिक इतिहास है जैसे कि, कई जीन हैं जो जोखिम उठाते हैं।"

- i. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म के अनुसार, "कुछ लोगों को शराब की लत लगने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उनके दिमाग शराब के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कुछ प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य विकारों वाले व्यक्ति भी शराब के आदी हो सकते हैं। इन स्थितियों को सह-उत्पन्न विकारों के रूप में जाना जाता है जब वे शराब की लत के साथ मौजूद होते हैं।"

ii. जैविक कारण (Biological Reasons)

लंबे समय तक या बार-बार शराब का सेवन मस्तिष्क रसायन को बदल सकता है और शराब की लत का कारण बन सकता है। शराब की बीमारी सामान्य निर्णय और आत्म-नियंत्रण को बाधित करती है। यह लोगों को शराब के लिए तरसता है और मानता है कि उन्हें पीने के लिए किसी भी लम्बाई में जाना चाहिए।

शराब की लत शराब और शराब के उपयोग विकार के रूप में एक ही बात है। इन शब्दों का प्रयोग परस्पर किया जा सकता है। शराब के सेवन से तात्पर्य असुरक्षित तरीके से शराब पीने से है। शराब निर्भरता एक संबंधित शारीरिक स्थिति है जो शरीर में शराब मौजूद नहीं होने पर वापसी के लक्षणों का कारण बनती है, लेकिन यह शराब के समान नहीं है।

iii सोशल ड्रिंकिंग

सोशल ड्रिंकिंग सोशल सेटिंग में एक बार या रेस्तरां जैसी आकस्मिक शराब की खपत है। यह आम तौर पर विशेष अवसरों, जन्मदिन, शादी या नए साल की पूर्व संध्या पर होता है।

बहुत से लोग सामाजिक रूप से पीते समय आराम महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शराब मस्तिष्क समारोह, बदलते मूड और दुर्व्यवहार को प्रभावित करती है। यह मस्तिष्क में रिसेप्टर्स को बांधता है जो डोपामाइन के स्तर को बढ़ाता है, जो आनंद को सक्रिय करता है।

सोशल ड्रिंकिंग अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा है। हालांकि, सप्ताह में कई बार गतिविधि में संलग्न होना भारी पीने का रास्ता दे सकता है, जो पुरुषों के लिए एक दिन में चार या अधिक मादक पेय के रूप में परिभाषित किया जाता है और महिलाओं के लिए एक महीने में पांच या अधिक दिनों में तीन होता है।

अधिक शराब पीने से लोग अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में लिस हो सकते हैं।

2.4.3 नशीली दवाओं के प्रयोग (Use of Drugs and Drug-addiction)

मादक द्रव्यों के सेवन से तात्पर्य शराब या अवैध दवाओं सहित मनोवैज्ञानिक पदार्थों के हानिकारक या खतरनाक उपयोग से है। जो लोग उनका उपयोग करते हैं, और उनके परिवार और समुदायों के अन्य लोगों के लिए भी साइकोएक्टिव पदार्थों का उपयोग महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सामाजिक उत्पाद का कारण बनता है।

नशीली दवाओं का दुरुपयोग धीरे-धीरे युवाओं के बीच अपनी बुराई फैला रहा है। जबकि कुछ केवल एक मजेदार अभ्यास के साथ शुरू करते हैं, कुछ सहकर्मी दबाव के कारण इस लत में शामिल हो जाते हैं। कुछ इसे तनाव से बाहर निकालते हैं जबकि कुछ दवाओं का सेवन किए बिना ही उन्हें इसके बारे में बता देते हैं। दवाओं की खपत एक हद तक लत का कारण बनती है जो एक व्यक्ति स्वेच्छा से खुद को या खुद को दवाओं के आदान-प्रदान में बेचता है। हर साल, एक प्रसिद्ध रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में करीब 190 मिलियन लोग किसी न किसी चीज़ की लत के शिकार हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग ने निर्दोष और स्वस्थ जीवन जीने की दयनीय और अमानवीय तरीकों से मौत के घाट उतार दिया है।

2737 ईसा पूर्व चीन में वापस चिकित्सा उपयोग के लिए मारिजुआना के साथ, इतिहास के संदर्भ में दवाओं का उपयोग कोई नई बात नहीं है। केवल पश्चिम के अधिक समृद्ध देशों में औषधीय और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए दवाओं के सामाजिक निहितार्थ और व्यापक उपयोग "रोग" क्षेत्र में पहुंच गए हैं। ड्रग्स पर रोनाल्ड रीगन के युद्ध ने पश्चिमी सभ्यता के स्थापित आदेश की ओर बढ़ती चिंता के रूप में परिवर्तित राज्यों पर जवाबी संस्कृति की निर्भरता को उजागर किया। यह युद्ध, हालांकि, दृष्टि में अंत के बिना क्रोध जारी रखता है; स्वास्थ्य देखभाल, मनोरोग, सामाजिक नीति, अपराध विज्ञान, मानवाधिकार, राजनीति और यहां तक कि अर्थशास्त्र में पहुंच के साथ नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक सामाजिक घटना है।

संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं के उपयोग पर नवीनतम रिपोर्ट ने 2009 में भारत और नाइजीरिया में किए गए गहन सर्वेक्षणों की बदौलत दुनिया भर के लगभग 35 मिलियन लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन के साथ नशीले पदार्थों की खपत के संबंध में 30 प्रतिशत की वृद्धि का खुलासा किया।

एफे ने रिपोर्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने पदार्थ के दुरुपयोग के स्वास्थ्य और आपराधिक प्रभाव से निपटने के लिए आगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर अलार्म उठाया है।

"इस वर्ष की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के निष्कर्ष ड्रग चुनौतियों की वैश्विक तस्वीर को और अधिक जटिल करते हैं, आपूर्ति और डी के लिए संतुलित और एकीकृत स्वास्थ्य और आपराधिक न्याय प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं" और, "यूरी फेडोटोव, कार्यकारी ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के निदेशक ने कहा।

फेडोटोव ने कहा, "भारत और नाइजीरिया के शोध और अधिक सटीक आंकड़ों के साथ, दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में - हम देखते हैं कि पहले की तुलना में किसी भी अधिक ओपियोड उपयोगकर्ता और ड्रग उपयोग विकार वाले लोग हैं," फेडोटोव ने कहा।

भारत में 2018 में सर्वेक्षण और 2017 में नाइजीरिया ने अपने क्षेत्र के लिए इस तरह के विशाल जनसांख्यिकी के कारण दवा की खपत में महान अंतर्दृष्टि की पेशकश की है। अकेले एशिया में भारत की आबादी 30 फीसदी है।

नशा मुक्ति का उपाय (Solution to Drug-Addiction)

एक बार जब आप इस लत के शिकार हो जाते हैं, तो खुद को इससे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, गैर-सरकारी संगठन, अस्पताल, संस्थान हैं जो नशे के शिकार पीड़ितों को उनकी लत से उबरने और उनका सामना करने में मदद करते हैं।

- मदद के लिए पूछें (Ask for Help)- यदि आप नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार हैं, तो शर्म न करें। कृपया अपनी समस्या किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जो इस स्थिति से बाहर आने में आपकी मदद कर सकता है। अधिकांश युवा ऐसे नाजुक मुद्दों पर अपने माता-पिता के सामने खुलने से डरते हैं, ऐसे समय में परिवार के कुछ बड़े सदस्यों से बात करें, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में जाल से बाहर आना चाहते हैं, तो आपके द्वारा मदद मांगने के लिए लड़ाई शुरू करें।
- कहो ना (Ask 'NO') - अक्सर यह पाया जाता है कि कई युवा साथियों के दबाव के कारण ड्रग्स के जाल में गिर जाते हैं। रोकथाम हमेशा बेहतर होता है कि ठीक हो जाए और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि सहकर्मी दबाव को कैसे संभालना है और कहा कि "नहीं" जब आपको करना है। अच्छे और बुरे, सही और गलत, दोस्तों और दुश्मनों के बीच चुनाव अक्सर कठिन होता है लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं।
- चिकित्सा सहायता लें (Medical Help)- कभी-कभी आपकी मानसिक बीमारी इस जीवन को व्यसन में ले जाती है क्योंकि दवाओं का सेवन आपको अपने जीवन की कठोर वास्तविकता को कुछ समय के लिए भूल जाता है। ऐसे मामलों में, चिकित्सा सहायता लेना वास्तव में आपको आपकी बीमारी का मूल कारण प्रदान कर सकता है जिससे आपकी लड़ाई बहुत आसान हो जाती है।

- परिणामों को जानें (**Know the results**) - शारीरिक और सामाजिक परिणामों के साथ अच्छी तरह से वाकिफ रहें, जो इस लत को आपकी ओर ले जा रहा है। डिसऑर्डर्स के बारे में जागरूक होना, आपको ड्रग्स से दूर रख सकता है, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि इस लड़ाई में दृढ़ इच्छा शक्ति का बहुत महत्व है।

नशीली दवाओं का दुरुपयोग पूरी दुनिया में एक सामान्य घटना है। यह तब तक सामान्य लगता है जब तक कि आप अपने प्रियजन को बदसूरत स्थिति में फंसा नहीं पाते। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की गंभीरता ऐसी है कि न केवल व्यक्ति बल्कि उस व्यक्ति का परिवार भी पीड़ित है। अपने जीवन से बाहर एक और रात मस्ती से ली गई एक दवा कई जीवन में एक बड़ी उथल-पुथल ला सकती है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था।

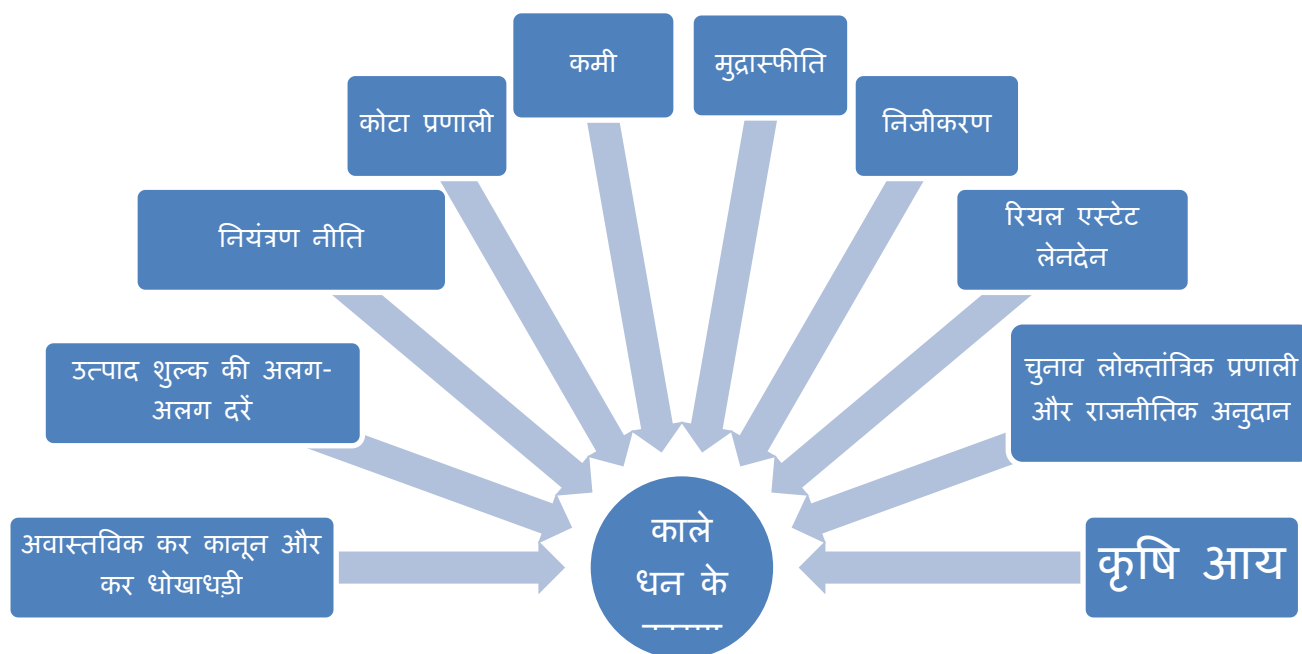
यदि आपका कोई दोस्त या परिवार के सदस्य मादक पदार्थों की लत में हैं या भले ही वे मजे की कोशिश कर रहे हों, तो सुनिश्चित करें कि आप उन्हें रोकें। पीढ़ी में युवा भीड़ का हिस्सा होने के नाते यह आपका अधिकार, जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि नशाखोरी नामक बुराई से लड़ें।

2.4.4 काला धन (**Black-money**)

काला धन अवैध रूप से अर्जित धन को संदर्भित करता है या कर उद्देश्यों के लिए घोषित नहीं किया जाता है। लोकप्रिय प्रतिमानों में, काले धन को बेहिसाब, अपरिवर्तित, बिना लाइसेंस या संख्या 2 (Number two) के रूप में भी जाना जाता है।

काले धन के कारण (**Causes of Black Money**)

भारत में काले धन के दस मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:--



i. अवास्तविक कर कानून और कर धोखाधड़ी (**Unrealistic Tax Laws and Tax Frauds**)

करों (Taxes) और कर्तव्यों (Duties) में वृद्धि कुछ लोगों को उन्हें खाली करने के लिए मजबूर करती है। वर्तमान नियम (सितंबर 1999) ₹ की सीमा निर्धारित करते हैं। आयकर लगाने के लिए निःशुल्क-आय के रूप में 50,000 (20,000 ₹ के मानक कटौती को छोड़कर)। इस मंहगाई के दौर में एक मध्यवर्गीय व्यक्ति सीमा के भीतर जीवित रह सकता है, विचारणीय है।

ii. उत्पाद शुल्क की विभिन्न दरें (**Different Rates of Excise Duty**)

समान उत्पादों के भीतर, उत्पाद शुल्क की अलग-अलग दरें हैं। उदाहरण के लिए- कपड़ा और सिगरेट में, यह आउटपुट के गलत वर्गीकरण के माध्यम से कर-चोरी की ओर जाता है। वस्त्रों में, विभिन्न किस्मों के कपड़े के लिए उत्पाद-शुल्क की अलग-अलग दरें भी ली जाती हैं। उत्पादकों ने उत्पाद-शुल्क की कम दरों का भुगतान करने के लिए एक उत्पाद को नियमित रूप से डाउनग्रेड किया। यह अकेले ₹1,000 करोड़ काले धन में प्रति वर्ष

1,000 करोड़ स्टील सहित पूरे विनिर्माण क्षेत्र के लिए, उत्पाद शुल्क कस्टम और बिक्री करों में हर साल काले धन में 50,000 करोड़ ₹ में चोरी हैं।

iii. नियंत्रण नीति (Control Policy)

काले धन का एक और कारण सरकार की मूल्य नियंत्रण नीति है। नियंत्रण के लिए वस्तुओं का चयन करने और उनकी कीमतें निर्धारित करने में, सरकार मांग और आपूर्ति में शामिल लोच को ध्यान में रखने में विफल रहती है।

उदाहरण के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर) की वर्ष 1981 की रिपोर्ट के अनुसार, काला धन ₹ भारतीय अर्थव्यवस्था में १९६५-६६ से १९८४ की अवधि में ६३० करोड़ का निर्माण छह वस्तुओं, अर्थात्, सीमेंट, स्टील, कागज, वनस्पती, ऑटोमोबाइल-टायर और उर्वरकों में मूल्य नियंत्रण के संचालन के परिणामस्वरूप किया गया था। ।

iv. कोटा प्रणाली (Quota System)

फिर भी काले धन का एक अन्य स्रोत कोटा प्रणाली है। आयात कोटा, निर्यात कोटा और विदेशी मुद्रा कोटा का आमतौर पर प्रीमियम पर बेचकर दुरुपयोग किया जाता है। अवास्तविक नियंत्रण एक संस्कृति को नियंत्रित करता है जो कॉर्पोरेट को कर कानूनों, विशेष रूप से फेरा कानूनों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब सरकार कुछ साल पहले (1992-93) एक सीमा शुल्क के भुगतान के बिना निर्यातकों को माल आयात करने की अनुमति देने के लिए एक योजना के साथ सामने आई, तो इस योजना से बाहर पैसा बनाने के लिए सरल तरीके यानी ओवर-इनवॉइसिंग निर्यात के माध्यम से तैयार किए गए। 1992-96 के दौरान, अधिक आयात लाभ प्राप्त करने और साथ ही निर्यात को दिए गए कर-सेटों का लाभ उठाने आदि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और सीमा शुल्क अधिकारियों ने 605 ऐसे मामलों का पता लगाया।

v. कमी (Scarcity)

काला धन भी बिखराव और दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण होता है। जब आवश्यक सामान दुर्लभ हो जाते हैं, तो लोगों को नियंत्रित मूल्य से अधिक भुगतान करना पड़ता है, जिससे काला धन उत्पन्न होता है। रसोई गैस, सीमेंट, मिट्टी का तेल, चीनी, रिफाईंड तेल आदि की कमी के कारण हमेशा से नाजायज लेन-देन और काला धन होता रहा है।

vi. मुद्रास्फीति (Inflation)

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, पेट्रोल आदि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, सरकार द्वारा लगाए गए कर्तव्यों और करों में उच्च-वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, गैर-सम्मोहन के साथ लोगों द्वारा प्रेरित षड्यंत्र, उत्पादन से सट्टा करने के लिए संसाधनों को विचलन करना। इसके कारण मुद्रास्फीति होती है जो बदले में काला धन पैदा करती है।

vii. एक लोकतांत्रिक प्रणाली और राजनीतिक अनुदान में चुनाव (Elections in a Democratic System and Political Funding)

देश के प्रत्येक चुनाव में हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, एक उम्मीदवार आम तौर पर दस लाख रुपये से अधिक खर्च करता है और चुनाव लड़ने के लिए, एक व्यक्ति वर्तमान समय में 5 लाख रुपये से अधिक खर्च करता है।

यह अनुमान लगाया जाता है कि अकेले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल लगभग चुनाव खर्च के लिए 1,000 करोड़ रु खर्च कर सकते हैं। राजनेताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों को पुष्ट (nourish) करने के लिए व्यावसायिक संसाधनों को आकर्षित करने की भी आवश्यकता है। मनमौजी संख्या को देखते हुए, काला धन स्वाभाविक रूप से सिस्टम में बनाया गया है।

राजनेताओं की फंडिंग के लिए, यहां तक कि ईमानदार कॉर्पोरेट घरानों के पास बे-हिसाब धन कमाने के तरीके खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चूंकि किसी उम्मीदवार के लिए कानून द्वारा अनुमत व्यय सीमित है और कंपनियों को अपने लाभ का 5 प्रतिशत तक चुनावों के लिए राजनीतिक दलों को दान के रूप में देने की अनुमति है, चुनाव आम तौर पर काले धन धारकों द्वारा वित्तपोषित होते हैं।

ये लोग राजनीतिक संरक्षण और आर्थिक रियायतों की अपेक्षा करते हैं, जो कि वस्तुओं पर कृत्रिम नियंत्रण के रूप में सत्ता में राजनीतिक अभिजात वर्ग की सहमति और सहमति के साथ प्राप्त होती हैं, वितरण के साधनों में शिथिलता आदि। ये सभी विधियाँ काला धन पैदा करती हैं।

viii. रियल एस्टेट लेनदेन(Real Estate Transaction)

एस्टेट लेनदेन काले धन को उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन दिनों में, घर और / या जमीन खरीदना बहुत लाभदायक माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कृषि भूमि को शहरी आवासीय भूमि में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में निर्माण स्थलों की संख्या कम है।

2.5 स्वयं-प्रगति जाँच (Check your Progress)

➤ अतिरिक्त गतिविधियाँ

गतिविधि 1:

आपने दैनिक खबर पर या कोई वीडियो/अन्य खबर देखा होगा जिसमें एक बच्ची को उसकी माँ के साथ सुरक्षित पड़ोस में चलते हुए दिन के उजाले में अपहरण कर लिया गया था। सौभाग्य से, लड़की को बचा लिया गया है।

- आपको कैसे लगता है कि यह घटना भविष्य में उसकी माँ के व्यवहार को बदल देगी?
- उसकी दुनिया के प्रति धारणा कैसे बदलेगी?

- किस तरह से अपराध की शिकार होने की यह व्यवहारिक घटना माँ के बाकी जीवन को बदल देगी?
- दो-तीन पैराग्राफ लिखिए जिसमें बताया गया है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों में उसका जीवन कैसे बदल सकता है।

गतिविधि 2:

रिक्त स्थान भरो

- समृद्ध देशों में औषधीय और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए दवाओं के..... और व्यापक उपयोग "रोग" क्षेत्र में पहुंच गए हैं।
-उन तरीकों को संदर्भित करती है, जिसमें पिछली क्रियाएं या घटनाएं किसी व्यक्ति या समूह के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करती हैं।
- नशीली दवाओं काएक सामाजिक घटना है।
- एक सामाजिक घटना लगभग हर पहलू में..... को प्रभावित करती है।
- काला धन भीसार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण होता है।

कृपया उत्तर की पड़ताल पाठ के अंतिम हिस्से 2.9 में करें।

2.6 सारांश (Summary)

सामाजिक घटनाओं में सभी व्यवहार शामिल होते हैं जो एक दूसरे को प्रतिक्रिया देने के लिए जीवों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित या प्रभावित होते हैं। सामाजिक घटनाओं की विविधता के कारण, उन्हें गतिविधि द्वारा अलग करने की प्रथा है। एक पूर्ण वर्गीकरण का हवाला देना समस्याग्रस्त है। उनके आवेदन क्षेत्रों के रूप में कई क्षेत्र हैं। सबसे सरल अर्थों में, एक ऐतिहासिक सामाजिक घटना उन तरीकों को संदर्भित करती है, जिसमें पिछली क्रियाएं

या घटनाएं किसी व्यक्ति या समूह के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में, अपराध और हिंसा के अन्य कार्य अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हैं जब यह कुछ विषयों पर हमारे व्यवहार या राय को आकार देने के लिए आता है। हमारे द्वारा उपयोग किए गए उदाहरण में- एक व्यक्ति का व्यवहार, आपके प्रति एक आपराधिक कार्य, ने आपकी शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा की भावना को प्रभावित किया है, और उस तरीके को बदल दिया है जो वे उस बिंदु से आगे व्यवहार करेंगे और सोचेंगे। काला धन भी बिखराव और दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण होता है। जब आवश्यक सामान दुर्लभ हो जाते हैं, तो लोगों को नियंत्रित मूल्य से अधिक भुगतान करना पड़ता है, जिससे काला धन उत्पन्न होता है।

2.7 संकेतक शब्द (Keywords)

- सामाजिक घटना :सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप होने वाला
- लिंग भेदभाव:व्यक्तित्व लक्षणों में लिंग भेद
- जातिवाद:यह विचारधारा या सिद्धान्त कि हमारी अथवा अमुक जाति, और सब जातियों की तुलना में श्रेष्ठ है।
- फार्माकोलॉजिकल: जिसका संबंध दवाइयों की उपलब्धता, वितरण, इस्तेमाल और इससे जुड़ी समस्याओं से है
- धार्मिक भेदभाव : धार्मिक समूहों के खिलाफ उत्पीड़न और भेदभाव
- सांस्कृतिक भेदभाव:सांस्कृतिक वातावरण व पारंपरिक वातावरण के खिलाफ उत्पीड़न

2.8 स्वयं - मूल्यांकन परीक्षा (Self-Assessment Questions)

- क्या आपने कभी जातिवाद, लिंग भेदभाव, धार्मिक भेदभाव या सांस्कृतिक भेदभाव का अनुभव किया है? यदि हां, तो यह आपके विचारों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करता है?

- क्या आपने बहुत उच्च स्तर पर प्रदर्शन करके नकारात्मक रूढ़ियों को गलत साबित करने की कोशिश की है?
- क्या आपने अनजाने में स्टीरियोटाइप खतरे के आगे घुटने टेक दिए हैं, जिसमें एक व्यक्ति अनजाने में एक स्टीरियोटाइप के अनुरूप होता है जिसे समाज एक दिए गए समूह के बारे में रखता है?
- एक समूह के खिलाफ आयोजित होने वाली नकारात्मक रूढ़ियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे आप संबंधित हैं?
- क्या सकारात्मक रूढ़ियाँ हानिकारक हैं? यदि हां, तो कैसे?
- इन मुद्दों पर अपने विचारों की जांच करें और इन सवालों और अपने प्रतिबिंबों के बारे में आपके विचारों का वर्णन करते हुए एक जर्नल प्रविष्टि लिखें कि पूर्वाग्रह की सामाजिक घटना लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है।
- सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का महत्व क्या है ? अपने शब्दों में उस पर प्रकाश डालिये।

2.9 प्रगति-समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें (Answers to check your progress)

- i) सामाजिक निहितार्थ
- ii) ऐतिहासिक सामाजिक घटना
- iii) दुरुपयोग
- iv) समाज
- v) बिखराव और दोषपूर्ण

2.10 सन्दर्भ / सहायक अध्ययन-सामग्री (Other Suggested Readings)

- i. Sociology: An Introduction by Smelser, Neil, J., Wiley Eastern Private Limited

- ii. Sociology: Principles of sociology with an introduction to social thought by Shanker Rao C.N., S. Chand and Company.
- iii. Samajshastra (Hindi), M.L.Gupta & D. D. Sharma, Sahitya Bhawan Publications, Agra
- iv. History of Social thought by K.Singh, Prakashan Kendra, Lucknow.

Subject: Sociology (Social Problems in India)	
Course Code: SOCL 202	Author: Dr. Shakuntla Devi
Lesson No.-03	Updated By: self
सामाजिक समस्याओं के अध्ययन-II (Study of Different Social Problems-II)	

अध्याय-संरचना

3.1 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

3.2 परिचय (Introduction)

3.3 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

3.3.1 बाल- अपराध दोष /अपचार / बाल-कर्तव्यच्युत (Delinquency)

3.3.2 जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की परिभाषा (Definitions of Delinquency)

3.3.3 जोखिम कारक और किशोर अपराधी (Risk Factors and Predictors of Juvenile Delinquency)

3.3.4 जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से निपटना (Dealing with Juvenile Delinquency)

3.3.5 जुवेनाइल डिलेक्वेंसी को रोकना (Prevention of juvenile Delinquency)

3.3 .6 बाल- दुर्व्यवहार (Child- Abuse)

- a) बाल शोषण और उपेक्षा के जोखिम कारक (Risk factors for child abuse and neglect)
- b) बाल उपेक्षा (Child neglect)
- c) शारीरिक शोषण (Physical abuse)
- d) मिथ, तथ्य और बाल दुर्व्यवहार (Myths and Facts of child abuse)

3.4 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

3.4.1 आत्महत्या (Suicides)

- i) आत्महत्या पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण (Sociological perspectives on suicide)
- ii) आत्महत्या के प्रकार (Types of Suicide)
- iii) दुर्खीम के सिद्धांत का महत्वपूर्ण मूल्यांकन (Critical evaluation of Durkheim's theory)

3.5 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)

3.6 सारांश (Summary)

3.7 संकेतक शब्द (Keywords)

3.8 स्वयं-मूल्यांकन परीक्षा (Self-Assessment Questions)

3.9 प्रगति-समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें (Answers to check your progress)

3.10 सन्दर्भ/सहायक अध्ययन-सामग्री (Other Suggested Readings)

3.1 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत तक, आप निम्न योग्य होंगे :--

- a) बाल- अपराध, दोष /अपचार, बाल उपेक्षा, शारीरिक शोषण, बाल शोषण और उपेक्षा के जोखिम कारकों के विषय में जानेंगे।
- b) आत्महत्या, आत्महत्या के प्रकार, आत्महत्या पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण समझेंगे।

3.2 परिचय (Introduction)

अपराध एक बहुत पुरानी अवधारणा है और यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी समाज में प्रसारित होती है। यह अपराध और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करता है। यह एक सामाजिक बुराई है। यह समाज द्वारा उत्पन्न होता है और समाज अपने सदस्यों द्वारा किए गए अपराध के कारण बहुत पीड़ित होता है। अपराध की बढ़ती लहर के कारण किसी भी समाज /जनता को खतरे में डाल दिया जाता है।

कोई भी दिन सुरक्षित नहीं है। दुनिया अपराधियों से भरी हुई है और दिन-प्रतिदिन बाहर दुनिया में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास के साथ अपराध करते समय अपराधी, वैज्ञानिक-तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं और उपयोग की गई तकनीकों से जनता और पुलिस भी चकित हो गई है।

अपराधियों के द्वारा लगातार अपराध करने और निरंतर अपराध-संचालन के कारण समाज की शांति और खुशी खतरे में है। जब अपराधियों को दंडित नहीं किया जाता है तो उन्हें अधिक अपराध करने के लिए प्रोत्साहन मिलता जाता है। इस युग में विशेष रूप से शिक्षित और अशिक्षित युवाओं के बेरोजगारी के व्यापक पैमाने पर आसान पैसे कमाने के लिए अपराध करते हैं।

परिवार के भीतर संपत्ति के वितरण के लिए धन, संपत्ति और धन-विवादों के लिए कई अपराध किए जाते हैं। एक बेटा अपने पिता को मारता है, एक भाई अपने भाई की हत्या करता है या एक भाई, अपनी भाभी और उसके नाबालिग बच्चों की हत्या करता है।

हर समाज में, समाज और संस्कृति द्वारा अनुमोदित व्यवहार के कुछ स्वीकृत पैटर्न होते हैं। एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ नियमों, कानूनों और नियमों के स्वीकृत पैटर्न का पालन करते हुए, व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। भारत में लगभग 187 संज्ञेय अपराध और 443 अपराध होते हैं। जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, या समाज में उसे अपराध करने के लिए उकसाया जाता है तो आईपीसी के तहत स्थानीय और विशेष कानूनों के तहत दंडित किया जाता है।

3.3 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

3.3.1 बाल- अपराध दोष /अपचार /कर्तव्यच्युत (Delinquency)

आमतौर पर अपराध, वयस्कता की कानूनी उम्र के तहत किशोरों द्वारा किए गए आपराधिक व्यवहार का मतलब माना जाता है। अब किशोर अपराधी की धारणा सर्वव्यापी है, उन्नीसवीं शताब्दी के अंत से पहले किशोर और वयस्कों के बीच कुछ कानूनी भेद किए गए थे। अब यहां तक कि बचपन भी एक अपेक्षाकृत आधुनिक अवधारणा है।

बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में शिकागो में सुधारकों के एक समूह ने बच्चों को लघु-वयस्कों के रूप में मानने की परंपरा से तोड़ कर, पहली किशोर अदालत का निर्माण किया। प्रेरक विचार यह था कि बच्चों को विशेष किशोर-अदालत की आवश्यकता थी और उनके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए अमेरिकी वयस्कों ने आदर्शों का निष्पक्षता से उल्लंघन किया था। किशोर न्यायालय को परेशान युवाओं के लिए एक माता-पिता के रूप में कार्य करना था, जिन युवाओं के स्वयं के परिवार नियंत्रित नहीं कर सकते थे, 'माता पिता के पैटर्न' (Parents patterns) के सिद्धांत ने अपराधों के रोक के लिए न केवल किशोरों के व्यवहार में गहन बदलाव लाए, बल्कि तथाकथित 'स्टेटस' वाले अपराधों की एक सीमा जैसे ट्रुएन्सी (Truancy-भाग जाना), आसान पैसे कमाने के लिए अपराध का उपयोग, यौन गति, तंबाकू का उपयोग और कफ्यू उल्लंघन के लिए भी अपराध और अवैध व्यवहार करते हैं। यद्यपि स्थिति अपराधों के बजाय अपराधीता के अधिकांश सिद्धांत अपराधी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किशोरों के दुर्व्यवहार की एक पहचान उनके बहुमुखी प्रतिभा का होना है।

आमतौर पर नाबालिग बच्चे द्वारा उम्र 10 और 17 साल के बीच ही अवैध व्यवहार या गतिविधियों में भागीदारी की जाती है। किशोर-अपराधी का उपयोग उन बच्चों को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है जो शरारती या अवज्ञा का लगातार व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसलिए माता-पिता के नियंत्रण से बाहर माना जाता है और वह अदालत प्रणाली द्वारा कानूनी कार्यवाई के अधीन हो जाता है। किशोर-अपराधी को "किशोर-अपराध" करने के रूप

में भी जाना जाता है और कानून तोड़ने वाले किशोरों के साथ निपटने के लिए प्रत्येक राज्य में एक अलग कानून प्रणाली है। इस अवधारणा का पता लगाने के लिए किशोर विलंबता की निम्नलिखित परिभाषा पर विचार करेंगे।

3.3.2 जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की परिभाषा (Definition of Delinquency)

- एक नाबालिग बच्चे का व्यवहार जो आपराधिक गतिविधियों, निरंतर असामाजिक व्यवहार या अवज्ञा से चिह्नित होता है, जिसे बच्चे के माता-पिता नियंत्रित नहीं कर पाते हैं।
- एक नाबालिग द्वारा कानून का उल्लंघन, जो मौत या उम्रकैद से दंडनीय नहीं है।

किशोर अपराधी तब होता है जब कोई नाबालिग किसी आपराधिक गतिविधि का उल्लंघन करता है। जब एक किशोर अपराध करता है, तो जो प्रक्रियाएँ होती हैं, वे एक वयस्क अपराधी से भिन्न होती हैं। विशेष रूप से सभी राज्यों में, अपराधियों से निपटने के लिए किशोर न्यायालय प्रणाली और किशोर निरोध सुविधाएं कम हैं। हालांकि 17 साल से कम उम्र के लोगों को अवयस्क मानना राज्य के कानून के लिए आम बात है न्याय व्यवस्था नाबालिगों को वयस्क होने पर भी चार्ज कर सकती है, अगर अपराध बहुत गंभीर है।

a) किशोर अपचारी (Juvenile Delinquents)

किशोर अपराधी को अक्सर 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्होंने आपराधिक कृत्य किया है। अपराधी के दो मुख्य प्रकार होते हैं: अपराधी और उम्र के विशिष्ट अपराधी।

c) बार-बार अपराधी (Repeat Offenders)

बार-बार आने वाले किशोर अपराधियों को "जीवन-क्रमिक अपराधी" के रूप में भी जाना जाता है। किशोरावस्था के दौरान इन किशोर-किशोरियों के असामाजिक व्यवहार के अन्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बार-बार अपराधी वयस्क होने के बाद भी आपराधिक गतिविधियों या आक्रामक व्यवहार में संलग्न रहते हैं।

d) आयु-विशिष्ट अपराधी (Age-Specific Offenders)

किशोरावस्था के दौरान इस तरह के किशोर अपराधी-व्यवहार की शुरुआत होती है। हालांकि, दोहराने वाले अपराधियों के विपरीत, नाबालिग के वयस्क होने से पहले आयु-विशिष्ट अपराधी के व्यवहार समाप्त हो जाते हैं।

किशोरावस्था के दौरान एक किशोर द्वारा दिखाए जाने वाले व्यवहार अक्सर अपराधी बनने के प्रकार का एक अच्छा संकेतक होते हैं। जबकि उम्र-विशेष के अपराधी वयस्क होने पर प्रवेश करने के बाद अपने अनुचित व्यवहार को पीछे छोड़ देते हैं, वे अक्सर अधिक मानसिक समस्याएं वाले होते हैं, मादक द्रव्यों के सेवन में संलग्न होते हैं, और उन वयस्कों की तुलना में अधिक वित्तीय और स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जो किशोर के रूप में कभी भी अपराधी नहीं थे।

3.3.3 जोखिम कारक और किशोर अपराधी (Risk Factors and Predictors of Juvenile Delinquency)

कई बच्चे किशोर अपराधी के लेबल को अक्सर 6 और 12 साल की उम्र के बीच जल्दी पकड़ लेते हैं। पूर्व-किशोर और किशोरावस्था के दौरान कई किशोर-व्यवहार बच्चों के लिए सामान्य व्यवहार माना जा सकता है क्योंकि वे अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं हालाँकि अपनी आत्म-धारणा को विकसित करने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बच्चे को कुछ संकेत द्वारा एक बुरी दिशा में नेतृत्व किया जा सकता है। अक्सर किशोर-अपराधी की संभावना पूर्व-स्कूली के रूप में जल्दी दिखाई दे सकती है, इसमें निम्नलिखित कारक शामिल हैं:--

- भाषण और भाषा जैसे बुनियादी कौशल का असामान्य या धीमा विकास
- नियमों का लगातार उल्लंघन
- अन्य छात्रों या शिक्षकों के प्रति गंभीर आक्रामक व्यवहार

अध्ययनों में पाया गया है कि कई जीवन परिस्थितियां एक बच्चे के लिए किशोर अपराधी बनने का जोखिम कारक बनती हैं। हालांकि ये कई और विभिन्न प्रकार के हैं, किशोर अपराधी के लिए सबसे आम जोखिम कारक निम्नलिखित हैं:--

- i. आधिकारिक पेरेंटिंग (**Authoritarian Parenting**) - माता-पिता के कठोर अनुशासनात्मक तरीकों के उपयोग की विशेषता है, और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को सही ठहराने से इनकार करते हैं, इसके अलावा "क्योंकि मैंने ऐसा कहा था।"
- ii. पीयर एसोसिएशन (**Peer Association**) - आम तौर पर किशोरों को अपने सहकर्मी समूह के साथ बिना जानें, छोड़ने के परिणामस्वरूप एक बच्चे को निम्न सामाजिक स्थिति में बुरे व्यवहार में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहन मिलता जाता है।
- iii. अनुमय पेरेंटिंग (**Permissive Parenting**)- बुरे व्यवहार के लिए विशेष कमी की अनुमय पेरेंटिंग परिणामों को दो उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
 - उपेक्षित पेरेंटिंग (neglectful parenting), जो एक बच्चे की गतिविधियों की निगरानी में कमी है, और
 - लिटिल पेरेंटिंग (Indulgent parenting,) जो सक्षम है खराब व्यवहार, खराब स्कूल का प्रदर्शन (Poor School Performance), पीयर रिजेक्शन (Peer Rejection), एडीएचडी और अन्य मानसिक विकार (ADHD and other mental disorders)

3.3.4 जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के समाधान (**Solutions to Juvenile Delinquency**) or

जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से निपटना (**Dealing with Juvenile Delinquency**)

किशोर न्याय प्रणाली में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वयस्क अपराधियों के तुलना में बहुत भिन्न होती है। प्रत्येक राज्य में विशिष्ट कार्यक्रम या सिस्टम होते हैं जो किशोर अपराधियों से निपटते हैं। किशोर अपराधी

कई तरीकों से पुलिस के संपर्क में आते हैं। कुछ को अपराध करते हुए पकड़ा जाता है और गिरफ्तार किया जाता है, अन्य को माता-पिता या स्कूल के अधिकारियों द्वारा पुलिस गिरफ्त में भेजा जाता है। एक बार जब पुलिस शामिल हो जाती है, तो वे कई तरीकों से किशोर अपराधी से निपटने का विकल्प चुन सकते हैं। पुलिस निम्नलिखित कर सकती है:--

- एक चेतावनी और नाबालिग की रिहाई जारी करें।
- नाबालिग को हिरासत में लें और माता-पिता को उसे लेने के लिए सूचित करें।
- मामले को किशोर न्यायालय में देखें।
- नाबालिग को गिरफ्तार करें और मामले को किशोर न्यायालय में भेजें।

अगर मामला अदालत में जाता है तो नाबालिग और माता-पिता एक किशोर अदालत के सेवा-अधिकारी के साथ मिलते हैं। इंटैक ऑफिसर अनौपचारिक रूप से मामले को संभाल सकता है, किशोर को एक पर्यवेक्षक अधिकारी को संदर्भित कर सकता है, वह मामले को खारिज कर सकता है, या वह औपचारिक आरोप दायर कर सकता है। यह तय करने के लिए कि आरोप क्या दाखिल करना है, अधिकारी अक्सर निम्न विचार करते हैं:--

- अपराध (Nature of the offense)
- अपराधी की उम्र (The offender's age)
- अपराधी का पिछला रिकॉर्ड (The offender's previous record)
- अपराधी का शैक्षिक या सामाजिक इतिहास (The offender's educational or social history)
- अपराधी के व्यवहार को नियंत्रित करने या मदद लेने के लिए माता-पिता की क्षमता (The ability of the parents to control the offender's behavior or seek help)

यदि अनौपचारिक रूप से निपटा जाता है, तो एक पर्यवेक्षक अधिकारी को मामूली रिपोर्ट करता है, और सलाह दी जाती है और सामुदायिक सेवा करने, जुर्माना भरने, उपचार में भाग लेने या परिवीक्षा होम (Observation Home) में प्रवेश करने का आदेश दिया जाता है।

यदि किशोर न्यायालय में आरोप दायर किए जाते हैं तो नाबालिग को आरोपित किया जाता है, जिस समय एक न्यायाधीश के समक्ष उसके आरोप पढ़े जाते हैं। जज तब फैसला करता है कि सुनवाई शुरू होने तक किशोर को हिरासत में रखा जाए या रिहा किया जाए। अदालत में पेश होने के बाद, निम्न तीन चीजें संभव हैं:--

- याचिका समझौता (**Plea-Agreement**) - नाबालिग अदालत के साथ एक याचिका समझौते में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए अक्सर किशोर को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है, जैसे परामर्श में भाग लेना, घरबंदी का पालन करना या पुनर्स्थापना का भुगतान करना।
- डायवर्सन (**Diversion**) - जज मामले को डाइवर्ट कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वह मामले पर तब तक नियंत्रण बनाए रखता है जब तक कि किशोर उपचार कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता है या सामुदायिक सेवाओं को पूरा नहीं करता है। यदि किशोर पालन करने में विफल रहता है तो औपचारिक शुल्क बहाल किए जा सकते हैं।
- सहायक सुनवाई (**Adjudicatory Hearing**)- न्यायाधीश एक न्यायिक सुनवाई करने का निर्णय ले सकता है, जो एक किशोर मामले में सुनवाई है। जबकि दोनों पक्ष केस की बहस करते हैं।

3.3.5 जुवेनाइल डिलेक्वेन्सी को रोकना (**Prevention of Juvenile Delinquency**)

किशोर अपराध की रोकथाम में जोखिम वाले युवाओं, उनके परिवारों और जनता की सेवा की जाती है, क्योंकि यह बाल अपराधियों को वयस्क अपराधियों के संक्रमण से रोक सकता है। कई सरकारी

और निजी एजेंसियों द्वारा रोकथाम सेवाओं की पेशकश की जाती है, और इस तरह की निम्न सेवाएं हैं:--

- मादक द्रव्यों के सेवन का उपचार
- परिवार परामर्श
- व्यक्तिगत परामर्श
- पेरेंटिंग एजुकेशन
- परिवार नियोजन सेवाएँ
- शिक्षा की उपलब्धता और शिक्षा प्राप्त करने में नाबालिगों का प्रोत्साहन, किशोर अपराधी की रोकथाम में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देती है और सभी उम्र के बच्चों को अच्छे विकल्प बनाने और आत्म-नियंत्रण का अभ्यास करने में मदद करती है।

जुवेनाइल जस्टिस एंड डेलिनक्वेंसी प्रिवेंशन ("OJJDP") का कार्यालय सिर्फ एक एजेंसी है जो संसाधनों को किशोर अपराध पर शोध करती है। रोकथाम और पुनर्वास कार्यक्रम दोनों प्रदान करती है। एजेंसी कम उम्र के नाबालिगों पर मादक द्रव्यों के सेवन को कम करने और गिरोह के प्रभाव को कम करने की दिशा में भी काम करती है।

3.3.6 बाल-दुर्व्यवहार (Child abuse)

बाल दुर्व्यवहार तब होता है जब माता-पिता या देखभाल करने वाला, चाहे कार्रवाई के माध्यम से या कार्य करने में विफल हो, चोट, मृत्यु, भावनात्मक नुकसान या बच्चे के गंभीर खतरे का कारण बनता है। बाल-उत्पीड़न के कई रूप हैं, जिनमें उपेक्षा, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, अन्य-शोषण और भावनात्मक शोषण शामिल हैं।

बाल शोषण और उपेक्षा के जोखिम कारक (Risk factors for child abuse and neglect)

जबकि सभी प्रकार के परिवारों में दुर्यवहार और उपेक्षा होती है, बच्चों को कुछ स्थितियों में बहुत अधिक जोखिम होता है। जो निम्नलिखित हैं:---

- **घरेलू हिंसा (Domestic violence)**

भले ही दुर्यवहार करने वाले माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश करते हों, लेकिन घरेलू हिंसा अभी भी बहुत नुकसानदेह है।

- **शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग (Alcohol and drug abuse)**

जो माता-पिता नशे में हैं या उच्च हैं, वे अपने बच्चों की देखभाल करने, माता-पिता के अच्छे निर्णय लेने या अक्सर खतरनाक आवेगों को नियंत्रित करने में असमर्थ हो सकते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन से शारीरिक शोषण भी हो सकता है।

- **अनुपचारित मानसिक बीमारी (Untreated mental illness)**

बहुत कम बच्चे जो माता-पिता अवसाद, एक चिंता विकार, द्विध्रुवी विकार या किसी अन्य मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करने में परेशानी हो सकती है। मानसिक रूप से बीमार या दर्दनाक माता-पिता अपने बच्चों से दूर हो सकते हैं और या बिना समझे देखभाल करने वाले के लिए क्रोध के कारण जल्दी वापस ले सकते हैं। ।

- **पेरेंटिंग स्किल की कमी (Lack of parenting skills)**

कुछ देखभाल करने वालों ने अच्छे पालन-पोषण के लिए आवश्यक कौशल कभी नहीं सीखा। उदाहरण के लिए, किशोर माता-पिता को अवास्तविक अपेक्षाएँ हो सकती हैं कि शिशुओं और छोटे बच्चों को कितनी देखभाल की आवश्यकता होती है। या माता-पिता जो स्वयं बाल-शोषण के शिकार

थे, वे केवल अपने बच्चों को उठाना चाहते हैं, जिस तरह से वे उठाए गए थे। पेरेंटिंग क्लासेस, थेरेपी और 'केयरगिवर सपोर्ट ग्रुप' बेहतर पेरेंटिंग स्किल सीखने के लिए बेहतरीन संसाधन हैं।

- तनाव और समर्थन की कमी (**Stress and lack of support**) पेरेंटिंग एक बहुत ही समय-गहन, तनावपूर्ण काम हो सकता है, खासकर यदि आप बच्चों को परिवार और दोस्तों के समर्थन के बिना बढ़ा रहे हैं, या आप रिश्ते की समस्याओं या वित्तीय कठिनाइयों से निपट रहे हैं। विकलांगता, विशेष जरूरतों या कठिन व्यवहार वाले बच्चे की देखभाल करना भी एक चुनौती है। आपके लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने बच्चे का समर्थन करने के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं।

- अपने आप में अपमानजनक व्यवहार को पहचानना (**Recognizing abusive behavior in yourself**)

बच्चों की परवरिश करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और यह सबसे समान माता-पिता या अभिभावक में क्रोध और हताशा को जन्म दे सकता है। यदि आप एक ऐसे घर में पले-बढ़े हैं जहाँ चीखना-चिल्लाना या हिंसा करना आदर्श था, तो आप अपने बच्चों को पालने का कोई और तरीका नहीं जानते होंगे। यह पहचानना कि आपको कोई समस्या है, सहायता प्राप्त करना सबसे बड़ा कदम है। निम्नलिखित चेतावनी के संकेत हैं कि आप दुरुपयोग में लाइन पार कर सकते हैं:

- i. आप अपने गुस्से को रोक नहीं सकते (**You can not stop your anger**)

आप अपने बच्चे को अधिक से अधिक हिला सकते हैं और अंत में उन्हें नीचे फेंक सकते हैं। आप अपने आप को जोर से और जोर से चिल्लाते हुए पाते हैं और खुद को रोक नहीं पाते।

- ii. आप अपने बच्चे से भावनात्मक रूप से वंचित महसूस करते हैं (**You feel emotionally disconnected from your child**) आप इतने अभिभूत महसूस कर सकते हैं कि आप

अपने बच्चे के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को चुप रखना चाहते हैं।

- iii. अपने बच्चे की दैनिक जरूरतों को पूरा करना असंभव लगता है **(Meeting the daily needs of your child seems impossible)**

जबकि हर कोई ड्रेसिंग, खिलाने और बच्चों को स्कूल या अन्य गतिविधियों के लिए संतुलित करने के लिए संघर्ष करता है, यदि आप इसे करने के लिए लगातार प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, तो यह संकेत है कि कुछ गलत हो सकता है।

- iv. अन्य लोगों ने चिंता व्यक्त की है **(Other people have expressed concern)**

चिंता व्यक्त करने वाले अन्य लोगों पर लगाम लगाना आसान हो सकता है। हालांकि, ध्यान से विचार करें कि उन्हें क्या कहना है। क्या वे शब्द हैं जिनसे आप सामान्य रूप से सम्मान और विश्वास करते हैं?

a) बाल-दुर्व्यवहार और बाल-उपेक्षा के प्रभाव (Effects of child abuse and neglect)

सभी प्रकार के दुरुपयोग और उपेक्षा स्थायी निशान छोड़ देते हैं। इनमें से कुछ निशान शारीरिक हो सकते हैं, लेकिन भावनात्मक निशान पूरे जीवन में लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं, एक बच्चे की स्वयं की भावना, उनके भविष्य के संबंधों और घर, कार्य और स्कूल में कार्य करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभावों में शामिल निम्नलिखित हैं:--

- i. विश्वास और रिश्ते की कठिनाइयों में कमी **(Lack of trust and relationship difficulties)** यदि आप अपने माता-पिता पर भरोसा नहीं कर सकते, तो आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? इस आधार के बिना, लोगों पर भरोसा करना सीखना मुश्किल है या पता है कि कौन विश्वसनीय है। इससे वयस्कता में रिश्ते बनाए रखने में कठिनाई हो सकती

है। यह अस्वास्थ्यकर रिश्तों को भी जन्म दे सकता है क्योंकि ऐसे वयस्क नहीं जानते कि एक अच्छा रिश्ता क्या है।

ii. "बेकार" होने की मूल भावनाएं (**Core feelings of being "worthless"**)

यदि आपको एक बच्चे के रूप में बार-बार बताया जाता है कि आप मूर्ख हैं या अच्छे नहीं हैं, तो इन मूल भावनाओं को पार करना बहुत मुश्किल है। जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं, दुर्यवहार करने वाले बच्चे अपनी शिक्षा की उपेक्षा कर सकते हैं या कम भुगतान वाली नौकरियों के लिए व्यवस्थित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे अधिक मूल्य के हैं। यौन दुर्यवहार से बच्चे, कलंक और शर्म के साथ अक्सर क्षतिग्रस्त होने की भावना के साथ आसपास दुर्यवहार के साथ संघर्ष करते हैं।

iii. भावनाओं को नियंत्रित करने में परेशानी (**Trouble regulating emotions**)

दुर्यवहार करने वाले बच्चे भावनाओं को सुरक्षित रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, अनपेक्षित तरीके से बाहर आकर, भावनाएं भर जाती हैं। बाल-शोषण के बच्चे वयस्क हुए लोग अस्पष्ट चिंता, अवसाद या क्रोध से जूझ सकते हैं। वे दर्दनाक भावनाओं को सुन्न करने के लिए शराब या ड्रग्स की ओर रुख कर सकते हैं।

iv. बाल शोषण के विभिन्न प्रकारों को पहचानना (**Recognizing the different types of child abuse**)

अपमानजनक व्यवहार कई रूपों में आता है, लेकिन आम व्यक्ति का भावनात्मक प्रभाव हर बच्चे पर होता है। चाहे वह गाली हो, एक कठोर टिप्पणी, कड़ी चुप्पी, कि क्या पता कि मेज पर रात का खाना होगा या नहीं, अंतिम परिणाम एक बच्चा है और अकेले जो असुरक्षित महसूस करता है।

v. भावनात्मक शोषण (**Emotional abuse**) कुछ लोगों की मान्यताओं के विपरीत, शब्द चोट पहुंचा सकते हैं और भावनात्मक शोषण बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य या सामाजिक विकास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। भावनात्मक शोषण के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:--

- लगातार अपमानित करना ।
- नाम पुकारना और दूसरों से नकारात्मक तुलना करना ।
- एक बच्चे को बताना कि वे "अच्छे नहीं हैं," "बेकार," "बुरे," या "एक गलती"
- बार-बार चिल्लाना, धमकी देना या धमकाना ।
- एक बच्चे को सजा के रूप में अनदेखा या अस्वीकार करना, उन्हें मूक उपचार देना ।
- बच्चों को ध्यान में संकेत के सीमित नहीं, गले, चुंबन, या अन्य स्नेह के साथ शारीरिक संपर्क करना ।
- एक बच्चे को दूसरों के खिलाफ हिंसा के लिए उजागर करना, चाहे वह माता-पिता के खिलाफ हो, दूसरे भाई-बहन, या यहां तक कि एक पालतू जानवर के खिलाफ हो ।

b) बाल उपेक्षा (Child neglect) - एक बहुत ही सामान्य प्रकार का बाल-शोषण है - बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहने का एक पैटर्न है, जिसमें पर्याप्त भोजन, कपड़े, स्वच्छता या पर्यवेक्षण शामिल है। बाल-उपेक्षा हमेशा हाजिर करना या होना आसान नहीं है। कभी-कभी, माता-पिता बच्चे की देखभाल के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो सकते हैं, जैसे कि गंभीर बीमारी या चोट, या अनुपचारित अवसाद या चिंता के मामले में, अन्य समय में, शराब या नशीली दवाओं का दुरुपयोग, गंभीरता से निर्णय और बच्चे को सुरक्षित रखने की क्षमता को क्षीण कर सकता है।

c) शारीरिक शोषण (**Physical abuse**) शारीरिक शोषण में बच्चे को शारीरिक नुकसान या चोट पहुँचाना शामिल है। यह बच्चे को चोट पहुँचाने या अत्यधिक शारीरिक दंड के लिए एक जानबूझकर किए गए प्रयास का परिणाम हो सकता है। कई शारीरिक रूप से अपमानजनक माता-पिता इस बात पर जोर देते हैं कि उनके कार्य - बच्चों को व्यवहार करने के लिए सीखने के तरीके केवल अनुशासन के रूप में हैं। लेकिन अनुशासन से लेकर शारीरिक-शोषण और शारीरिक शोषण से भावनात्मक शोषण तक का बड़ा अंतर है।

शारीरिक-शोषण के साथ, निम्नलिखित तत्व मौजूद हैं:--

- i) अनिश्चितता (**Unpredictability**) बच्चे को यह कभी नहीं पता होता है कि माता-पिता को क्या करना है। कोई स्पष्ट सीमा या नियम नहीं हैं। बच्चा लगातार अंडे के छिलके पर चल रहा है, कभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि शारीरिक हमला, उनके व्यवहार को क्या प्रेरित करेगा और नहीं।
- ii) क्रोध में आग बबूला होना (**Lashing out in anger**) अपमानजनक माता-पिता गुस्से से बाहर निकलते हैं और नियंत्रण करने की इच्छा रखते हैं, न कि बच्चे को प्यार से पढ़ाने की प्रेरणा। अभिभावक जितना अधिक क्रोधी होगा, उतनी ही तीव्र गाली देगा।
- iii) व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भय का उपयोग करना (**Using fear to control behavior**) अपमानजनक माता-पिता यह मान सकते हैं कि उनके बच्चों को व्यवहार करने के लिए उनसे डरने की आवश्यकता है। इसलिए वे "अपने बच्चे को लाइन में रखने के लिए" शारीरिक शोषण करते हैं। हालांकि, जो बच्चे वास्तव में सीख रहे हैं, वह यह है कि हिट होने से कैसे बचा जाए, न कि कैसे व्यवहार किया जाए या व्यक्तियों के रूप में विकसित किया जाए।
- iv) यौन शोषण (**Sexual Abuse**) अपराध और शर्म की अपनी परतों के कारण बाल यौन-शोषण दुरुपयोग का एक विशेष रूप से जटिल रूप है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यौन-शोषण में हमेशा

शारीरिक संपर्क नहीं होता है। एक बच्चे को यौन-स्थितियों या यौन-सामग्री रूप से / यौन सामग्री के लिए अपमानजनक है, चाहे स्पर्श शामिल हो या स्पर्श उजागर न हो।

यौन-दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को अक्सर शर्म और अपराधबोध से सताया जाता है। उन्हें लग सकता है कि वे दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं या किसी तरह इसे अपने ऊपर ले आए। इससे वे बड़े होने के साथ-साथ आत्म-लोभी, यौन और आपसी-रिश्ते की समस्या पैदा कर सकते हैं।

यौन-शोषण की शर्म के कारण बच्चों के लिए आगे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वे चिंता कर सकते हैं कि अन्य लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे, वे उनसे नाराज होंगे, या यह कि उनके परिवार को अलग कर देंगे। यौन-शोषण के झूठे आरोप आम नहीं हैं, इन कठिनाइयों के कारण इसलिए यदि कोई बच्चा आप में विश्वास करता है, तो उन्हें गंभीरता से लें।

d) मिथ, तथ्य और बाल-दुर्व्यवहार (Myths and Facts of child abuse)

- मिथ: यह हिंसक होने पर केवल दुर्व्यवहार है।

तथ्य: शारीरिक-शोषण, बाल शोषण का सिर्फ एक प्रकार है। बाल उपेक्षा, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार, बस उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, और चूंकि वे हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं, दूसरों के तो हस्तक्षेप की संभावना कम होती है।

- मिथ: केवल बुरे लोग अपने बच्चों का दुरुपयोग करते हैं।

तथ्य: सभी अपमानजनक माता-पिता या अभिभावक जानबूझकर अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कई लोग खुद तो दुर्व्यवहार का शिकार हुए हैं, और दूसरा माता-पिता को कोई रास्ता नहीं पता है। अन्य लोग मानसिक स्वास्थ्य, मुद्दों या मादक द्रव्यों के सेवन की समस्याओं से जूझ रहे होंगे।

- मिथ: दुर्व्यवहार "अच्छे" परिवारों में नहीं होता है।

तथ्य: दुर्व्यवहार और उपेक्षा केवल गरीब परिवारों या बुरे मोहल्लों में ही नहीं होती है। ये व्यवहार सभी नस्लीय, आर्थिक और सांस्कृतिक रेखाओं को पार करते हैं। कभी-कभी, ऐसे परिवार जो बाहर से यह सब महसूस करते हैं, वे बंद दरवाजों के पीछे एक अलग कहानी छिपा रहे होते हैं।

- मिथ: ज्यादातर बाल अपचारी अजनबी होते हैं।

तथ्य: जबकि अजनबियों द्वारा दुर्व्यवहार होता है, अधिकांश अपमान करने वाले परिवार के सदस्य या परिवार के करीबी लोग ही होते हैं।

- मिथ: दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे हमेशा बड़े होते हैं।

तथ्य: यह सच है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वयस्कों को चक्र के रूप में दोहराने की संभावना है, जो अनजाने में वे स्वयं बच्चों के रूप में अनुभव करते हैं, उसे दोहराते हैं। दूसरी ओर कई वयस्क लोगों को बाल उत्पीड़न से बचे अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत प्रेरणा मिलती है, जो गुजर गए और वे उत्कृष्ट माता-पिता बन गए।

3.4 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

3.4.1 आत्महत्या (Suicides)

आत्महत्या खुद को मारने का कार्य है, जो अक्सर अवसाद या अन्य मानसिक बीमारी के परिणामस्वरूप होता है। संयुक्त राज्य में, आत्महत्या के कारण लगभग 2 प्रतिशत मौतें होती हैं।

समाजशास्त्री दुर्खीम के अनुसार, आत्महत्या शब्द मौत के सभी मामलों पर लागू होता है, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित के सकारात्मक या नकारात्मक कृत्य से उत्पन्न होता है, जिसे वह जानता है कि यह खुद को मारने का परिणाम करेगा।

i) आत्महत्या पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण (Sociological perspectives on suicide)

सामान्य तौर पर, आत्महत्या से जुड़े सामाजिक कारकों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्तिगत और बाहरी स्थितियों के बीच बातचीत का परिणाम हैं। समाजशास्त्री दुर्खीम (1897) सामाजिक कारकों के परिणामस्वरूप आत्महत्या को देखने वाले पहले विद्वानों में से एक थे, कई यूरोपीय देशों के डेटा का उपयोग करके इन कारकों की भूमिका की जांच की और दुर्खीम के गंभीर अध्ययन के बाद, आत्महत्या में सामाजिक संबंधों को शामिल किया गया। बाद के कई अध्ययनों ने आत्महत्या को विशेष रूप से एक सामाजिक घटना के रूप में सामाजिक विकृति के रूप में पता लगाया है। यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति समाज में रहते हैं और इसलिए, उनके व्यवहार उनकी सामाजिक स्थितियों या परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। आत्मघाती व्यवहार समाज में चिंता पैदा करता है, साथ ही परिवारों और समुदायों को गंभीरता से प्रभावित करता है। जैसे-जैसे किसी समाज में आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती है, समाज के सदस्य खुद को मारने वालों से प्रभावित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्या, आत्मघाती हमले, नकल और आत्मघाती कृत्यों के समूहों (Gould, 1994; Stack, 2005) पर प्रतिक्रिया होती है। सामाजिक ताकतों के प्रभाव का एक और उदाहरण है, अतीत में आत्महत्या समाज में वर्जित थी और इसे कुटिल व्यवहार के रूप में देखा गया था, कुछ धर्मों ने इसे सख्त मना किया था। आमतौर पर धार्मिक समाजों में आत्महत्या की दर इसलिए कम होती है।

समाजशास्त्री दुर्खीम द्वारा आत्महत्या के प्रकार निम्नलिखित हैं:--

समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिनका जन्म 15 अप्रैल, 1858 को हुआ था। दुर्खीम ने कॉम्टे को अपना गुरु माना। एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जब कॉम्टे और स्पेंसर को समाजशास्त्र के संस्थापक पिता के रूप में माना जाता था, दुर्खीम को दादा माना जाता था और समाज का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण उनके साथ शुरू हुआ।

दुर्खीम का 'आत्महत्या' का सिद्धांत श्रम के विभाजन के उनके अध्ययन से संबंधित है। इसे 'सामाजिक बाधा' के सिद्धांत से भी जोड़ा जाता है। समाजशास्त्री दुर्खीम ने यह विचार स्थापित किया है कि ऐसे समाज नहीं हैं जिनमें आत्महत्या नहीं होती है।

आत्महत्या के अधिकांश स्वीकृत सिद्धांतों को खारिज करते हुए, समाजशास्त्री डर्कहाइम ने अपने मोनोग्राफिक अध्ययनों के आधार पर जीवन के महत्वपूर्ण बंधन के टूटने के संदर्भ में आत्महत्या का दावा किया है। 1897 में प्रकाशित 'ले सुसाइड' के अपने शास्त्रीय अध्ययन में समाजशास्त्री दुर्खीम प्रदर्शित करता है कि अन्य व्यक्तिगत कारक न तो मनो-रोग कारक हैं, न ही आनुवंशिकता और न ही जलवायु, न ही गरीबी, न ही दुखी और न ही प्रेम-आत्महत्या की पर्याप्त व्याख्या के साथ प्रेरित करते हैं।

समाजशास्त्री दुर्खीम के अनुसार, आत्महत्या कोई व्यक्तिगत कृत्य नहीं है और न ही व्यक्तिगत कार्रवाई। यह कुछ शक्ति के कारण होता है और जो व्यक्ति या सुपर व्यक्ति के ऊपर होता है। परिणामस्वरूप वह "मृत्यु के सभी वर्गों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित के सकारात्मक या नकारात्मक कृत्यों को देखता था जो स्वयं उत्पन्न होने वाले परिणाम को जानता है" घटना को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्री दुर्खीम 'मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण' को खारिज करता है। कई डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को विकसित करते हैं कि अधिकांश लोग जो अपना खुद का जीवन लेते हैं वे एक रोग की स्थिति में होते हैं, लेकिन दुर्खीम जोर देकर कहते हैं कि जो बल आत्महत्या को निर्धारित करता है, मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि सामाजिक है। वह निष्कर्ष निकालता है कि आत्महत्या सामाजिक अव्यवस्था या सामाजिक एकीकरण या सामाजिक एकजुटता की कमी का परिणाम है।

ii) आत्महत्या के प्रकार (Types of Suicide)

समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने नेताओं और उनके समाज के बीच विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर विभिन्न प्रकार की आत्महत्याओं को वर्गीकृत किया है।



चित्र-3.1

a. अहंकारी आत्महत्या (Egoistic suicide)

समाजशास्त्री दुर्खीम के अनुसार, जब कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग-थलग हो जाता है या उसे लगता है कि समाज में उसका कोई स्थान नहीं है तो वह खुद को नष्ट कर लेता है। यह आत्म-केंद्रित व्यक्ति की आत्महत्या है, जिसमें परोपकारी भावनाओं का अभाव है और आमतौर पर समाज की मुख्य धारा से कट जाता है।

b. परोपकारी आत्महत्या (Altruistic suicide)

इस प्रकार की आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति और समूह बहुत करीब और अंतरंग होते हैं। इस तरह के आत्महत्या के परिणाम व्यक्ति के सामाजिक प्रमाण में एकीकरण से उत्पन्न होते हैं, उदाहरण के लिए - सती प्रथा।

c. आत्महत्या (Anomic suicide)

इस तरह की आत्महत्या सामाजिक संतुलन के कुछ टूटने के कारण होती है- जैसे कि दिवालियापन के बाद आत्महत्या या लॉटरी जीतने के बाद। दूसरे शब्दों में, आत्महत्या एक ऐसी स्थिति में होती है, जिसमें अचानक मौत आ गई है।

d. घातक आत्महत्या (Fatalistic suicide)

इस प्रकार की आत्महत्या समाज में व्याप्त अतिवृद्धि के कारण होती है। एक समाज के अतिरेक के तहत, जब एक नौकर या दास आत्महत्या करता है, जब एक निःसंतान महिला आत्महत्या करती है, तो यह घातक आत्महत्या का उदाहरण है।

iii) दुर्खीम के सिद्धांत का महत्वपूर्ण मूल्यांकन (Critical evaluation of Durkheim's theory)

यद्यपि समाजशास्त्री दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत ने घटना की समझ के बारे में बहुत योगदान दिया है क्योंकि उसके तनाव के कारण जैविक या व्यक्तिगत कारकों के बजाय सामाजिक कारक और अन्य कारकों पर जोर दिया है। सामाजिक सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि उसने केवल एक कारक पर बहुत अधिक जोर रखा है, अर्थात् सामाजिक कारक और अन्य कारकों को भूल गये या कम कर दिया है, जिससे उनका सिद्धांत दोषपूर्ण है और केवल एक पक्षीय है।

3.5 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)

अधिगम सम्बंधित क्रियाकलाप

रिक्त स्थान भरें :-

- i) उन्नीसवीं शताब्दी के अंत से पहले किशोर और वयस्कों के बीच
कुछ किए गए थे।

- ii) आत्महत्या खुद को मारने का कार्य है, जो अक्सरके परिणामस्वरूप होता है।
- iii) आमतौर पर 10 और 17 साल की उम्र के बीच, नाबालिग बच्चे द्वारामें भागीदारी की जाती है।
- iv) किशोर न्याय प्रणाली में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाके लिए बहुत भिन्न होती है।
- v) बाल उत्पीड़न के कई रूप हैं, जिनमें उपेक्षा, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, शोषण औरशामिल हैं।
- vi) भले हीकरने वाले माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश करते हों, लेकिनअभी भी बहुत नुकसानदेह है।
- vii)की अपनी परतों के कारण बाल यौन शोषण दुरुपयोग का एक विशेष रूप से जटिल रूप है।
- viii) आत्मघाती व्यवहार समाज में चिंता पैदा करता है, साथ हीऔरको गंभीरता से प्रभावित करता है।

कृपया उत्तर की पड़ताल पाठ के अंतिम हिस्से 3.9 में करें।

3.6 सारांश (Summary)

आप जान गए हैं कि बाल- अपराध जैसी सामाजिक समस्या के प्राथमिक समाधान के रूप में सजा, उपचार और पुनर्वास की प्रभावशीलता के बारे में समाज और इसके संस्थानों के बीच एक बहस चल रही है। 1970 के दशक के

आरंभिक दिनों से विज्ञान ने विशिष्ट विलक्षणता और अपराधियों की मध्यस्थता और अपराध की पहचान करने में महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली और सैद्धांतिक प्रगति की है। इस प्रगति में इन एंटीकेडेंट्स की विकासात्मक अनुक्रमण शामिल है, जो बदले में, सटीक हस्तक्षेप के विकास के लिए अग्रणी है। इन शुरुआती जोखिम कारकों में से कई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माता-पिता की बाल-सहभागिता को शामिल करते हैं। प्रसंगों पर ऐतिहासिक प्रभाव जो ऐतिहासिक रूप से विलंबता से जुड़े हुए हैं (जैसे, गरीबी, माता-पिता की मनोचिकित्सा), पेरेंटिंग पर उनके विघटनकारी प्रभावों के कारण सबसे अधिक प्रभावशाली दिखाई हैं। बाद में, साथियों/ मित्र-मंडली (Peers) ने आगे के व्यवहार के विकास और रखरखाव में प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं

बाल-दुर्व्यवहार और बाल-उपेक्षा के कारणों के बारे में कोई विशिष्ट सिद्धांत अध्ययनों में पर्याप्त रूप से दोहराया नहीं गया है, फिर भी पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण घटनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जो बाल-कुपोषण की उत्पत्ति में योगदान करती है। इसके अलावा, बाल-विकास के अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान अपेक्षाकृत अविकसित है जब बाल-विकास, सामाजिक-कल्याण और आपराधिक हिंसा जैसे संबंधित क्षेत्रों के साथ तुलना की जाती है।

बाल-दुर्व्यवहार की रिपोर्टें व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और समाज के बीच की बातचीत/ व्यक्तिगत संपर्कों के बारे में बहुत कम बताती हैं, जो इस तरह की घटनाओं को जन्म देती हैं। जनरल अकाउंटिंग ऑफिस (1991) के अनुमान के अनुसार, चिकित्सा, देखभाल, परिवार परामर्श, पालक-देखभाल और विशेष-शिक्षा सहित बच्चों के लिए आवश्यक सेवाओं का दुरुपयोग किया गया है, जिनकी लागत \$ 500 मिलियन सालाना से अधिक है।

आत्महत्या पर सामाजिक कार्य व्यक्तिगत केंद्रित कारणों पर सामाजिक बलों को बल देता है। समाजशास्त्री दुर्खीम के क्लासिक काम के बाद से, सामाजिक एकीकरण के निर्माण ने बहुत से समाजशास्त्रीय कार्यों का मार्गदर्शन किया है। वर्तमान अध्याय में, विवाह और धर्म--दो केंद्रीय एकीकृत संस्थानों पर अनुसंधान की समीक्षा की गई है।

3.7 संकेतक शब्द (Keywords)

- आपराधिक गिरफ्तारी - आपराधिक प्रक्रिया का उपयोग केवल आपराधिक मामलों के लिए किया जाता है। कुछ न्यायालयों में, आपराधिक गिरफ्तारी का उपयोग केवल गुंडागर्दी के मामलों में किया जाता है।
- सुनवाई - अदालत के समक्ष एक कार्यवाही जिस पर तथ्य या कानून का मुद्दा सुना जाता है, प्रस्तुत साक्ष्य और एक निर्णय।
- अपराधी - कानून या नियम का उल्लंघन, गैरकानूनी कार्य करने का अपराध।
- पुनर्स्थापन - अधिकारों या संपत्ति की बहाली जो पहले ले ली गई थी या समर्पण कर दी गई थी; हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के कारण किए गए सुधार।
- परीक्षण - एक आपराधिक मामले में अपराध या निर्दोषता का निर्धारण करने के लिए या एक नागरिक मामले में एक दृढ़ संकल्प बनाने के उद्देश्य से एक न्यायाधीश और जूरी के सामने सबूतों की एक औपचारिक प्रस्तुति।

3.8 स्वयं - मूल्यांकन परीक्षा (Self-Assessment Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के यथासंभव उत्तर दीजिये।

- a) बाल- अपराध दोष /अपचार किसे कहते हैं?
- b) बाल उपेक्षा क्या है संक्षेप में उत्तर दें।
- c) बाल शोषण और उपेक्षा के जोखिम कारकों के विषय में आप क्या जानते हैं।
- d) शारीरिक शोषण क्या है, वर्णन करें।
- e) आत्महत्या के प्रकार लिखें। आत्महत्या पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण दीजिए।

3.9 प्रगति -समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें (Answers to check your progress)

- i) अवसाद या अन्य मानसिक बीमारी
- ii) कानूनी भेद
- iii) अवैध व्यवहार या गतिविधियों
- iv) वयस्क अपराधियों
- v) भावनात्मक शोषण
- vi) दुर्यवहार, घरेलू हिंसा
- vii) अपराध और शर्म
- viii) परिवारों, समुदायों

3.10 सन्दर्भ / सहायक अध्ययन-सामग्री (Other Suggested Readings)

- i. Sociology: An Introduction by Smelser, Neil, J., Wiley Eastern Private Limited
- ii. Sociology: Principles of sociology with an introduction to social thought by Shanker Rao C.N., S. Chand and Company.
- iii. Samajshastra (Hindi), M.L.Gupta & D. D. Sharma, Sahitya Bhawan Publications, Agra
- iv. History of Social thought by K.Singh, Prakashan Kendra, Lucknow.
- v. Research Methodology, Dr. Ravindernath Mukerji, Vivek Parkashan, Delhi

Subject: Sociology (Social Problems in India)	
Course Code: SOCL 202	Author: Dr. Shakuntla Devi
Lesson No.-04	Updated By: self
संरचनात्मक मुद्दे और लैंगिक असमानता (Structuctural Issues and Gender Inequality)	

अध्याय की संरचना

4.1 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

4.2 परिचय (Introduction)

4.3 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

4.3.1 सामाजिक न्याय (Social Justice)

4.3.2 समावेशी विकास (Inclusive Development)

4.3.3 समावेशी-विकास की दिशा और दशा (Direction and Position of inclusive Development)

4.4 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

4.4.1 जाति, वर्ग और लिंग की असमानता (Inequality of Caste, Class and Gender)

4.4.2 लिंग और लिंग-भेद (Gender and Gender Differences)

4.4.3 लैंगिक असमानता (Gender Inequality)

4.4.4 लैंगिक असमानता के कारण (Causes of Gender Inequality)

4.4.5 'जेंडर बजटिंग' (Gender-Budgeting)

4.4.6 जीआरबी से संबंधित समस्याएँ (Problems related to GRB)

4.4.7 लिंग विशिष्ट विधान (Gender specific Legislations)

- लिंग-तटस्थ भाषा या लिंग-समावेशी भाषा (Gender-Neutral Language)
- लैंगिक तटस्थता के कार्यान्वयन (Implementation of Gender Neutral provisions)

4.5 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)

4.6 सारांश) Summary)

4.7 संकेतक शब्द (Keywords)

4.8 स्वयं-मूल्यांकन परीक्षा (Self-Assessment Questions)

4.9 प्रगति-समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें (Answers to check your progress)

4.10 सन्दर्भ / सहायक अध्ययन-सामग्री (Other Suggested Readings)

4.1 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत तक, आप निम्न योग्य होंगे :--

- i. संरचनात्मक मुद्दे, लिंग विशिष्ट विधान और सामाजिक न्याय के विषय में जानेंगे और समझेंगे।
- ii. समावेशी विकास और जाति को गंभीरता से जान सकेंगे।
- iii. वर्ग और लिंग की असमानता पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझेंगे।

4.2 प्रस्तावना (Introduction)

समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारी को परिष्कृत करने और उनका विकास करने के लिए, अनुभवजन्य विवेचन और विवेचनात्मक विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है, अक्सर जिसका

ध्येय सामाजिक कल्याण के अनुसरण में ऐसे ज्ञान को लागू करना होता है। समाजशास्त्र की विषयवस्तु के विस्तार, आमने-सामने होने वाले संपर्क के सूक्ष्म स्तर से लेकर व्यापक तौर पर समाज के बृहद स्तर तक है।

पद्धति और विषय वस्तु, दोनों के मामले में समाजशास्त्र एक विस्तृत विषय है। परम्परागत रूप से इसकी केन्द्रियता सामाजिक स्तर-विन्यास (या "वर्ग"), सामाजिक संबंध, सामाजिक संपर्क, धर्म, संस्कृति और विचलन पर रही है, तथा इसके दृष्टिकोण में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध तकनीक, दोनों का समावेश है। चूंकि अधिकांशतः मनुष्य जो कुछ भी करता है वह सामाजिक संरचना या सामाजिक गतिविधि की श्रेणी के अन्तर्गत सटीक बैठता है, समाजशास्त्र ने अपना ध्यान धीरे-धीरे अन्य विषयों जैसे- चिकित्सा, सैन्य और दंड संगठन, जन-संपर्क और यहां तक कि वैज्ञानिक ज्ञान के निर्माण में सामाजिक गतिविधियों की भूमिका पर केन्द्रित किया सामाजिक वैज्ञानिक पद्धतियों की सीमा का भी व्यापक रूप से विस्तार हुआ है। 20वीं शताब्दी के मध्य के भाषाई और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने तेज़ी से समाज के अध्ययन में भाष्य विषयक और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न किया है।

संरचना एवं साधन: संरचना एवं साधन सामाजिक सिद्धांत में एक स्थायी बहस का मुद्दा है। "क्या सामाजिक संरचनाएं अथवा मानव साधन किसी व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करता है?" इस संदर्भ में 'साधन', व्यक्तियों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और मुक्त चुनाव करने की क्षमता को संकेत करता है, जबकि 'संरचना' व्यक्तियों की पसंद और कार्यों को सीमित अथवा प्रभावित करने वाले कारकों को निर्दिष्ट करती है (जैसे सामाजिक वर्ग, धर्म, लिंग, जातीयता इत्यादि)। संरचना अथवा साधन की प्रधानता पर चर्चा, सामाजिक सत्ता-मीमांसा के मूल मर्म से संबंधित हैं ("सामाजिक दुनिया किससे बनी है?", "सामाजिक दुनिया में कारक क्या है और प्रभाव क्या है?")।

उत्तर भी यही है, आधुनिक कालीन आलोचकों का सामाजिक विज्ञान की व्यापक परियोजना के साथ मेल-मिलाप का एक प्रयास, खास कर ब्रिटेन में, विवेचनात्मक यथार्थवाद का विकास रहा है। राय भास्कर जैसे विवेचनात्मक यथार्थवादियों के अनुसार, पारंपरिक प्रत्यक्षवाद, विज्ञान को यानि कि खुद, संरचना और साधन को ही संभव

करने वाले, सत्ता-मूलक हालातों के समाधान में नाकामी की वजह से 'ज्ञान तर्कदोष' करता है। अत्यधिक संरचनात्मक या साधनपरक विचार के प्रति अविश्वास का एक और सामान्य परिणाम बहुआयामी सिद्धांत है। विशेष रूप से, समाजशास्त्री टैलकोट पार्सन्स का क्रिया-सिद्धांत और एंथोनी गिड्डेन्स का 'संरचनात्मकता' का सिद्धांत का विकास रहा है।

4.2.3 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

4.2.1 सामाजिक न्याय (Social Justice)

सामाजिक न्याय (social justice) की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों (Pre-assumptions) के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे 'उत्तम जीवन' की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाएँ। दोनों ही तरह के देशों में, विकसित हों या विकासशील, राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की इस अवधारणा और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अर्थ हमेशा स्पष्ट ही होता है। सिद्धांतकारों ने इस प्रत्यय का अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में भी, भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय का नारा वंचित समूहों की राजनीतिक गोलबंदी का एक प्रमुख आधार रहा है। उदारतावादी मानकीय राजनीतिक सिद्धांत में उदारतावादी-समतावाद से आगे बढ़ते हुए सामाजिक न्याय के सिद्धांतीकरण में कई आयाम जुड़ते गये हैं। मसलन, अल्पसंख्यक अधिकार, बहु-संस्कृतिवाद, मूल निवासियों के अधिकार आदि। इसी तरह, नारीवाद के दायरे में स्त्रियों के अधिकारों को ले कर भी विभिन्न स्तरों पर सिद्धांतीकरण हुआ है और स्त्री-सशक्तीकरण के मुद्दों को उनके सामाजिक न्याय से जोड़ कर देखा जाने लगा है।

यद्यपि एक विचार के रूप में विभिन्न धर्मों की बुनियादी शिक्षाओं में सामाजिक न्याय के विचार को देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश धर्म या सम्प्रदाय जिस व्यावहारिक रूप में सामने आये या बाद में जिस तरह उनका

विकास हुआ, उनमें कई तरह के ऊँच-नीच और भेदभाव जुड़ते गये। समाज-विज्ञान में सामाजिक न्याय का विचार उत्तर-ज्ञानोदय काल या प्रबोधन युग या ज्ञानोदय युग (Age of Enlightenment) में सामने आया और समय के साथ अधिकाधिक संशोधित होता गया। क्लासिकल उदारतावाद ने मनुष्यों पर से हर तरह की पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं की जकड़न को खत्म किया और उसे अपने मर्जी के हिसाब से जीवन जीने के लिए आज़ाद किया। इसके तहत हर मनुष्य को स्वतंत्रता देने और उसके साथ समानता का व्यवहार करने पर ज़ोर ज़रूर था, लेकिन ये सारी बातें औपचारिक स्वतंत्रता या समानता तक ही सिमटी हुई थीं। बाद में उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में कई उदारतावादियों ने राज्य के हस्तक्षेप द्वारा व्यक्तियों की आर्थिक भलाई करने और उन्हें अपनी स्वतंत्रता को उपभोग करने में समर्थ बनाने की वकालत की। कई यूटोपियाई समाजवादियों ने भी एक ऐसे समाज की कल्पना की, जहाँ आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न होता हो। स्पष्टतः इन सभी विचारों में सामाजिक न्याय के प्रति गहरा सरोकार था। इसके बावजूद समाजशास्त्री मार्क्स ने इन सभी विचारों की आलोचना की और ज़ोर दिया कि न्याय जैसी अवधारणा की आवश्यकता पूँजीवाद के भीतर ही होती है क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर कब्ज़ा जमाये कुछ लोग बहुसंख्यक सर्वहारा (श्रमिक वर्ग) का शोषण करते हैं। उन्होंने क्रांति के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य रखा जहाँ हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें हासिल करने की परिस्थितियाँ प्राप्त हों। लेकिन बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में मार्क्सवाद और उदारतावाद का जो व्यावहारिक रूप सामने आया, वह उनके आश्वासनों जैसा न हो कर विकृत था। मार्क्सवाद से प्रेरित रूसी क्रांति के कुछ वर्षों बाद ही स्तालिनवाद की सर्वसत्तावादी संरचनाएँ उभरने लगीं। वहीं उदारतावाद और पूँजीवाद ने आंतरिक जटिलताओं के कारण दुनिया को दो विश्व-युद्धों, महामंदी, फ्रांसीसीवाद और नाज़ीवाद जैसी भयानकताओं में धकेल दिया। पूँजीवाद को संकट से उबारने के लिए पूँजीवादी देशों में क्लासिकल उदारतावादी सूत्र से लेकर कींसवादी नीतियों (खुली अर्थव्यवस्था) तक हर सम्भव उपाय अपनाने की कोशिश की गयी। इस पूरे संदर्भ में सामाजिक न्याय की बातें

नेपथ्य (नाटक की पृष्ठभूमि) में चली गयीं या सिर्फ़ इनका दिखावे के तौर पर प्रयोग किया गया। इसी दौर में उपनिवेशवाद के खिलाफ़ चलने वाले संघर्षों में मानव-मुक्ति और समाज के कमज़ोर तबकों के हकों आदि की बातें ज़ोरदार तरीके से उठायी गयीं। खास तौर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सभी तबकों के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गम्भीर बहस चली। इस बहस से ही समाज के वंचित तबकों के लिए संसद एवं नौकरियों में आरक्षण, अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था के अनुसार अधिकार देने और अपनी भाषा का संरक्षण करने जैसे प्रावधानों पर सहमति बनी। बाद में ये सहमतियाँ भारतीय संविधान का भाग बनीं।

इसी के साथ-साथ मानकीय उदारतावादी सिद्धांत में राज्य द्वारा समाज के कुछ तबकों की भलाई या कल्याण के लिए ज़्यादा आय वाले लोगों पर टैक्स लगाने का मसला विवादास्पद बना रहा। जॉन मेनार्ड कीन्स (कींस) ने पूँजीवाद को मंदी से उबारने के लिए राज्य के हस्तक्षेप के ज़रिये रोज़गार पैदा करने के प्रावधानों का सुझाव दिया, लेकिन फ्रेड्रिख वान हायक, मिल्टन फ्रीडमैन और बाद में रॉबर्ट नॉज़िक जैसे विद्वानों ने आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप की आलोचना की। इन लोगों का मानना था कि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक आज़ादी को चोट पहुँचती है। जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी किताब 'अ थियरी ऑफ़ जस्टिस' में ताकतवर दलीलें दीं आखिर क्यों समाज के कमज़ोर तबकों की भलाई के लिए राज्य को सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। अपनी थियरी (Theory) में रॉल्स शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए वितरणमूलक न्याय के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। अपने न्याय के सिद्धांत में उन्होंने हर किसी को समान स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ़दारी की। इसके साथ ही भेदमूलक सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सामाजिक और आर्थिक अंतरों को इस तरह समायोजित किया जाना चाहिए कि इससे सबसे वंचित तबके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा।

बाद के वर्षों में रॉल्स के सिद्धांत की कई आलोचनाएँ भी सामने आयीं, जो दरअसल सामाजिक न्याय के संदर्भ में कई नये आयामों का प्रतिनिधित्व करती थीं। इस संदर्भ में समुदायवादियों और नारीवादियों की द्वारा की गयी

आलोचनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। समुदायवादियों ने सामान्य तौर पर उदारतावाद और विशेष रूप से रॉल्स के सिद्धांत की इसलिये आलोचना की कि इसमें व्यक्ति की अणुवादी संकल्पना को पेश किया गया है। रॉल्स जिस व्यक्ति की संकल्पना करते हैं वह अपने संदर्भ और समुदाय से पूरी तरह कटा हुआ है। बाद में, 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में, उदारतावादियों ने समुदायवादियों की आलोचनाओं को उदारतावाद के भीतर समायोजित करने की कोशिश की जिसके परिणामस्वरूप बहुसंस्कृतिवाद की संकल्पना सामने आयी। इसमें यह माना गया कि अल्पसंख्यक समूहों के साथ वास्तविक रूप से तभी न्याय हो सकता है, जब उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़े विविध-पहलुओं की हिफाजत करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी मिले। इसके लिए यह ज़रूरी है कि इनके सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी जाए। इस तरह सैद्धांतिक विमर्श के स्तर पर बहुसंस्कृतिवाद ने सामाजिक न्याय की अवधारणा में एक नया आयाम जोड़ा।

यहाँ उल्लेखनीय है कि साठ के दशक से ही पश्चिम में नारीवादी आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, गे-आंदोलन, लेस्बियन और ट्रांस-जेंडर (Gay, Lesbian and Trans-gender) आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन आदि उभरने लगे थे। बाद के दशकों में इनका प्रसार ज़्यादा बढ़ा और इन्होंने सैद्धांतिक विमर्श को भी गहराई प्रदान की। उदाहरण के लिए- नारीवादियों ने उदारतावाद और रॉल्सवादी रूपरेखा की आलोचना की। अपने विश्लेषण द्वारा उन्होंने पितृसत्ता को नारीवादियों के समान हक के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट के रूप में रेखांकित किया। इसी तरह, गे, लेस्बियन और ट्रांस- जेंडर लोगों ने समाज में 'सामान्य' या 'नार्मल' की प्रबल रूपरेखा पर सवाल उठाया और अपने लिए समान स्थिति की माँग की। नागरिक अधिकार आंदोलनों द्वारा पश्चिम में, खास तौर पर अमेरिकी समाज में काले लोगों ने अपने लिए बराबरी की माँग की। मूल निवासियों ने भी अपने सांस्कृतिक अधिकारों की माँग करते हुए बहुत सारे आंदोलन किये हैं। बहु-संस्कृतिवादियों ने अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा में इन सभी पहलुओं को समेटने की कोशिश की है। इन सभी पहलुओं ने सामाजिक न्याय के अर्थ में कई

नये आयाम जोड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विविध समूहों के लिए सामाजिक न्याय का अलग-अलग अर्थ रहा है।

असल में विकासशील समाजों में पश्चिमी समाजों की तुलना में सामाजिक न्याय ज्यादा रैडिकल (संवेदनशील) रूप में सामने आया है। उदाहरण के लिए- दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों ने रंगभेद के खिलाफ और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी के लिए जोरदार संघर्ष किया। इस संघर्ष की प्रकृति अमेरिका में काले लोगों द्वारा चलाये गये संघर्ष से इस अर्थ में अलग थी कि दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों को ज्यादा दमनकारी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। इस संदर्भ में भारत का उदाहरण भी उल्लेखनीय है। बहु-संस्कृतिवाद ने जिन सामुदायिक अधिकारों पर जोर दिया उनमें से कई अधिकार भारतीय संविधान में पहले से ही दर्ज हैं। लेकिन यहाँ सामाजिक न्याय वास्तविक राजनीति में संघर्ष का नारा बन कर उभरा। जैसे- भीमराव आम्बेडकर और उत्पीड़ित जातियों और समुदायों के कई नेता समाज के हाशिये पर पड़ी जातियों को शिक्षित और संगठित होकर संघर्ष करते हुए अपने न्यायपूर्ण हक को हासिल करने की विरासत रच चुके थे। इसी तरह पचास और साठ के दशक में राममनोहर लोहिया ने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और स्त्रियों को एकजुट होकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। लोहिया चाहते थे कि ये समूह एकजुट होकर सत्ता और नौकरियों में ऊँची जातियों के वर्चस्व को चुनौती दें। इस पृष्ठभूमि के साथ नब्बे के दशक के बाद सामाजिक न्याय भारतीय राजनीति का एक प्रमुख नारा बनता चला गया। इसके कारण अभी तक सत्ता से दूर रहे समूहों को सत्ता की राजनीति के केंद्र में आने का मौका मिला। गौरतलब है कि भारत में भी पर्यावरण-आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन ये लड़ाइयाँ स्थानीय समुदायों के अपने 'जल, जंगल और जमीन' के संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह विकासशील समाजों में अल्पसंख्यक समूह भी अपने खिलाफ पूर्वग्रहों से लड़ते हुए अपने लिए ज्यादा बेहतर सुविधाओं की माँग कर रहे हैं। इस अर्थ में सामाजिक न्याय का संघर्ष लोगों के अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ संघर्ष है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक न्याय के नारे ने विभिन्न समाजों में विभिन्न तबकों को अपने लिए गरिमायुक्त जिंदगी की माँग करने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। सैद्धांतिक विमर्श में भी यूटोपियाई (कल्पनालौकीय) समाजवाद से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक न्याय में बहुत सारे आयाम जुड़ते गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि विकसित समाजों की तुलना में विकासशील समाजों में सामाजिक न्याय का संघर्ष बहुत जटिलताओं से घिरा रहा है। अधिकांश मौकों पर इन समाजों में लोगों को सामाजिक न्याय के संघर्ष में बहुत ज़्यादा संरचात्मक हिंसा और कई मौकों पर राज्य की हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए चलने वाले संघर्षों के कारण इन समाजों में बुनियादी बदलाव हुए हैं। कुल मिला कर समय के साथ सामाजिक न्याय के सिद्धांतीकरण में कई नये आयाम जुड़े हैं और एक संकल्पना या नारे के रूप में इसने लम्बे समय तक खामोश या नेपथ्य / पर्दे के पीछे (backstage) में रहने वाले समूहों को भी अपने के लिए जागृत किया है।

4.3.2 समावेशी-विकास(Inclusive-Development)

समान अवसरों के साथ विकास करना ही समावेशी विकास है। दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसरों की समान पहुंच को सुनिश्चित भी करे हम उस विकास को समावेशी विकास कह सकते हैं। जब यह समाज के सभी सदस्यों की इसमें भागीदारी और योगदान को सुनिश्चित करता है। विकास की इस प्रक्रिया का आधार समानता है। जिसमें लोगों की परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं यानी आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, कौशल, विकास, स्वास्थ्य के साथ-साथ एक गरिमायुक्त जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों की सुपुर्दगी भी करना है, परन्तु ऐसा करते समय पर्यावरण संरक्षण पर भी हमें पूरी तरह ध्यान देना होगा, क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किया गया विकास न तो टिकाऊ होता है और न ही समावेशी। वस्तुपरक दृष्टि से समावेशी विकास उस स्थिति को संकेत करता है, जहां

सकल (gross) घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर में परिलक्षित हो तथा आय एवं धन के वितरण की असमानताओं में कमी आए।

4.3.3 समावेशी-विकास की दिशा और दशा (Direction and Position of inclusive Development)

आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश की एक चौथाई से अधिक आबादी अभी भी गरीब है और उसे जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भारत में समावेशी विकास की अवधारणा सही मायने में जमीनी धरातल पर नहीं उतर पाई है। ऐसा भी नहीं है कि इन छह दशकों में सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर लोगों की गरीबी दूर करने हेतु अनेक कार्यक्रम बने, परन्तु उचित अनुश्रवण (Monitoring) के अभाव में इन कार्यक्रमों से आशानुरूप परिणाम नहीं मिले और कहीं तो ये कार्यक्रम पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। यही नहीं, जो योजनाएं केन्द्र तथा राज्यों के संयुक्त वित्त पोषण से संचालित की जानी थीं, वे भी कई राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने या फिर निहित राजनीतिक स्वार्थों की वजह से कार्यान्वित नहीं की जा सकीं।

समावेशी विकास ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के संतुलित विकास पर निर्भर करता है। इसे समावेशी विकास की पहली शर्त के रूप में भी देखा जा सकता है। वर्तमान में हालांकि मनरेगा जैसी और भी कई रोजगारपरक योजनाएं प्रभावी हैं और कुछ हद तक लोगों को सहायता भी मिली है, परन्तु इसे आजीविका का स्थायी साधन नहीं कहा जा सकता, जबकि ग्रामीणों के लिए एक स्थायी तथा दीर्घकालिक रोजगार की जरूरत है। अब तक का अनुभव यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय कृषि के अलावा रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधनों का सृजन ही नहीं हो सका, भले ही विगत तीन दशकों में रोजगार सृजन की कई योजनाएं क्यों न चलाई गई हों। इसके अलावा गांवों में ढांचागत विकास भी उपेक्षित रहा। फलतः गांवों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होता रहा और शहरों की ओर लोग उन्मुख होते रहे। इससे शहरों में मलिन बस्तियों की संख्या बढ़ती गई तथा अधिकांश शहर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को वहन कर पाने में असमर्थ ही हैं। यह कैसी विडम्बना है कि भारत की अर्थव्यवस्था

की रीढ़ कहीं जाने वाली कृषि-अर्थव्यवस्था निरन्तर कमजोर होती गई और वीरान होते गए, तो दूसरी ओर शहरों में बेतरतीब शहरीकरण को बल मिला और शहरों में आधारभूत सुविधाएं चरमराई। यही नहीं, रोजी-रोटी के अभाव में शहरों में अपराधों की बढ़ गई है। वास्तविकता यह है कि भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां कृषि क्षेत्र से भिन्न वैकल्पिक रोजगार के साधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, परन्तु मूल प्रश्न उन अवसरों के दोहन का है, सरकार को कृषि में अभिनव प्रयोगों के साथ उत्पादन में बढ़ोतरी सहित नकदी फसलों पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। यहां पंचायती राज संस्थाओं के साथ जिला-स्तर पर कार्यरत् 'कृषि अनुसंधान' संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है जो किसानों से सम्पर्क कर कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में पहल करे तथा उनके समक्ष आने वाली दिक्कतों का समाधान भी खोजे, तभी कृषि विकास का इंजन बन सकती है। कृषि के बाद सम्बद्ध राज्य में मौजूद घरेलू तथा कुटीर उद्योगों के साथ पर्यटन पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार को आर्थिक सुधारों के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, सब्सिडी का नकद हस्तांतरण आदि पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।

भारत की विकास दर, जो वर्ष 2012-13 में पांच फीसदी है, वह पिछले दस वर्षों में सबसे कम है वर्ष 2013-14 की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विकास दर की सम्भावना को घटाकर 5.5 कर दिया है। वर्ष 2002-03 में विकास दर चार फीसदी थी, लेकिन उस समय भयंकर सूखे की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं है। समावेशी विकास हेतु श्रम बहुल विनिर्माण/उत्पादकता क्षेत्र को बढ़ावा देना ही होगा। यदि विकास दर में 8-9 फीसदी प्रतिवर्ष चाहते हैं, तो विनिर्माण क्षेत्र को 14-15 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से सतत् आधार पर विकास करना होगा। जापान, कोरिया तथा चीन में विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति देखें तो यह संघ के संघटक रूप में भारत की तुलना में काफी अच्छी है।

चीन में जहां यह 42 फीसदी, दक्षिण कोरिया में 30 फीसदी तो भारत में मात्र 16 फीसदी है। कुछ समय पहले घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति एनएमपी का उद्देश्य भारत में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 2021-22 तक 16

फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करना और अतिरिक्त 100 मिलियन रोजगार अवसर प्रदान करना है इस हेतु भारत के प्राचीनतम श्रम कानून में जो विश्व में सबसे ज्यादा सख्त है, संशोधन करना होगा, ताकि वे कामगारों की सुरक्षा के उनकी रोजी-रोटी को भी बचा सके। पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण क्षेत्रों के समर्पित माल-ढुलाई गलियारा डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का त्वरित कार्यान्वयन करना होगा। इसमें दक्षता विकास के जरिए जॉब प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

4.4 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

4.4.1 जाति, वर्ग और लिंग की असमानता (Inequality of Caste, Class and Gender)

- जातीय एवं वर्ग संबंध (Caste and Class relations)

जाति एवं वर्ग जाति में दूसरी जातियों के साथ खान-पान के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। वर्ग एवं जातीय संबंध समाजशास्त्र के क्षेत्र हैं, जो समाज के सभी स्तरों पर मानव जाति के बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। यह जाति और नस्लवाद तथा विभिन्न समूहों के सदस्यों के बीच जटिल राजनीतिक पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को दुहराव करता है। राजनैतिक नीति के स्तर पर, इस मुद्दे की आम तौर पर चर्चा या तो समीकरणवाद या बहु-संस्कृतिवाद के संदर्भ में की जाती है। नस्लवाद-विरोधी और उत्तर-औपनिवेशिकता भी अभिन्न अवधारणाएं हैं। प्रमुख सिद्धांतकारों में पॉल गिलरॉय, स्टुअर्ट हॉल, जॉन रेक्स और तारिक मद्दूद शामिल हैं।

4.4.2 लिंग और लिंग-भेद (Gender and Gender Differences)

लिंग और लिंग-भेद का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, छोटे पैमाने पर पारस्परिक प्रतिक्रिया और व्यापक सामाजिक संरचना, दोनों स्तरों पर, विशिष्टतः सामर्थ्य और असमानता के संदर्भ में इन श्रेणियों का अवलोकन और आलोचना करता है। इस प्रकार के कार्य का ऐतिहासिक मर्म, नारीवाद सिद्धांत और

पितृसत्ता के मामले से जुड़ा है। जो अधिकांश समाजों में यथाक्रम महिलाओं के दमन को स्पष्ट करता है।

यद्यपि नारीवादी विचार को तीन 'लहरों' विभक्त है, जो निम्नलिखित हैं:--

(i) 19वीं सदी के उत्तरार्ध प्रारंभिक लोकतांत्रिक मताधिकार आंदोलन,

(ii) 1960 की नारीवाद की दूसरी लहर और जटिल शैक्षणिक सिद्धांत का विकास, तथा (iii) वर्तमान 'तीसरी लहर', जो सेक्स और लिंग के विषय में सभी सामान्यीकरणों से दूर होती प्रतीत होती है एवं उत्तर-आधुनिकता, गैर-मानवतावादी, पश्च-मानवतावादी, समलैंगिक सिद्धांत से नज़दीक से जुड़ी हुई है। मार्क्सवादी नारीवाद और स्त्राह नारीवाद भी महत्वपूर्ण स्वरूप हैं। लिंग और लिंग-भेद के अध्ययन, समाजशास्त्र के अंतर्गत होने की बजाय, उसके साथ-साथ विकसित हुए हैं। हालांकि अधिकांश विश्वविद्यालयों के पास इस क्षेत्र में अध्ययन के लिए पृथक प्रक्रिया नहीं है, तथापि इसे सामान्य तौर पर सामाजिक विभागों में पढ़ाया जाता है।

4.4.3 लैंगिक असमानता (Gender Inequality)

लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेद-भाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है।

- विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धियों, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा तथा राजनीतिक सशक्तीकरण के सूचकांकों के मिले-जुले आकलन में विश्व में भारत का स्थान 87वाँ है। देश के श्रमबल में महिलाओं की घटती भागीदारी और संसद में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व चिंतनीय है।

- लिंगानुपात एक अति संवेदनशील सूचक है जो महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। बच्चों में लिंगानुपात निरंतर कम होता जा रहा है। निरंतर कम होते लिंगानुपात के कारण जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो जाता है जिससे महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ने जैसी अनेक सामाजिक समस्याएँ पैदा होती हैं।

आपको स्मरण रहे कि ये सभी संकेतक लिंग समानता और मूलभूत अधिकारों के संबंध में महिलाओं की निराशजनक स्थिति के द्योतक हैं। अतः महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती है ताकि इनका लाभ महिलाओं को प्राप्त हो सके। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इतने कार्यक्रमों के लागू किये जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नज़र नहीं आता।

4.4.4 लैंगिक असमानता के कारण (Causes of Gender Inequality)

लैंगिक असमानता के कारण निम्नलिखित हैं:--

- प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार, “पितृसत्ता सामाजिक संरचना की ऐसी व्यवस्था है, जिसमें पुरुष, महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है” और भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है।
- महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परिघटना और दृष्टिगोचर है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हों, सबसे प्राप्त की है।
- समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति होने के कुछ कारणों में अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी हैं। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएँ कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, वैश्यावृत्ति करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिये मजबूर हो जाती हैं।

- महिलाओं को न केवल असमान वेतन दिया जाता है, बल्कि उनके लिये कम कौशल की नौकरियाँ पेश की जाती हैं जिनका वेतनमान बहुत कम होता है। यह लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है।
- लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिये, अच्छी शिक्षा के अभाव में अधिकांश महिलाएँ वर्तमान में नौकरी के लिये आवश्यक कौशल की शर्तों को पूरा करने में असक्षम हो जाती हैं।
- बहुत जगह और बहुत बार, महिलाओं को खाने के लिये वही मिलता है जो परिवार के पुरुषों के खाने के बाद बच जाता है। अतः समुचित और पौष्टिक भोजन के अभाव में महिलाएँ कई तरह के रोगों का शिकार हो जाती हैं।

4.4.5 'जेंडर बजटिंग (Gender-Budgeting)

लैंगिक समानता के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तीकरण तथा शिशु-कल्याण के लिये किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल, जेंडर बजटिंग शब्द विगत दो-तीन दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके ज़रिये सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाया जाता है।

'जेंडर बजटिंग के क्षेत्र में भारत के प्रयास (Efforts in the area of Gender-Budgeting)

जेंडर उत्तरदायी बजटिंग (Gender Responsive Budgeting (GRB) निम्नलिखित प्रयास है:-

- महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये 2005 से भारत ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजटिंग (Gender Responsive

Budgeting- GRB) को अंगीकार किया था। जीआरबी का उद्देश्य है- राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना।

➤ वर्ष 2005 के बाद से प्रत्येक वर्ष सलाना बजट में एक उक्ति जोड़ी गई, जिसे दो भागों में सूचीबद्ध किया जाता है जिनके नाम हैं- भाग 'A' और भाग 'B'

- भाग A में महिलाओं के कल्याण से संबंधित ऐसी योजनाओं का उल्लेख होता है जिनमें महिला कल्याण के लिये 100 प्रतिशत आवंटन होता है।

- भाग B

भाग B में वैसी योजनाओं का उल्लेख किया जाता है जिनमें महिला कल्याण हेतु कम-से-कम 30 प्रतिशत का आवंटन होता है।

गौरतलब है कि वित्त-मंत्रालय के सहयोग से केंद्र और राज्य-स्तर (16 राज्यों ने अब तक जीआरबी को अंगीकृत किया है) पर जीआरबी के माध्यम से लैंगिक असमानता को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ज्ञात हो कि अंतराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार जीआरबी लागू करने वाले राज्यों के स्कूलों में बालिका नामांकन की दर अधिक देखी गई है।

4.4.6 जीआरबी से संबंधित समस्याएँ (Problems related GRB)

जीआरबी से संबंधित समस्याएँ निम्नलिखित प्रकार से हैं:-

➤ उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद प्रत्येक महिला तक जीआरबी का लाभ सुनिश्चित करने के लिये हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। हाल के कुछ वर्षों में देखा गया है कि जीआरबी के तहत या तो कम राशि का आवंटन हुआ है या सभी वर्षों में यह राशि समान ही रही है।

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग के आवंटन में उचित वृद्धि नहीं की गई, वहीं घरेलू हिंसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये लाई गई योजना के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया।
- गौरतलब है कि जीआरबी के तहत आने वाले मंत्रालयों की संख्या भी कम कर दी गई है और महिला कल्याण हेतु होने वाले आवंटन का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है।

4.4.7 लिंग विशिष्ट विधान (Gender specific Legislations)

हमारे जैसे देश में, लिंग-विशिष्ट कानूनों के महत्व और आवश्यकता को स्वीकार और उजागर किया जाना चाहिए क्योंकि वे महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने में मदद करते हैं और समाज के एक बहुत ही वंचित हिस्से की सहायता में आकर समानता लाने में मदद करते हैं। अब, उक्त 493-पृष्ठ के फैसले में, न्यायपालिका द्वारा समान-लिंग प्रेम को बरकरार रखा गया है। लेकिन समान-लिंग विवाह के बारे में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है।

एक दिन जब अनुमति दी जाती है तो अब तक कानूनी वेड-लॉक्स के विन्यास में एक पूर्ण बदलाव होगा और वैवाहिक-संबंधों को नियंत्रित करने वाले सभी मौजूदा कानूनों को फिर से शादी के एक व्यापक अर्थ के अनुरूप पूरी तरह से पुनर्गठित किया जाना चाहिए, जो अब नया आवरण बना है। इस पुनर्गठन में से कुछ अनिवार्य रूप से लिंग-विशिष्ट कानूनों को फिर से शामिल करना होगा जो वर्तमान में केवल एक शादी के भीतर और बाहर दोनों ही महिलाओं द्वारा पहुँचा जा सकता है। इसलिए लिंग-विशिष्ट और लिंग-तटस्थ कानूनों को देखने का सही समय है।

- लिंग-तटस्थ भाषा या लिंग-समावेशी भाषा (Gender Neutral Language)

वह भाषा है जो किसी विशेष लिंग या सामाजिक लिंग के प्रति पूर्वाग्रह से बचती है। अंग्रेजी में, इसमें उन संज्ञाओं का उपयोग शामिल है जो भूमिकाओं या व्यवसायों को संदर्भित करने के लिए लिंग-विशेष नहीं

हैं, साथ ही साथ वह, उनके और अज्ञात लिंग के लोगों को संदर्भित करने के लिए सर्वनामों से भी बचते हैं। 'जेंडर-न्यूट्रल' वाक्यांश का उपयोग, जबकि तटस्थ और न्यायसंगत होने के लिए, वास्तव में गंभीर अन्याय का कारण हो सकता है और कठोर कमजोरियों को छिपा सकता है, कानून का उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है, और जो लोग सामाजिक और अन्यथा हाशिए पर हैं, उन्हें कानून के संरक्षण की आवश्यकता है।

जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2012 पूरी तरह से लैंगिक-तटस्थ कानूनों का पक्षधर था और 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, जिसने समिति के दृष्टिकोण को सही ठहराया, को तब भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

लैंगिक-तटस्थ कानूनों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय दंड संहिता में यौन उत्पीड़न, महिलाओं का पीछा किए जाने को यौन उत्पीड़न को जोड़ा गया और IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कुछ संशोधन और विलोपन किए गए। लेकिन सभी कानून बनाने पर अध्यादेश लिंग तटस्थ 58 दिनों तक चला और उसे द क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2013 द्वारा बदल दिया गया। इसलिए, वर्तमान प्रावधानों को धता बताते हुए (टालते हुए) और यौन-उत्पीड़न लिंग विशेष बन गया, जहां पुरुष एकमात्र अपराधी हैं और महिलाएं एकमात्र पीड़ित हैं। अगर आज, एक महिला अपने वैवाहिक घर पर घरेलू हिंसा का सामना करती है, तो वह अपने पति और / या उसके ससुराल वालों के खिलाफ 'घरेलू हिंसा अधिनियम' के तहत और 'महिलाओं के संरक्षण' के तहत मामला दर्ज कर सकती है। इसी तरह, अगर कोई महिला अपने कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करती है, तो वह कार्यस्थल अधिनियम में यौन उत्पीड़न के तहत न्याय के लिए दायर कर सकती है। यह सुरक्षात्मक उपायों और सुरक्षा उपायों वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है। जिसमें, यदि कानून लिंग-विशिष्ट नहीं हैं, तो अपराधी कानून को गुमराह करने के लिए पीड़ित के खिलाफ प्रतिवाद दायर कर

सकता है। इसलिए यह उस महिला के लिए न्याय की यात्रा को जटिल बना देगा जो पहले ही एक बार उल्लंघन कर चुकी है और गलत काम करने वाले और उसके वकील के हाथों में अधिक उत्पीड़न का मार्ग प्रशस्त करती है, उसे विचलित करने और न्याय पाने के लिए अदालतों का रुख करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, जो एक न्यायपालिका के उद्देश्य को नष्ट करना, एक लोकतंत्र के दिल को नष्ट करने के बराबर होगा।

- लैंगिक तटस्थता के कार्यान्वयन (**Implementation of Gender Neutral provisions**)

भारतीय समाज में लैंगिक तटस्थता के कार्यान्वयन के संदर्भ में अपने विचार को रखते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गॉसाल्वेस ने इस विचार का कड़ा विरोध किया और कहा, “कानून महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण होना चाहिए और अगर यह पुरुषों के खिलाफ थोड़ा भेदभाव है, तो यह मामला नहीं है। महिलाओं के पक्ष में और पुरुषों के खिलाफ सकारात्मक भेदभाव संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है।” ऐसा कहने का एक संक्षिप्त तरीका, वरिष्ठ अधिवक्ता ABC को फिर से दोहराना है, जो लिंग-तटस्थता के पक्ष में होने के बावजूद, इस बात से सहमत हैं और कहा, “यदि एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति ने एक निम्न श्रेणी महिला के साथ गलत किया, तो उसे अपने वकील के द्वारा महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सलाह दी जाएगी”। इस महिला के सामने तब जो नुकसान होगा, वह हममें से उन लोगों के लिए अथाह है, जिन्हें पता नहीं है कि ये अपराधी कितने प्रभावशाली हैं। वे दंड के रूप में खुद को ढालने के लिए अपनी सामाजिक स्थिति का उपयोग करते हैं और शायद ही कभी उन अपराधों और अत्याचारों के लिए आयोजित किया जाता है जो वे इन हाशिए के समूहों पर डालते हैं। हालांकि लिंग-विशिष्ट कानूनों के लिए एक अनुकूल इसके अलावा, उनकी प्रयोगात्मकता के दायरे के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। यह कहना है कि आज हमें वर्तमान परिदृश्य को देखना चाहिए और कानून के लेंस को व्यापक रूप से पुरानी धारणा को बदलकर देखना चाहिए, जिसमें अपराधी और पीड़ित दोनों लिंग-विशिष्ट होते हैं और इसके बजाय एक

कानून को अनुकूलित करते हैं जो कहता है कि अपराधी लिंग-विशिष्ट, जैसा कि पहले था लेकिन पीड़ित लिंग-तटस्थ हो सकता है।

यह कई मामलों के बाद आता है जो अक्सर इस धारणा के कारण अप्राप्य हो जाते हैं कि समाज उस व्यक्ति को अमान्य कर देगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के बारे में आगे आता है। पहले, कई पुरुष अभिनेताओं ने भी कहानियों को साझा किया था, जहां वे पुराने सिंड्रोम का शिकार होने के करीब थे, जो आज तक फिल्म उद्योग का शिकार करते हैं, जिन्हें C कास्टिंग काउच 'सिंड्रोम' के रूप में जाना जाता है। आदर्श रूप से, धारा 377 के आसपास के हालिया फैसले के बाद, इस तरह की सिफारिश करने के लिए फाटकों को खुले में फेंकने के बजाय समाज के हाथों में छोड़ दिया जाए ताकि वे तय कर सकें कि वास्तविक और क्या नहीं है। जितना भूमि का लिंगविहीन कानून 'एक सपना लगता है, लेकिन सभी कानूनों की तरह, उनकी व्यावहारिकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पूर्ण लिंग-तटस्थता 'और'समानता', जो चेहरे पर देखा जाता है, वास्तव में, कुछ भी लेकिन इसके विपरीत- 'कुछ भी', 'लेकिन' पर्यायवाची शब्द हैं। हमें हमेशा खुद से पूछना चाहिए, "यह कानून आवश्यक है लेकिन क्या यह व्यावहारिक है?" न केवल हमारे लिए, बल्कि समाज के उन सभी वर्गों के लिए जिस पर इसका असर पड़ना तय है। कानून के सही सार के लिए हमारे राष्ट्र-ध्वनि को प्रगतिशील नहीं बनाना है, लेकिन इस राष्ट्र के नागरिकों को उपयोग करने में सक्षम होना है।

4.5 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)

अधिगम सम्बंधित क्रियाकलाप

रिक्त स्थान भरें:--

- i) सामाजिक न्याय कीसभी मनुष्यों को समान मानने

के आग्रह पर आधारित है।

- ii)और, दोनों के मामले में समाजशास्त्र, एक विस्तृत विषय है।
- iii)औरने आंतरिक जटिलताओं के कारण दुनिया को दो विश्व-युद्धों, महामंदी, फ्रांसीसीवाद और नाज़ीवाद जैसी भीषणताओं में धकेल दिया।
- iv) सामाजिक न्याय के नारे ने विभिन्न समाजों में विभिन्न तबकों को अपने लिएकी माँग करने और उसके लिए के लिए प्रेरित किया है।
- v) समान अवसरों के साथ विकास करना हीहै।
- vi) समावेशी विकासदोनों क्षेत्रों के संतुलित विकास पर निर्भर करता है।
- vii) लिंग समानता औरके संबंध में महिलाओं की निराशजनक स्थिति के द्योतक हैं।

कृपया उत्तर की पड़ताल पाठ के अंतिम हिस्से 4.9 में करें।

4.6 सारांश (Summary)

आप जान गए हैं कि विकसित हों या विकासशील, दोनों ही तरह के देशों में राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की इस अवधारणा और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अर्थ हमेशा स्पष्ट ही होता है। सामाजिक न्याय के सिद्धांतीकरण में कई आयाम जुड़ते गये हैं। मसलन, अल्पसंख्यक अधिकार, बहु-संस्कृतिवाद, मूल

निवासियों के अधिकार आदि। इसी तरह नारीवाद के दायरे में स्त्रियों के अधिकारों को ले कर भी विभिन्न स्तरों पर सिद्धांतीकरण हुआ है और स्त्री-सशक्तीकरण के मुद्दों को उनके सामाजिक न्याय से जोड़ कर देखा जाने लगा है।

यद्यपि एक विचार के रूप में विभिन्न धर्मों की बुनियादी शिक्षाओं में सामाजिक न्याय के विचार को देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश धर्म या सम्प्रदाय जिस व्यावहारिक रूप में सामने आये या बाद में जिस तरह उनका विकास हुआ, उनमें कई तरह के ऊँच-नीच और भेदभाव जुड़ते गये। समाज-विज्ञान में सामाजिक न्याय का विचार उत्तर-ज्ञानोदय काल में सामने आया और समय के साथ अधिकाधिक परिष्कृत होता गया।

समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं यानी आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, कौशल, विकास, स्वास्थ्य के साथ-साथ एक गरिमामय जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों की सुपुर्दगी भी करना है।

वर्ग एवं जातीय संबंध समाजशास्त्र के क्षेत्र हैं, जो समाज के सभी स्तरों पर मानव जाति के बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। यह जाति और नस्लवाद तथा विभिन्न समूहों के सदस्यों के बीच जटिल राजनीतिक पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को आवृत करता है। सामाजिक सन्दर्भों में समानता (equality) का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान (अलग-अलग नहीं) अधिकार या प्रतिष्ठा (status) रखते हैं। ... दो या दो से अधिक लोगों या समूहों के बीच संबंध की एक स्थिति ऐसी होती है जिसे समानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

जीआरबी के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि जीआरबी को महिला कल्याण के लिये एक प्रतीकात्मक योजना की बजाय एक 'व्यावहारिक योजना' बनाया जाए। गौरतलब

है कि अब तक जीआरबी में केवल वैसी योजनाओं को शामिल किया जाता रहा है जिनके सारोकार सीधे तौर पर महिला कल्याण से जुड़े हुए हैं। ऊर्जा, शहरी विकास, खाद्य सुरक्षा, जलापूर्ति और स्वच्छता जैसे मुद्दों को भी महिला कल्याण से जोड़ना होगा क्योंकि अप्रत्यक्ष ही सही लेकिन ये सभी महिला कल्याण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं।

जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी बनाने की बजाय उन्हें विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाना होगा। हालाँकि, जेंडर बजटिंग लैंगिक असमानता को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है लेकिन इसके लिये जीआरबी के माध्यम से नीतियों को और अधिक प्रभावी और व्यापक दृष्टिकोण से युक्त बनाना होगा, उचित और व्यावहारिक आवंटन सुनिश्चित करना होगा। वास्तविक सुधारों के लिये जेंडर बजटिंग को महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा।

दरअसल, लैंगिक समानता का सूत्र श्रम-सुधारों और सामाजिक-सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा है, फिर चाहे कामकाजी महिलाओं के लिये समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना। मातृत्व अवकाश के जो कानून सरकारी क्षेत्र में लागू हैं, उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा। जेंडर बजटिंग और सामाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही भारत को लैंगिक असमानता के बन्धनों से मुक्त किया जा सकता है।

4.7 संकेतक शब्द (Keywords)

- सामाजिक न्याय: किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना;
- लैंगिक समानता: महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तीकरण के जरिये लैंगिक असमानता को हासिल करना.

- सामाजिक सुरक्षा: 'वह सुरक्षा जो समाज, उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, सामाजिक सुरक्षा (Social security) है।
- समावेशी विकास: ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसरों की समान पहुंच को सुनिश्चित भी करे।
- जेंडर: लिंग के अनुसार; और गौण रूप से सेक्स के साथ जुड़े कुछ फैसला या आरोपित गुणवत्ता।
- बहुसंस्कृतिवाद: बहु-जातीय संस्कृति की स्वीकृति देना या बढ़ावा देना होता है, एक विशिष्ट स्थान के जन-सांख्यिकीय बनावट पर यह लागू होती है, आमतौर पर यह स्कूलों, व्यापारों, पड़ोस, शहरों या राष्ट्रों जैसे संगठनात्मक स्तर पर होते हैं।
- स्त्री-सशक्तीकरण: जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो।
- लैंगिक असमानता: लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है।
- 'जेंडर-न्यूट्रल' वाक्यांश: लिंग-तटस्थ भाषा

4.8 स्वयं-मूल्यांकन परीक्षा (Self-Assessment Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के यथासंभव उत्तर दीजिये।

- समावेशी विकास क्या है?
- जातीय एवं वर्ग संबंध क्या हैं?
- समावेशी विकास क्यों आवश्यक है?
- लैंगिक असमानता क्या है?

- स्त्री-सशक्तीकरण ds egRo पर अपने शब्दों में प्रकाश डालिये A
- लैंगिक असमानता के कारण क्या है?
- सामूहिक जीवन के लिए लैंगिक-तटस्थता की क्या आवश्यकता होती है उदहारण सहित समझाएं।

4.9 प्रगति -समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें (Answers to check your progress)

- i) बुनियाद
- ii) पद्धति, विषय- वस्तु
- iii) उदारतावाद, पूँजीवाद
- iv) गरिमामय ज़िंदगी, संघर्ष करने
- v) समावेशी विकास
- vi) ग्रामीण तथा शहरी
- vii) मूलभूत अधिकारों

4.10 सन्दर्भ / सहायक अध्ययन-सामग्री (Other Suggested Readings)

- i. जॉन रॉल्स (1971), अ थियरी ऑफ़ जस्टिस, ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लंदन.
- ii. इलानोर ज़िलियट (1986), 'द सोशल ऐंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ़ बी.आर. आम्बेडकर', थॉमस पेंथम और केनेथ एल. ड्युथ (सम्पा.), पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इण्डिया, सेज पब्लिकेशंस, नयी दिल्ली.
- iii. विल किमलिका (1996), मल्टीकल्चरल सिटीज़नशिप : अ लिबरल थियरी ऑफ़ माइनॉरिटी राइट्स, क्लेरेंडन प्रेस, ऑक्सफ़र्ड.
- iv. Sociology: An Introduction by Smelser, Neil, J., Wiley Eastern Private Limited

- v. Sociology: Principles of sociology with an introduction to social thought by Shanker Rao C.N., S. Chand and Company.
- vi. Samajshastra (Hindi), M.L.Gupta & D. D. Sharma, Sahitya Bhawan Publications, Agra
- vii. History of Social thought by K.Singh, Prakashan Kendra, Lucknow.

Subject : Sociology (Social Problems in India)	
Course Code : SOCL 202	Author : Dr. Shakuntla Devi
Lesson No. : 5	Updated By: self
अल्पसंख्यक समुदायों का विकास (Development of Minorities)	

अध्याय की संरचना

5.0 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

5.2 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

5.2.1 अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा व अर्थ (Meaning and Definition of Minorities)

5.2.2 अल्पसंख्यक की अवधारणा (Concept of Minorities)

5.3 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

5.3.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना (National Minorities Commission 1992)

5.3.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य (Functions of National Minorities Commission)

5.3.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की शक्तियां (Powers of National Minorities Commission)

5.3.4 अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी योजनाएं (Educational Plans regarding Minorities by MHRD)

5.3.5 नए 15 सूत्री कार्यक्रम (Prime Minister's 15 point program)

5.4 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)

5.5 सारांश (Summary)**5.6 सूचक शब्द (Keywords)****5.7 स्व-मूल्यांकन हेतु प्रश्न (Self-Assessment Questions) (SAQs)****5.8 अपनी प्रगति की जाँच करने के लिए उत्तर देखें (Answers to check your Progress)****5.9 सन्दर्भ ग्रन्थ/निर्देशित पुस्तकें (References/ Suggested Readings)****5.0 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)**

इस अध्याय के अंत तक, आप निम्न योग्य होंगे:-

- अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा व अर्थ का ज्ञान करवाना।
- अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों के विषय में पढ़ना।
- भारत में अल्पसंख्यकों का विकास, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका बारे में जानना।
- अल्पसंख्यकों की सरकार की तरफ से व्यवस्था और सुविधाओं को समझना और चर्चा करना।
- नए 15 सूत्री कार्यक्रम (Prime Minister's 15 point program) की महत्ता के बारे में जानना।

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी समुदायों के लोग शांति एवं सद्भाव से रहते हैं। विश्व के सभी बड़े धर्मों के अनुयायी भारत में भी हैं। यहां हिन्दू बहुसंख्यक हैं और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अधिनियम, 1992 के तहत मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, बौद्ध एवं पारसियों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अल्पसंख्यक समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सरकार ने इन समुदायों के

सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित की हैं। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तीकरण और उनकी संस्कृति, भाषा एवं धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन किया है। इस मंत्रालय का लक्ष्य सकारात्मक कार्यों तथा समावेशी विकास के जरिए अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है ताकि एक प्रगतिशील देश के निर्माण में हर नागरिक को बराबर के अवसर मिल सकें।

देश के सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। भारत में हिन्दुओं को शुरू से ही बहुसंख्यक माना जाता रहा है। अंग्रेजों के जमाने में ही ये बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि भारत में हिन्दू एक बहुसंख्यक समाज है, जबकि शेष समुदाय अल्पसंख्यक हैं। लेकिन, हिन्दुओं को भारत के कुछ खास क्षेत्रों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात आधिकारिक तौर पर की जा रही है।

सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बनाई हुई तीन सदस्यों की उपसमिति हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर विचार करने के लिए समय-समय पर इस विषय पर सभी पक्षों की दलील सुनी-सुनाई जाती है। देश में अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर शुरू से ही राजनीति होती रही है। भारतीय समाज को अलग-अलग समुदायों में तोड़ने के लिए, अंग्रेजों ने 1899 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रचलन किया था, ताकि भारतीय समुदायों को विभाजित किया जा सके। आजादी के बाद भी अल्पसंख्यक शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं बन सकी। संविधान के अनुच्छेद 366 पूरा का पूरा परिभाषाओं के लिए ही है। लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा इस अनुच्छेद में भी नहीं है। संविधान निर्माताओं ने कभी भी अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। यहां तक की भारत सरकार ने भी 1992 में जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कानून पारित किया तो उसमें भी अल्पसंख्यक की परिभाषा में यही कहा गया कि 'अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे।'

अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में बराबर की हिस्सेदारी तथा उनका उत्थान सुनिश्चित करने के लिए जून 2006 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इसके तहत विभिन्न लक्ष्यों को निश्चित समयावधि में हासिल किए जाने पर जोर दिया गया है।

5.2 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

5.2.1 अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा व अर्थ (Meaning and Definition of Minorities)

अल्पसंख्यकों की परिभाषा, शाब्दिक दृष्टि से अल्पसंख्यक लैटिन भाषा के 'Minor तथा ity' का यौगिक शब्द है, इन दोनों का संयुक्त अर्थ "समूह को बनाने वाले दो समूहों में संख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा समूह हैं।" अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा व अर्थ निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है।

- i. अल्पसंख्यक संस्कृत के दो शब्दों अल्प यानि थोड़ा (या कम) एवं संख्या इस सामासिक शब्द (समस्तपद) का अर्थ होता है दूसरे समूहों की तुलना में कम संख्या में होना।
- ii. 'अल्पसंख्यक' की परिभाषा संविधान द्वारा निर्धारित है कि देश के सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। ... 1899 में उस समय के ब्रिटिश जनगणना आयुक्त ने सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और मुस्लिम को अल्पसंख्यक कहा था जबकि हिंदुओं को देश का बहुसंख्यक समुदाय बताया था।
- iii. अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ 'कम संख्या में' होता है लेकिन संक्षेप में प्रश्न उठते हैं कि:
 - क्या भारतीय समाज के धार्मिक ताने-बाने में मुस्लिम समुदाय के लिए यह शब्द सटीक बैठता है?
 - क्या वाकई हिंदुस्तान में जहां मुस्लिमों और अन्य धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक माना जाता है, उन्हें अल्पसंख्यक कहना सही है..?

- iv. 'अल्पसंख्यक' शब्द की परिभाषा हमारे सेक्यूलर संविधान में नहीं है बेशक इसका विवरण संविधान की धाराओं में शामिल है केंद्र सरकार ने यह स्वीकारोक्ति संसद में एक लिखित उत्तर में की हुई है। तत्कालीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री श्री निनॉन्ग ईरिंग ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द का विवरण धारा 29 से लेकर 30 तक और 350ए से लेकर 350बी तक शामिल है। इसकी परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की धारा 29 में 'अल्पसंख्यक' शब्द को इसके सीमांतर शीर्षक में शामिल तो किया गया किंतु इसमें बताया गया है कि यह नागरिकों का वह हिस्सा है, जिसकी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति भिन्न हो सकता है। यह एक पूरा समुदाय जिसे सामान्य रूप से एक अल्पसंख्यक अथवा एक बहुसंख्यक समुदाय के एक समूह के रूप में देखा जाता है।

5.2.2 अल्पसंख्यक की अवधारणा (Concept of Minorities)

भारतीय संविधान की धारा-30 में विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियों – धार्मिक और भाषायी, का उल्लेख किया गया है। शेष दो धाराएं- '350ए' और '350बी' केवल भाषायी अल्पसंख्यकों से ही संबंधित हैं।

- i. संविधान निर्माताओं को अल्पसंख्यक आयोग के गठन की जरूरत महसूस नहीं हुई। राजनीति को इसकी जरूरत थी, इस लिए सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कानून पारित करवाया, इस कानून में भी अल्पसंख्यक की भिन्न परिभाषा है जो निम्नलिखित है:--
- ii. अल्पसंख्यक वह समुदाय है जो केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे। अर्थात् अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार सरकार ने खुद अपने हाथ में ले लिया किसी जाति समूह को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने की विधि (अनुच्छेद 341 व 342) बड़ी जटिल है यह काम संसद ही कर सकती है लेकिन अल्पसंख्यक घोषित करने का काम सरकारी दफ्तर से ही होने का प्रावधान है...!!

- iii. भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर पांच धार्मिक समुदाय यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी समुदायों को अधिसूचित किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में पांच धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिशत 18.42 है फिर अचानक 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद (ग) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया।
- iv. वस्तुतः जिस ब्रिटिश राजनीतिक वोट और दल की प्रणाली को हमने अपनाया है, उसमें से भिन्न परिणाम निकलना ही नहीं था, उस प्रणाली में से निकले राजनीतिक नेतृत्व का विघटनवाद और पृथक्तावाद में निहित स्वार्थ पैदा हो गया है, उसी स्वार्थ को सामने रखकर सब संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है। उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नामक संस्था का विचार कीजिए। इस आयोग की स्थापना जनता पार्टी के शासनकाल (1977-79) में हुई थी। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक कहलवाने वाले वर्गों को क्रमशः एकात्म राष्ट्रीय समाज का अभिन्न अंग बनाना था लेकिन उसने इस दायित्व को निभाने की बजाय अल्पसंख्यकवाद को गहरा किया और पृथक्तावाद की दिशा में धकेला। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री आर.एस. लाहोटी ने एक निर्णय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भंग करने का सुझाव दिया था और वैसे भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के बाद ही अल्पसंख्यक आयोग की संवैधानिक व कानूनी प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाती है।
- v. हमारे तथाकथित सेक्यूलर संविधान के अनुसार, “देश की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से अधिक वाले समुदाय या वर्ग को अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता तो किस आधार पर हमारी सरकारें मुस्लिमों और अन्य को अल्पसंख्यक मान उन्हें विशेष रियायत देती हैं..?”

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना ससंद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी।

5.3 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

5.3.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना (National Minorities Commission 1992)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान (1993-1996) थे। दिनांक 12.1.1978 की परिकल्पना के तहत, भारत के गृह मंत्रालय के संकल्प अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी जिसमें विशेषरूप से उल्लेख किया गया था कि संविधान तथा कानून में संरक्षण प्रदान किए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक असमानता एवं भेदभाव को महसूस करते हैं। इस क्रम में धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने पर विशेष बल दे रही है तथा समय-समय पर लागू होने वाली प्रशासनिक योजनाओं, अल्पसंख्यकों के लिए संविधान, केंद्र एवं राज्य विधानमंडलों में लागू होने वाली नीतियों के सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रभावशाली संस्था की व्यवस्था करना। कुछ समय के लिए वर्ष 1984 में अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया था तथा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नए रूप में गठित किया गया।

कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर पांच धार्मिक समुदाय जैसे- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी समुदायों को अधिसूचित किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार, देश की जनसंख्या में पांच धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिशत 18.42 है।

27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद (ग) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया।

5.3.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य (Functions of National Minorities Commission)

आयोग को निम्नलिखित कार्यों के सम्पादन का आदेश निम्नलिखित दिया गया है:-

- संघ तथा राज्यों के अर्थात् अल्पसंख्यकों की उन्नति तथा विकास का मूल्यांकन करना।
- संविधान में निर्दिष्ट तथा संसद और राज्यों की विधानसभाओं/ परिषदों के द्वारा अधिनियमित कानूनों के अनुसार अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित कार्यों की निगरानी करना।
- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- अल्पसंख्यकों को अधिकारों तथा संरक्षण से वंचित करने से संबंधित विषेश शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों की संबंधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना।
- अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं के कारणों का अध्ययन और इनके समाधान के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान तथा विप्लेशन की व्यवस्था करना।
- अल्पसंख्यकों से संबंधित ऐसे किसी भी उचित कदम का सुझाव देना जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा उठाया जाना है।
- अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले विषेशतया उनके सामने होने वाली कठिनाइयों पर केन्द्रीय सरकार हेतु नियतकालिक या विषेश रिपोर्ट तैयार करना।
- कोई भी अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, की रिपोर्ट तैयार करना।

5.3.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की शक्तियां (Powers of National Minorities Commission)

- आयोग के पास उपरोक्त कार्यों को करने के लिए दीवानी अदालत की शक्तियां हैं।

- भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन भेज कर उसकी हाजिरी लगाना तथा उसे शपथ दिलाकर परखना ।
- किसी भी दस्तावेज को खोजना तथा प्रस्तुत करने के लिए कहना।
- हलफनामों पर गवाही लेना।
- किसी भी न्यायालय या सरकारी दफ्तर से पब्लिक रिकार्ड की मांग करना ।
- गवाहों तथा दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना ।
- कोई भी अन्य निर्धारित मुद्दा ।

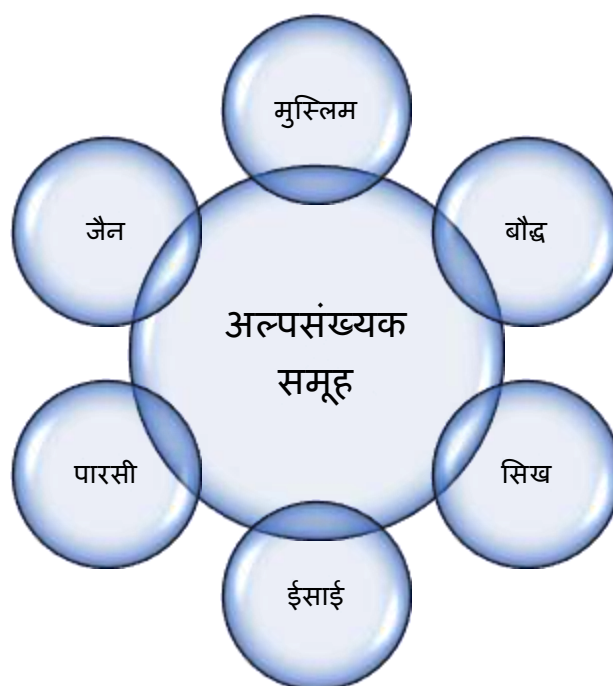
5.3.4 अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी योजनाएं (Educational Plans regarding Minorities by MHRD) (मानव संसाधन विकास केंद्र की शैक्षिक योजनाएँ)

- शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए 'एरिया इंटेन्सिव प्रोग्राम' जारी करना ।
- इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य उन भागों में जहां शिक्षा में पिछड़े हुए अल्पसंख्यक भारी संख्या में रहते हैं, वहां शिक्षा के लिए सुविधा मुहैया कराना।
- मदरसा शिक्षा को माडर्न बनाने के लिए वित्तीय सहायता की मांग करना ।
- फारसी और अरबी भाषा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराना।
- अल्पसंख्यकों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग क्लासों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता के लिए कहना।
- केंद्रीय वक्फ परिषद तकनीकी संस्थानों तथा वोकेशनल कोर्स करने वालों को वजीफा तथा वित्तीय सहायता देती है ।

- मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन आवासीय स्कूलों, तकनीकी/प्रोफेशनल संस्थानों, हास्पिटल, पिछड़े अल्पसंख्यकों को कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

5.3.5 नए 15 सूत्री कार्यक्रम (Prime Minister's 15 point program)

भारत एक बहु-सांस्कृतिक, बहु नजातीय, बहु- धार्मिक और बहु- भाषी राष्ट्र है जहाँ विविधता ही इसकी शक्ति है। भारत सरकार ने धार्मिक और भाषायी, दोनों अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रावधान किये हैं। वर्तमान में, भारत सरकार ने 6 धार्मिक समूहों को अल्पसंख्यक समूह के रूप में अधिसूचित किया है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जौरास्ट्रियन (पारसी) और जैन शामिल हैं।



चित्र 5.1

भारत सरकार द्वारा विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों की प्रगति तथा समग्र विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऐसा ही एक प्रयास प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम है जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाया गया

है और यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों /विभागों की विभिन्न योजनाओं और प्रयासों को शामिल किया गया है।

i. कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य (Objectives)

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य (Objectives): इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य जो निम्नलिखित हैं:--

- शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों को बढ़ावा देना।
- मौजूदा एवं नयी योजनाओं के जरिए आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार में अल्पसंख्यकों की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता को बढ़ावा देना तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार की नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना।
- बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़ी योजनाओं में उनकी पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।
- सांप्रदायिक हिंसा एवं वैमनस्यता की रोकथाम तथा नियंत्रण।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि वंचित तबकों के लिए शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित वर्गों तक अवश्य पहुंचे। इन योजनाओं का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकासात्मक परियोजनाओं की निश्चित हिस्सेदारी हो। नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल की गई विभिन्न योजनाएं निम्नलिखित हैं:--

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समन्वित बाल विकास सेवाएं योजना, इसमें आंगनवाड़ी केन्द्रों के जरिए सेवाएं दी जा रही हैं।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (केजीबीवी)।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की आजीविका योजना।
- आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का आधुनिकीकरण।
- वित्तीय सेवाओं के विभाग की वरीयता सेक्टर ऋण योजना के तहत बैंक ऋण की उपलब्धता।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की इंदिरा आवास योजना।

ii. उपाय (Solutions)

केन्द्र सरकार ने सचचर समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए कुछ सीमित उपाय भी किए हैं। ये इस प्रकार निम्नलिखित हैं:-

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तायुक्त शिक्षा की पहुंच।
- देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 जिलों में प्रत्येक में एक मॉडल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इन 374 जिलों में से 61 जिलों की पहचान अल्पसंख्यक बहुल जिलों के रूप में की गई है।
- जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम अधिक रहते हैं, वहां के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में महिला छात्रावास की स्थापना व्यवस्था में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वरीयता का प्रावधान।
- क्षेत्र विशेष एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित किया गया है और इसे दो निम्नलिखित भागों में बांटा गया है।

i) मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना है। इसमें बेहतर शिक्षकों की भर्ती करने, वेतन एवं अन्य भत्ते बढ़ाने, पुस्तकों, कम्प्यूटरों एवं शिक्षण सहायक उपकरणों की खरीद के लिए सहायता में बढ़ावा देना।

ii) निजी सहायता/गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक-संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता।

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में उर्दू माध्यम के शिक्षकों के लिए पेशेवर अकादमियों की स्थापना।
- इसके अलावा केन्द्र सरकार ने 2008-09 में बहु-आयामी विकास कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल जिलों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, विभिन्न प्रकार के असन्तुलनों को कम करना तथा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है।
- विकास के नजरिए से जो जिले मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए विशेष योजना बनाई गई है, जिसमें स्कूली एवं माध्यमिक शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, साफ-सफाई पर ध्यान देना, पक्के घरों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल एवं बिजली की उपलब्धता तथा आय बढ़ाने वाली लाभार्थी आधारित योजनाएं शामिल हैं। इसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है कि जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे बेहतर सड़क संपर्क, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं, कौशल विकास एवं विपणन (marketing) सुविधाओं का होना जरूरी है।
- इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उन्हें विभिन्न छात्रवृत्तियां उपलब्ध करा रहा है। इसमें शामिल छात्रवृत्तियां इस प्रकार हैं –
 - प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम
 - पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम
 - मैरिट-मींस स्कॉलरशिप स्कीम

- मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप
- मुक्त कोचिंग एवं अन्य योजनाएं
- अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास योजना
- राज्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगमों से जुड़ी एजेंसियों को अनुदान योजना।

इस प्रकार केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि जीवन के हर क्षेत्र में वे दूसरों के साथ सम्मान से खड़े होकर गौरवपूर्ण जीवन जी सकें।

5.4 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)

अधिगम सम्बंधित क्रियाकलाप

रिक्त स्थान भरो :--

- भारत में प्रचलन में है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि को..... माना जाता है।
- भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तीकरण और उनकी संस्कृति, भाषा एवं धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने के लिएका गठन किया है।
- जून 2006 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री केकी घोषणा की गई थी।
- संविधान केपूरा का पूरा परिभाषाओं के लिए ही है।
- अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिसेअधिसूचित करे।'
- भारत एक बहु-सांस्कृतिक, बहु नजातीय, बहु- धार्मिक और बहु- भाषी राष्ट्र है जहाँ

.....ही इसकी शक्ति है ।

vii) राष्ट्रीयसंसद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी।

कृपया उत्तर की पड़ताल पाठ के अंतिम हिस्से 5.8 में करें ।

5.5 सारांश (Summary)

स्पष्ट है कि किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार सरकार ने खुद अपने हाथ में लिया है। भारत में प्रचलन में यही देखा गया है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि को अल्पसंख्यक माना जाता है। इन्हें अपने समुदाय का संरक्षण करने के लिए कई अधिकार भी दिए गए हैं। लेकिन जब संख्या के आधार पर किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कहा जाता है तो यह भी देखा जाना चाहिए कि किसी खास स्थान या राज्य में किसी समुदाय विशेष की जनसंख्या कितनी है। अल्पसंख्यक आयोग अभी जिस मसले पर विचार कर रहा है, उसमें राज्य में समुदाय विशेष की संख्या को ध्यान में रखने की बात कही गई है। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि विशेष स्थान पर जो समुदाय असल में अल्पसंख्या में है, उसे ही अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सके। भारत में अल्पसंख्यक का अर्थ हमेशा ही गैर-हिंदुओं को समझा जाता रहा है। दुर्भाग्य से भारत में बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। 1899 में उस समय के ब्रिटिश जनगणना आयुक्त ने सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और मुस्लिम को अल्पसंख्यक कहा था। जबकि हिंदुओं को देश का बहुसंख्यक समुदाय बताया था। हालांकि इस परिभाषा में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि अल्पसंख्यक कहे जाने के लिए कुल आबादी में समुदाय विशेष की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए। कई यूरोपीय देशों में कुल आबादी में दस फीसदी से कम आबादी वाले समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में छह फीसदी से कम आबादी वाले समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाता है। लेकिन भारत में ऐसा

कुछ भी निर्धारण नहीं किया गया है। भारतीय जनतंत्र में अल्पमत आधे से कम को कहते हैं और आधे से एक भी अधिक को बहुमत कहा जाता है। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन इसी आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय का निर्धारण नहीं हो सकता है इस प्रकार सरकार अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि जीवन के हर क्षेत्र में वे दूसरों के साथ सम्मान से खड़े होकर गौरवपूर्ण जीवन जी सकें। भारत में हम सबकी नस्ल एक है। यदि रंग रूप में कहीं अंतर दिखाई भी देता है तो वह देश की विशालता और विभिन्न जलवायु होने के कारण है। कश्मीर की जलवायु और तमिलनाडु की जलवायु एक दम भिन्न है। जिसने मानव के रंग, रूप, कद-काठी पर भी अपना प्रभाव दिखाया है। फलस्वरूप दोनों प्रांतों के लोगों में अंतर दिखाई देता है। किंतु यह अंतर नस्ल का अंतर नहीं है। हमारे पूर्वज एक ही हैं, हमारा इतिहास एक है, हमारी संस्कृति एक है। यही स्थिति मुस्लिमों के बारे में भी है। उनमें से अधिकांश के पूर्वज भारत के हिंदू ही हैं। इसलिए उनकी नस्ली भिन्नता भारत में सिद्ध नहीं होती है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका या किसी अन्य देश के लोग जो भारत में निवास कर रहे हों और यहां निवास करते करते अपनी नस्ल भाषा और सम्प्रदाय को बनाये और बचाये रखने के लिए चिंतित हों वही लोग भारत में अल्पसंख्यक माने जाएंगे। किंतु ये भी तीस प्रतिशत होने चाहिए। परिवर्तित परिस्थितियों में वे अपने मूल देश में आना नहीं चाहते थे, अथवा उनके मूल देश की सरकारें उन्हें पुनः स्थापित करने में रुचि नहीं ले रही थीं। ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों की विशेष समस्या बनकर उभरी कि इनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किया जाए? तब उनकी समस्या के समाधान के लिए और उन्हें अपने उस देश के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए जिसमें कि वे रह रहे थे, यह व्यवस्था की गयी कि ऐसे लोगों की संख्या तीस प्रतिशत होनी चाहिए। यदि इससे कम संख्या है तो ऐसे लोगों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अल्पसंख्यकों के कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संसद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी। 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान (1993-1996) थे। 27 जनवरी, 2014 को केंद्र सरकार ने

‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992’ की धारा 2 के अनुच्छेद (ग) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।

5.6 सूचक शब्द (Keywords)

- अल्पसंख्यक: अल्पसंख्यक संस्कृत के दो शब्दों अल्प यानि थोड़ा (या कम) एवं संख्या इस सामासिक शब्द का अर्थ होता है दूसरे समूहों की तुलना में कम संख्या में होना।
- बहुसंख्यक: विविध, बहुसंख्यक, विभिन्न, विस्तृत, बहुत, लंबा-चौड़ा कई संख्यावाला, बड़ी संख्यावाला।
- समुदाय: समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है।
- गुणवत्तायुक्त शिक्षा: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा है जो हर बच्चे के काम आये।
- आयोग: आयोग एक प्रकार से संवैधानिक मान्यता प्राप्त समिति है जिसे विशेषाधिकार प्राप्त है।

5.7 स्व-मूल्यांकन हेतु प्रश्न (Self-Assessment Questions) (SAQs)

निम्नलिखित प्रश्नों के यथासंभव उत्तर दीजिये।

- अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा व अर्थ दीजिए।
- अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों के विषय में लिखें।
- भारत में अल्पसंख्यकों का विकास, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका बारे में लिखें।
- अल्पसंख्यकों की सरकार की तरफ से व्यवस्था और सुविधाओं को अपने शब्दों में लिखें।
- नए 15 सूत्री कार्यक्रम (Prime Minister's 15 point program) की महत्ता के बारे में प्रकाश डालिये।

5.8 अपनी प्रगति की जाँच करने के लिए उत्तर देखें (Answers to check your Progress)

उत्तर;

i) अल्पसंख्यक

ii) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय

iii) नए 15 सूत्री कार्यक्रम

iv) अनुच्छेद 366

v) केंद्रीय सरकार

vi) विविधता

vii) अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना

5.9 सन्दर्भ ग्रन्थ/निर्देशित पुस्तकें (References/ Suggested Readings)

- Sociology: An Introduction by Smelser, Neil, J., Wiley Eastern Private Limited
- Sociology: Principles of sociology with an Introduction to Social Thought by Shanker Rao C.N., S. Chand and Company.
- Samajshastra (Hindi), M.L.Gupta & D. D. Sharma, Sahitya Bhawan Publications, Agra
- History of Social thought by K.Singh, Prakashan Kendra, Lucknow.

Subject: Sociology (Social Problems in India)	
Course Code: SOCL 202	Author: Dr. Shakuntla Devi
Lesson No.-06	Updated By: self
सामाजिक अव्यवस्था) Social Disorganization)	

अध्याय-संरचना

6.1 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

6.2 परिचय (Introduction)

6.3 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

6.3.1 सामाजिक -व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definitions of Social Organisation)

6.3.2 सामाजिक अव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definitions of Social Disorganisation)

6.4 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

6.4.1 सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य (Aims and Objectives of Social Organisation)

6.4.2 सामाजिक व्यवस्था का महत्व (Importance of Social-Organisation)

6.5 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)

6.6 सारांश (Summary)

6.7 संकेतक शब्द (Keywords)

6.8 स्वयं - मूल्यांकन परीक्षा (Self-Assessment Questions)

6.9 प्रगति -समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें (Answers to check your progress)

6.10 सन्दर्भ / सहायक अध्ययन-सामग्री (Other Suggested Readings)

6.1 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंत तक, आप निम्न योग्य होंगे :--

- c) सामाजिक-व्यवस्था, सामाजिक-अव्यवस्था कारकों के विषय में जानेंगे और समझेंगे।
- d) सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य, सामाजिक व्यवस्था का महत्व को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझेंगे।

6.2 परिचय (Introduction)

जब समाज के विभिन्न हिस्सों को ठीक से समायोजित किया जाता है, तो हमारे पास सामाजिक व्यवस्था और एक अच्छी तरह से संगठित समाज होता है, लेकिन जब वे बदलती परिस्थितियों में खुद को समायोजित करने में विफल होते हैं तो इसका परिणाम सामाजिक असमानता या अव्यवस्था है जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है।

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यशील होते हैं तो संगठन की आवश्यकता पड़ती है। उद्देश्य के अल्पकालीन होने से संगठन की आवश्यकता में कमी नहीं आती। यदि कुछ व्यक्तियों को मिलाकर भारी वजन उठाना हो तो इस क्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के लिए व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व से उसको संचालित करने के लिए संगठन का निर्माण कर लिया जाना चाहिए। बगैर संगठन के किसी भी उद्देश्य की प्रभावपूर्ण ढंग से पूर्ति संभव नहीं है। एक अच्छा संगठन किसी निष्क्रिय उपक्रम को भी जीवन प्रदान कर सकता है। एक कमजोर संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है जबकि एक अच्छा संगठन जिसके पास कमजोर उत्पाद है, अपने से

अच्छे उत्पाद को बाजार से निकाल सकता है। संगठन सम्पूर्ण प्रबन्धन के संचालन का केन्द्र है जिसके द्वारा मानवीय प्रयासों को समन्वित करके उन्हें सह-क्रियाशील बनाया जाता है। संगठन कार्यो, साधनों व सम्बन्धों की एक औपचारिक अवस्था है जिसके माध्यम से प्रबन्धन अपना कार्य सम्पन्न करता है। यह प्रबन्धन का तंत्र एवं शरीर रचना है। संगठित प्रयासों के द्वारा ही उपक्रम की योजनाओं एवं आवश्यकताओं को साकार किया जा सकता है। एक सुदृढ़ संगठन व्यवसाय की प्रत्येक समस्या का उत्तर है।

सामाजिक-अव्यवस्था समाज को आडम्बर से बाहर करती है। इसलिए यह समाजशास्त्र में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। हालांकि, इससे पहले कि हम सामाजिक अव्यवस्था का अध्ययन करें, यहां सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए फलदायी होगा। क्योंकि इसका अध्ययन सामाजिक पुनर्गठन की प्रकृति को समझने में सहायक है। सामाजिक व्यवस्था / संगठन (Social-organisation) वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियन्त्रण करती है, तथा जिसकी अपने पर्यावरण से अलग सीमा होती है। संगठन तरह-तरह के हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं :-

सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सैनिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक आदि।

6.3 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

6.3.1 सामाजिक व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Social Organisation)

सामाजिक व्यवस्था समाजशास्त्र में एक मूलभूत अवधारणा है जो समाज के विभिन्न घटकों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए काम करने के तरीके को संदर्भित करती है। उन में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- सामाजिक संरचनाएँ और संस्थाएँ
- सामाजिक संबंध
- सामाजिक संपर्क और व्यवहार

- मानदंड, विश्वास और मूल्य जैसी सांस्कृतिक विशेषताएं

सामाजिक व्यवस्था की समस्या समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रमुख चिंताओं में से एक रही है। निम्नलिखित कारणों से समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था के महत्व का पता लगाया जा सकता है:--

- i) सामाजिक व्यवस्था स्वयं कुछ सकारात्मक है और इसके विरोध को केवल इसके संदर्भ में समझा जा सकता है।
- ii) मानव समाज के कामकाज को पूर्व शर्त के रूप में सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
- iii) सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व को अनुमति नहीं दी जा सकती है और
- iv) सामाजिक व्यवस्था की समस्या का विश्लेषण इसके विभिन्न पहलुओं में विकार की प्रकृति को समझने में सहायक है।

सामाजिक व्यवस्था शब्द का अर्थ कई चीजों से हो सकता है:--

जब समाज के विभिन्न हिस्सों को ठीक से समायोजित किया जाता है तो हमारे पास सामाजिक व्यवस्था और समाज, अच्छी तरह से संगठित होता है लेकिन जब वे बदलती परिस्थितियों में खुद को समायोजित करने में विफल होते हैं तो इसका परिणाम सामाजिक असमानता या अव्यवस्था है जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है।

सामाजिक व्यवस्था शब्द का अर्थ कई चीजों से हो सकता है:

- यह सामाजिक जीवन में हिंसा के नियंत्रण को संदर्भित करता है।
- यह सामाजिक जीवन में पारस्परिकता या पारस्परिकता के अस्तित्व को संदर्भित करता है।
- यह सामाजिक जीवन में भविष्यवाणी करने के तत्व को संदर्भित करता है।
- सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य संगति है।

- सामाजिक व्यवस्था भी दृढ़ता पर जोर देती है।

6.3.2 सामाजिक अव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definitions of Social Disorganisation)

सामाजिक अव्यवस्था सामाजिक संगठन के विपरीत प्रक्रिया है। सामाजिक संगठन, कुछ मौलिक अवधारणाएँ और व्यवस्थित भागों का संबंध है। इस क्रमबद्ध व्यवस्था की सार्थकता इसमें निहित है। जब सामाजिक संरचना के हिस्से कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करते हैं या उन्हें बुरी तरह से निष्पादित करते हैं तो समाज में असंतुलन होता है। सामाजिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और समाज से बाहर हो जाता है।

- समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने सामाजिक अव्यवस्था को "असमानता की स्थिति और एक समाज के सदस्यों के बीच सामाजिक एकजुटता या सहमति की कमी" के रूप में परिभाषित किया है।
- समाजशास्त्री डब्ल्यू. आई. थॉमस और फ्लोरियन ज़न्नेकी ने "समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों पर व्यवहार के मौजूदा नियमों के प्रभाव में कमी के रूप में" सामाजिकता के पुनर्गठन की कल्पना की।
- समाजशास्त्री मोवरे के अनुसार, "सामाजिक अव्यवस्था वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समूह के सदस्यों के बीच के रिश्ते हिल जाते हैं।"
- समाजशास्त्री स्टुअर्ट ए. क्वीन, वाल्टर बी. बोडेनफर, और अर्नेस्ट बी. हार्पर ने अपनी पुस्तक 'सोशल ऑर्गनाइजेशन एंड डिसऑर्गनाइजेशन' में सामाजिक अव्यवस्था को सामाजिक संगठन का प्रतिरूप बताया। उनके अनुसार, "सामाजिक संगठन वह साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के प्रभावी नियंत्रण के माध्यम से जिस प्रकार अपनी एकता और सामंजस्य बनाए रखता है, और इसलिए, सुचारू रूप से कार्य करता है"।
- समाजशास्त्री ओगबर्न और निमकोफ के अनुसार, "जब संस्कृति के विभिन्न हिस्सों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध परेशान होता है, तो सामाजिक अव्यवस्था भड़कती है"।

- समाजशास्त्री आर.ई.एल. फारिस के अनुसार, "सामाजिक अव्यवस्था मानव संबंधों के पैटर्न और तंत्र में गड़बड़ी है।
- समाजशास्त्री इलियट और मेरिल के अनुसार, "सामाजिक अव्यवस्था वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों के बीच संबंध भंग हो जाते हैं।"

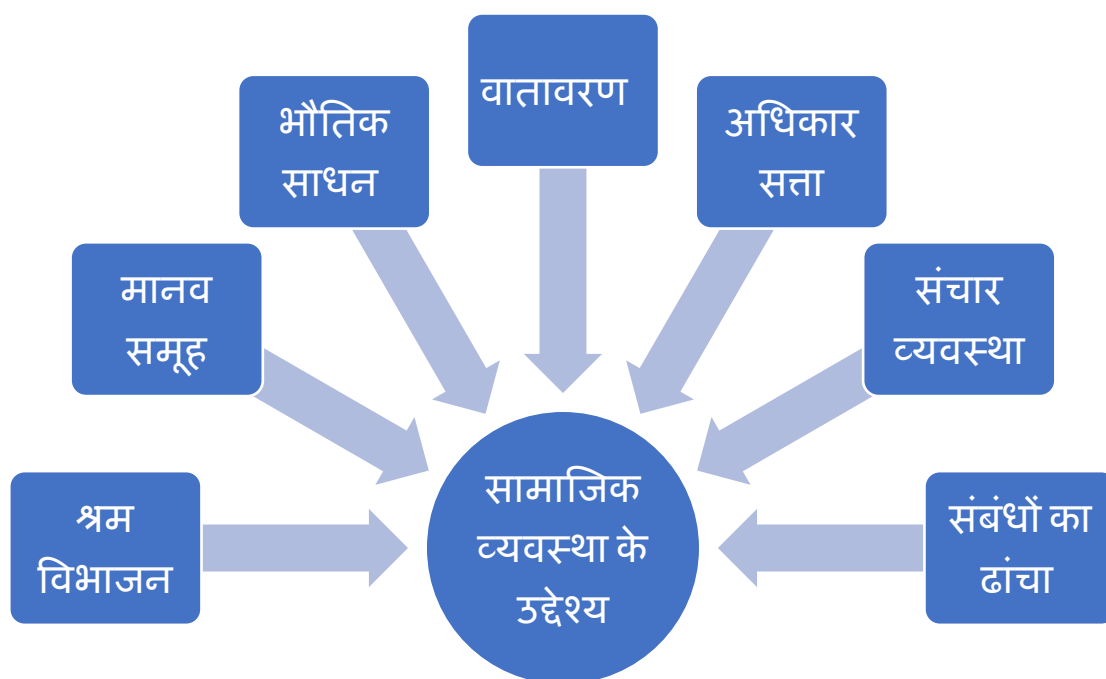
इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अव्यवस्था समाज में अन-एडजस्टमेंट के बजाय गंभीर गैर-समायोजन को संदर्भित करती है ताकि वे व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करने में विफल हो जाएं। जैसा कि हम जानते हैं समाज, सामाजिक संबंधों का जाल है। एक संगठित समाज में सामाजिक संबंधों के कुछ पैटर्न और तंत्र होते हैं। जब संबंध विच्छेदित या विघटित हो जाते हैं तो सामाजिक-अव्यवस्था होती है। एक सुव्यवस्थित समाज में विभिन्न संस्थान एक सामंजस्यपूर्ण समायोजन में हैं या दूसरे शब्दों में, सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्वों के बीच कार्यात्मक संतुलन मौजूद है। जब समायोजन और संतुलन की कमी होती है और संस्थाएं सभी व्यक्तियों को संतुष्ट करने वाले तरीके से काम नहीं करती हैं तो हम सामाजिक अव्यवस्था की बात कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक- अव्यवस्था को कार्यात्मक-असमानता के संदर्भ में माना जाता है। यह सीमा शुल्क, संस्थानों, समूहों, समुदायों और समाजों के भीतर असमानता है। समाजशास्त्री क्वीन और हार्पर सामाजिक संगठन के साथ सामाजिक अव्यवस्था की तुलना करते हुए लिखते हैं, "यदि सामाजिक संगठन का अर्थ रिश्तों का विकास है जो व्यक्तियों और समूहों को पारस्परिक रूप से संतोषजनक लगता है तो अव्यवस्था का अर्थ उन रिश्तों द्वारा उनके प्रतिस्थापन से है जो निराशा, ठगी की इच्छाएं, जलन, अप्रसन्नता और नाराज़गी लाते हैं।"

सामाजिक अव्यवस्था अक्सर व्यक्तिगत अव्यवस्था लाती है, क्योंकि एक व्यक्ति एक सामाजिक निर्माण और उसका "स्व" एक सामाजिक उत्पाद है। अतः अंत में कहा जा सकता है कि सामाजिक अव्यवस्था (social-

disorganisation) समूह की एकजुटता को कमजोर करने, अपने सदस्यों पर नियंत्रण खोने और इसलिए, संघर्ष और विघटन का कारण बनता है।

6.4 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

6.4.1 सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य (Aims and Objectives of Social Organisation) संगठन प्रणाली विभिन्न संघटकों से निर्मित होता है। इसकी संरचना में विभिन्न निवेशों का योगदान होता है, जिन्हें संगठन के उद्देश्य कहा जाता है।



चित्र 6.1

- i. **श्रम विभाजन (Division of labour)**- व्यक्तियों एवं विभागों के द्वारा सम्पन्न की जाने वाली क्रियाओं का उचित निर्धारण, स्पष्टीकरण एवं पृथक्करण किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् कार्यों का वितरण व्यक्ति की रुचि एवं योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे कार्य निष्पादन में दोहराव समाप्त होता है तथा प्रयास प्रभावपूर्ण बन जाते हैं।

- ii. मानव समूह (**Social Groups**)- मानव समूह संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्रियाओं के समूहीकरण व सत्ता के वितरण में व्यक्तियों की सीमाओं व क्षमताओं का पूर्ण विचार किया जाना चाहिए।
- iii. भौतिक साधन (**Physical Resources**)- संगठन एक सीमा तक भौतिक संसाधनों, पूँजी, मशीनें, यंत्र, सामग्री, भूमि आदि का संकलन एवं संयोजन भी है। व्यक्तियों को उनके कार्य निष्पादन में सहायता पहुँचाते हैं।
- iv. वातावरण (**Environment**)- नियोजन की भाँति प्रत्येक संगठन संरचना का एक आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण होता है जो कार्य निष्पादन में सहायक होता है।
- v. अधिकार सत्ता (**Authority of rights**)- अधिकार सत्ता अन्य व्यक्तियों को निर्देश देने व उनका पालन करवाने हेतु बाध्य करवाने की शक्ति होती है। कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सत्ता, संगठन में उनकी स्थिति, वैधानिक नियमों, अनुभव, ज्ञान एवं प्रथाओं पर निर्भर करती है।
- vi. संचार व्यवस्था (**System of communication**)-संगठन संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का कार्य करता है क्योंकि यह संगठन में रक्त प्रवाह के समान है जो इसके समस्त अंगों को गति प्रदान करता है।
- vii. संबंधों का ढांचा (**Social system**) - कार्य के वितरण से कर्मचारियों के मध्य विभिन्न भूमिकाओं व स्थितियों का निर्माण होता है जो उन्हें परस्पर सम्बन्धित करती है। संगठन कार्य सम्बन्धों का जाल एवं ढांचा है।

6.4.2 सामाजिक व्यवस्था का महत्व (Importance of Social-Organisation)

सामाजिक व्यवस्था का महत्व निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:-

- a. समन्वय में सुविधा (Helpful in Coordination)

कृत्यों तथा विभागों का समाकलन करते समय समन्वय का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रबन्ध का यह मुख्य कार्य है कि वह कर्मचारी के अलग-अलग कार्यों, प्रयासों, हितों व दृष्टिकोण में एक उचित समन्वय स्थापित करे। संगठन का निर्माण करते समय उपक्रम की क्रियाओं का वर्गीकरण एवं समूहीकरण किया जाता है। उपक्रम के सभी विभाग सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप समन्वय का कार्य सुविधाजनक हो जाता है।

b. अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा (**Facilitative to rights transfer**)

एक अच्छे संगठन में प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों एवं अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। वह अपने अधीनस्थों को आवश्यक कार्य एवं अधिकार सौंप सकता है। कुशल संगठन अधिकारों के प्रत्यायोजन को सुगम बनाता है। एक कुशल संगठन में एक अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि उनके अधीनस्थ कौन-कौन व्यक्ति हैं और किसे क्या-क्या कार्य करना है। सुदृढ़ संगठन यथार्थ एवं प्रभावपूर्ण प्रत्यायोजन को सुविधाजनक बनाता है।

c. भ्रष्टाचार की समाप्ति (**End to Corruption**)

संगठन के विभिन्न स्तरों पर निरन्तर नियंत्रण का कार्य किया जाता है। अच्छा संगठन अपने कर्मचारियों में वैयक्तिक गुणों, परिश्रम, दायित्व, भावना आदि को प्रोत्साहित करके भ्रष्टाचार एवं निष्क्रियता को समाप्त करता है।

d. संचार में सुविधा (**Helpful in Communication**)

संगठन के द्वारा संस्था में अधिकारी, अधीनस्थ संबंध स्थापित हो जाते हैं एवं औपचारिक संचार के मार्गों का निर्धारण हो जाता है। जिसके कारण ऊपर से नीचे की ओर आदेशों के प्रवाह में और नीचे से ऊपर की ओर कर्मचारियों के विचारों, सुझावों एवं समस्याओं के प्रवाह में सुविधा होती है।

e. अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा (Enhancing Human relations)

प्रभावी संगठन संरचना कार्मिकों में समूह भावना का विकास करती है, एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देती है तथा मानव के साथ मानवता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। अधिकार-दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या, कुशल संचार, प्रत्यायोजन, रुचि के अनुसार कार्य-वितरण, आदेश-निर्देशों की एकता आदि घटकों से श्रेष्ठ मानवीय संबंधों का विकास होता है।

f. मनोबल का विकास (Development of mental capacities)

स्वस्थ संगठन में कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुरूप ही कार्य दिया जाता है जिससे कर्मचारियों को अपने दायित्वों एवं अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान होता है। अतः कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा एवं खराब कार्य करने पर चेतावनी मिलती है जिससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है।

g. विशिष्टीकरण को बढ़ावा (Initiation to Specialisation)

संगठन संरचना का निर्माण श्रम विभाजन के आधार पर किया जाता है। संगठन संरचना का मुख्य आधार श्रम विभाजन होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य ही करता है। विशिष्टीकरण से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है तथा अधिक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों की कुशलता बढ़ती है। कुशलता बढ़ने से उत्पादन अधिक होता है तथा प्रति इकाई लागत घटती है जिससे लोगों को कम आय में अधिक वस्तुएँ प्राप्त होती हैं एवं जीवन स्तर में वृद्धि होती है।

h. उपक्रम के कार्यों को व्यवस्थित करना (Systematising the system works) संगठन प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित कार्य, निश्चित स्थान तथा निश्चित साधनों की व्यवस्था करता है, जिससे

उपक्रम के कार्य व्यवस्थित रूप से चलते रहते हैं। संगठन व्यवस्था को जन्म देता है। संगठन का अभाव ही अव्यवस्था को जन्म देता है।

i. विकास को बढ़ावा (Encouraging Development)

संगठन विकास का मूल मंत्र है। उपक्रम का विकास संगठन की कुशलता पर निर्भर करता है। बड़े-बड़े उपक्रमों के विकास का इतिहास अच्छे एवं कुशल संगठन की ही कहानी है। कोई भी उपक्रम संगठन के अभाव में विकास की आशा नहीं कर सकता है।

j. रचनात्मक विचारधारा को प्रोत्साहन (Encouraging Creativity)

संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी रचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। कर्मचारियों की इच्छा के अनुरूप कार्य मिलने पर वे उसे सम्पन्न करने में सक्षम होते हैं जिससे कर्मचारियों को संतोष प्राप्त होता है। अतः उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है फलस्वरूप रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन मिलता है।

k. व्यवस्था का निर्माण (Constructing an organisation)

एक संस्था में छोटी सी गलती समस्त पूंजी विनियोजन को व्यर्थ बना सकती है। अतः संगठन के द्वारा ही मतभेदों एवं अनियमितताओं को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है।

l. प्रबन्धकीय कार्य क्षमता में वृद्धि (Increase in Managing capabilities)

कर्मचारियों में मधुर संबंध स्थापित करना, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों की भर्ती, कार्यों का वैज्ञानिक आधार पर बंटवारा आदि के द्वारा प्रबन्धकीय कार्य-क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

m. साधनों का अनुकूलतम उपयोग (Favourable use of Facilities)

कर्मचारियों की इच्छा के अनुरूप कार्य मिलने पर उसे वे भली-भांति सम्पन्न करने में सक्षम होते हैं तथा उचित समन्वय के द्वारा कार्यों के दोहराव व अपव्यय को समाप्त किया जा सकता है जिसके कारण साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है।

n. व्यक्तिगत योग्यताओं के मापन का आधार (Basis to measure personal abilities)

जब कर्मचारियों को कार्यभार सौंप दिया जाता है तो कर्मचारियों को अपने दायित्व का बोध हो जाता है अतः यह आसानी से पता किया जा सकता है कि कर्मचारी ने सौंपे गये कार्य को किस सीमा तक पूरा किया है जिसके फलस्वरूप कर्मचारी की व्यक्तिगत योग्यता एवं क्षमता का सही मापन हो जाता है।

o. सामूहिक प्रयासों की प्रभावशीलता (Effectiveness of group efforts)

संगठित प्रयासों के माध्यम से ही उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इसके माध्यम से ही व्यक्तिगत प्रयासों का एकीकरण किया जाता है।

p. नियंत्रण में सुविधा (Helpful in control)

कार्यों, अधिकारों एवं दायित्वों के निश्चित होने के कारण संगठन के विभिन्न स्तरों पर अनावश्यक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है तथा उच्च प्रबन्धकों को केवल महत्वपूर्ण नियंत्रण केन्द्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

q. मानवीय प्रयासों का समुचित उपयोग (Optimum use of Human resources) विशिष्टीकरण

के माध्यम से जब कर्मिकों को अपनी योग्यता, अनुभव एवं रुचि के अनुसार कार्य मिल जाता है तो वे सौंपे गये कृत्य का अपनी योग्यता, कुशलता एवं अनुभव का पूरा उपयोग करके ठीक ढंग से निष्पादन करते हैं। इस प्रकार सुदृढ़ संगठन से “सही व्यक्ति को सही कार्य” प्रदान करने से

उनके प्रयास का समुचित उपयोग सम्भव होता है और समय, श्रम एवं धन का दुरुपयोग नहीं होता।

- r. तकनीकी सुधारों का समुचित उपयोग (Worthy use of Technical improvements) इस वैज्ञानिक युग में शोध एवं अनुसंधानों के कारण औद्योगिक जगत में आये दिन परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों, सुधारों एवं विकसित नवीन तकनीकों की प्रयुक्ति न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाती है। प्रभावी संगठन द्वारा ही इन नवीन सुधारों का लाभ उठाया जा सकता है।

6 .5 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)

अधिगम सम्बंधित क्रियाकलाप

रिक्त स्थान भरो

- i)का अर्थ उन रिश्तों द्वारा उनके प्रतिस्थापन से है जो निराशा, ठगी की इच्छाएं, जलन और नाखुशी लाते हैं।
- ii) सामाजिक व्यवस्था की समस्या काइसके विभिन्न पहलुओं में विकार की प्रकृति को समझने में सहायक है।
- iii) सामाजिक अव्यवस्था समाज में अन-एडजस्टमेंट के बजाय गंभीरको संदर्भित करती है।
- iv) सामाजिक अव्यवस्था वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह केभंग हो जाते हैं।

- v) मानव समाज के कामकाज को पूर्व शर्त के रूप मेंकी आवश्यकता होती है।
- vi) एकमें सामाजिक संबंधों के कुछ पैटर्न और तंत्र होते हैं।
- vii) जब संबंधहो जाते हैं तो सामाजिक अव्यवस्था होती है।
- viii) समाज सामाजिकका जाल है।
- कृपया उत्तर की पड़ताल पाठ के अंतिम हिस्से 6.9 में करें।

6.6 सारांश (Summary)

आप ने जाना है कि सामाजिक अव्यवस्था की समस्या समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रमुख चिंताओं में से एक रही है। कुछ कारणों से समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था के महत्व का पता लगाया जा सकता है। जैसे:--

- सामाजिक व्यवस्था स्वयं कुछ सकारात्मक है और इसके विरोध को केवल इसके संदर्भ में समझा जा सकता है।
- मानव समाज के कामकाज को पूर्व शर्त के रूप में सामाजिक-व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
- सामाजिक अव्यवस्था की समस्या का विश्लेषण इसके विभिन्न पहलुओं में विकार की प्रकृति को समझने में सहायक है।

सामाजिक व्यवस्था / संगठन (Social-organisation) वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियन्त्रण करता है, तथा जिसकी अपने पर्यावरण से अलग सीमा होती है। संगठन तरह-तरह के हो सकते हैं - सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सैनिक, व्यावसायिक,

वैज्ञानिक आदि। एक अच्छा संगठन किसी निष्क्रिय उपक्रम को भी जीवन प्रदान कर सकता है। एक कमजोर संगठन अच्छे आउटपुट (Output) को मिट्टी में मिला सकता है जबकि एक अच्छा संगठन जिसके पास कमजोर आउटपुट है, अपने से अच्छे आउटपुट को बाजार से निकाल सकता है। संगठन सम्पूर्ण प्रबन्धन के संचालन का केन्द्र है जिसके द्वारा मानवीय प्रयासों को समन्वित करके उन्हें सहक्रियाशील बनाया जाता है। संगठन कार्यो, साधनों व सम्बन्धों की एक औपचारिक अवस्था है जिसके माध्यम से प्रबन्धन अपना कार्य सम्पन्न करता है। यह प्रबन्धन का तंत्र एवं शरीर रचना है। संगठित प्रयासों के द्वारा ही उपक्रम की योजनाओं एवं आवश्यकताओं को साकार किया जा सकता है। एक सुदृढ़ संगठन व्यवसाय की प्रत्येक समस्या का उत्तर है।

6.7 संकेतक शब्द (Keywords)

- सामाजिक व्यवस्था: संबंधों के विशेष प्रतिरूप के आधार पर एक व्यवस्था के रूप में संगठित हो।
- सामाजिक विघटन: सामाजिक अव्यवस्था।
- सामाजिक अव्यवस्था: सामाजिक विघटन, अराजक. जिसका आचरण समाज विरुद्ध हो।
- सामाजिक संगठन,; वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है,
- समस्या का विश्लेषण: सुझाव · शिकायत · गोपनीयता · नियम और शर्तें · अस्वीकरण हो।
- समाजशास्त्रीय सिद्धांत: समाजविज्ञान के सम्बन्ध में समाजशास्त्रीय सिद्धान्त (sociological theory) से आशय समाज से सम्बन्धित तथ्यों की व्याख्या करने वाले सिद्धान्त हैं।

6.8 स्वयं - मूल्यांकन परीक्षा (Self-Assessment Questions)

निम्नलिखित प्रश्नों के यथासंभव उत्तर दीजिये:-

- सामाजिक संगठन आप क्या जानते हैं।
- सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं।

- सामाजिक अव्यवस्था क्या है।
- सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य क्या हैं ? संक्षेप में उत्तर दें।
- सामाजिक व्यवस्था का महत्व दीजिए।

6.9 प्रगति-समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें (Answers to check your progress)

- i) अव्यवस्था
- ii) विश्लेषण
- iii) गैर-समायोजन
- iv) सदस्यों के बीच संबंध
- v) सामाजिक-व्यवस्था
- vi) संगठित समाज
- vii) विच्छेदित या विघटित
- viii) संबंधों

6.10 सन्दर्भ / सहायक अध्ययन-सामग्री (Other Suggested Readings)

- Sociology: An Introduction by Smelser, Neil, J., Wiley Eastern Private Limited
- Sociology: Principles of sociology with an Introduction to Social Thought by Shanker Rao C.N., S. Chand and Company.
- Samajshastra (Hindi), M.L.Gupta & D. D. Sharma, Sahitya Bhawan Publications, Agra
- History of Social thought by K.Singh, Prakashan Kendra, Lucknow.

Subject : Sociology (Social Problems in India)	
Course Code : SOCL 202	Author : Dr. Shakuntla Devi
Lesson No. : 07	Updated By: self
सुरक्षात्मक उपाय: महिला एवं बाल विकास (Protective Measures: Women and Child Welfare)	

अध्याय की संरचना

7.0 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

7.2 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Body of the Text)

7.2.1 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनेक परियोजनाएं और योजनाएं (Schemes of Central Social Welfare Board)

7.2.2 परिवार परामर्श केंद्र (Family-Counseling Centre)

7.2.3 समाज कल्याण, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा (Social-welfare, Women & Child Development and Social Safety)

- i) महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD-Women and Child Development)
- ii) महिला और बाल कल्याण कार्यक्रम (संघ स्तर पर स्वतंत्र मंत्रालय, MWCD- Ministry of Women and Child Development)
- iii) महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएँ (Schemes of the WCD Department)
- iv) समेकित बाल विकास सेवा योजना (ICDS-Integrated Child Development Services Scheme)

7.3 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

7.3.1 महिलाओं के लिए योजनाएं (Schemes for Women)

7.3.2 महिला और बाल सशक्तिकरण (Women and Child Empowerment)

7.3.3 महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षात्मक उपाय (Legal Protective Measures for Women)

a) कन्या भ्रूण हत्या (Female Foeticide)

b) दहेज(Dowry)

c) घरेलू हिंसा (Domestic Violence)

d) तालाक (Divorce)

7.4 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)

7.5 सारांश (Summary)

7.6 सूचक शब्द (Keywords)

7.7 स्व -मूल्यांकन हेतु प्रश्न (Self-Assessment Questions) (SAQs)

7.8 अपनी प्रगति की जाँच करने के लिए उत्तर देखें (Answers to Check Your Progress)

7.9 सन्दर्भ ग्रन्थ/निर्देशित पुस्तकें (References/ Suggested Readings)

7.0 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप निम्न में सक्षम हो सकेंगे:--

- समाज कल्याण, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा देखेंगे और पढ़ेंगे।
- महिलाओं के लिए योजनाएं, महिला और बाल सशक्तिकरण जानेंगे।
- महिला एवं बाल विभाग के बारे में जानेंगे और समझेंगे।

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत देश में की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या 48 फीसदी है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में साहित्यिक दरों, श्रम भागीदारी दर और कमाई में कई नुकसान उठाती हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से महिलाओं के विकास पर भारत सरकार का ध्यान गया है। लेकिन इसे 'कल्याण' के विषय के रूप में माना गया और निराश्रित, विकलांग, वृद्ध आदि जैसे वंचित समूहों के कल्याण के लिए एक साथ जोड़ा गया। 'केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड' की स्थापना 1953 में की गई जो केंद्र में एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों को लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर, विशेषकर जमीनी स्तर पर स्वैच्छिक कार्यवाई को बढ़ावा देना है। महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने और बाल स्वास्थ्य सेवाओं और अपेक्षाओं को बेहतर बनाने, बच्चों के लिए खानपान की सामग्री और नर्सिंग माताओं के लिए पूरक आहार के अलावा खानपान-सामग्री और सुरक्षा-उपायों को शुरू करने के अलावा दूसरी से पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं ने भी इस रणनीति को जारी रखा।

छठी पंचवर्षीय योजना में, महिलाओं के 'विकास' से 'विकास' के दृष्टिकोण में बदलाव हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के तीन मुख्य क्षेत्रों पर विशेष जोर देने के साथ एक बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाया।

'सातवीं पंचवर्षीय योजना' ने उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने और उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम विभिन्न विकासात्मक क्षेत्र में 'लाभार्थी उन्मुख योजनाओं' की पहचान करना / बढ़ावा देना था, जिससे महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिला।

रणनीति में उचित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल और अकुशल रोजगार दोनों की पीढ़ी भी शामिल थी। 'आठवीं पंचवर्षीय योजना' ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को विकास के लाभ अन्य

विकास क्षेत्रों से प्राप्त होने चाहिए और महिलाओं को विकास प्रक्रिया में समान भागीदार और भागीदार के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना चाहिए।

‘नौवीं पंचवर्षीय योजना’ ने महिलाओं के विकास की रणनीति में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए।

- पहले महिला सशक्तिकरण था, ' इसका उद्देश्य एक सक्षम वातावरण बनाना था। जहां महिलाएं घर के भीतर और बाहर दोनों जगह स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें और पुरुषों के साथ समान भागीदार हों सकें।
- दूसरा महिला-विशिष्ट और महिला-संबंधित दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध मौजूदा सेवाओं का बढ़ाना और आगे जाना (convergency) था। इस प्रभाव के लिए, 'महिला घटक योजना' की एक विशेष रणनीति अपनाई गई, जिसके माध्यम से अब 30 प्रतिशत से कम धनराशि / लाभ महिलाओं को नहीं मिलते हैं। केंद्र ने सभी सामान्य विकास क्षेत्रों से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की है जो निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है।
- 'केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड' की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 1953 में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यह भारत सरकार की ओर से संगठन बनाने का पहला प्रयास था जो एक गैर-सरकारी संगठन के रूप में स्वैच्छिकता के सिद्धांत पर काम करेगा। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना था।
- डा दुर्गाबाई देशमुख केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थीं। इससे पूर्व वह योजना आयोग में 'समाज सेवा' की प्रभारी थीं और प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कल्याण कार्यक्रमों की योजना बनाने

में सहायक रही थीं। डा. दुर्गाबाई देशमुख के मार्गदर्शन में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याण योजनाओं की शुरुआत की गई।

- वर्ष 1969 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को कानूनी स्थिति प्राप्त हुई। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसका पंजीकरण हुआ।
- सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1954 में राज्य समाज कल्याण बोर्डों की स्थापना की गई थी। राज्य समाज कल्याण बोर्डों की स्थापना का उद्देश्य देशभर में खासकर अछूते क्षेत्रों में कल्याण सेवाओं के विस्तार के लिए स्वैच्छिक समाज कल्याण एजेंसियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा कल्याण और विकासात्मक गतिविधियों में समन्वय करने के लिए की गई थी।
- केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन की जा रही मुख्य योजनाओं द्वारा समुदाय को समेकित ढंग से व्यापक सेवाएं प्रदान की गई हैं और कार्यान्वित की गई हैं।

7.2 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Body of the Text)

7.2.1 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनेक परियोजनाएं और योजनाएं (Schemes of Central Social Welfare Board)

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनेक परियोजनाएं और योजनाएं निम्नलिखित हैं जैसे:--

- सहायक अनुदान
- कल्याण विस्तार योजनाएं
- महिला मंडल
- सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम
- किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम

- व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- जागरूकता प्रसार कार्यक्रम
- राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम
- अल्पावास गृह
- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समेकित महिला सशक्तिकरण योजना
- अभिनव परियोजनाएं
- परिवार परामर्श केंद्र

7.2.2 परिवार परामर्श केंद्र (Family Counseling Centre)

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा परिवार परामर्श केंद्र की शुरुआत 1983 में की गई। इन केंद्रों में अत्याचार, पारिवारिक-विवाद और सामाजिक-बहिष्कार की शिकार महिलाओं और बच्चों को परामर्श, रेफरल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा यह संकट के समय आवश्यक कदम उठाकर हस्तक्षेप करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सदमे से उबरने के लिए परामर्श भी प्रदान करते हैं। जनता की भागीदारी हेतु 'परिवार परामर्श केंद्र' स्थानीय प्रशासन, पुलिस, न्यायालय, निःशुल्क कानूनी प्रकोष्ठों, चिकित्सा एवं मनश्चिकित्सा संस्थाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, अल्पावास गृहों आदि के सहयोग से कार्य करते हैं। महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी छः दशकों की बेजोड़ यात्रा में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। बदलते सामाजिक प्रतिरूप के अनुरूप 'केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड' अपना आत्म-निरीक्षण कर रहा है और नई संभावनाओं की तलाश कर रहा है ताकि उपयुक्त कार्यवाई योजना बनाई जा सके। सूचना-संप्रेषण प्रौद्योगिकी संबंधी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को अपनाया जाएगा ताकि हितधारकों को प्रभावी एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध हों।

7.2.3 समाज कल्याण, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा (Soial Welfare, Women & Child Development and Social Safety)

i. महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD-Women and Child Development Department)

सामाजिक कल्याण विभाग से विभाजन के बाद 10.02.2018 से महिला एवं बाल विकास निदेशालय काम कर रहा है। महिलाओं और बच्चों की उन्नति के बाद की देखरेख में एक नोडल एजेंसी के रूप में अपनी क्षमता में, विभाग योजनाओं और नीतियों को तैयार करता है। जैसे:--

- विकास कार्यक्रम और महिलाओं और बच्चों के विकास के क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संगठनों के प्रयासों का समन्वय करता है।
- महिलाओं और बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग और उसके घटक संगठन सामाजिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूनिसेफ, विश्व बैंक, यूएनएफपीए आदि के साथ निकट सहयोग में काम करते हैं।
- विभाग, राज्य, मध्य और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। महिलाओं के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'महिला एवं बाल विकास विभाग' और इसके घटक संगठन सामाजिक संगठनों और यूनिसेफ, विश्व बैंक, यूएनएफपीए जैसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निकट सहयोग में काम करते हैं।
- निदेशालय हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के लिए भी जिम्मेदार है।

ii) महिला और बाल कल्याण कार्यक्रम (संघ स्तर पर स्वतंत्र मंत्रालय, MWCD-Ministry of Women and Child Development)

MWCD (Department of Women and Child Development at ministry level) इसे 20 फरवरी, 2006 से संघ स्तर पर स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप हुए बदलावों ने बच्चों के मुद्दों पर ध्यान देने और आवंटन बढ़ाने में मदद की है- बच्चों के मुद्दों को भी बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए MWCD में समेकित और सौंपा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करने वाले जिले में प्रमुख विभागों में से एक है। बच्चों को उपेक्षित, शोषित, विनाश और रोकथाम में कमी से बचाने, संस्थागत उपचार के माध्यम से वैकल्पिक आश्रय आधारित पुनर्वास प्रदान करता है। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार, ग्रामीण महिलाओं के बीच समग्र जीवन स्थितियों में सुधार के लिए जागरूकता पैदा करना आदि उद्देश्य हैं।

इस विभाग ने उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कई कार्यक्रम विकसित किए हैं। ICDS योजना में जिले के सभी 7 तालुका शामिल हैं। यह विभाग माता-पिता द्वारा बच्चों की किशोर-स्थिति, विनाश और लापरवाही की रोकथाम के लिए भी जिम्मेदार है और सरकारी क्षेत्र के तहत एक अवलोकन /बाल सुधार घर, किशोर गृह और गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित 7 निराश्रित कॉटेज चला रहा है। सभी सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाती हैं और जिले में 1303 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एक वर्ष में 300 दिन पोषणयुक्त भोजन प्रदान करती हैं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं और अन्य बुनियादी सेवाओं का टीकाकरण करती हैं।

iii) महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएँ (Schemes of the WCD Department)

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएँ निम्नलिखित हैं:--

- 10 वीं कक्षा तक की लड़कियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति (Attendance scholarship for girls up to 10th standard)

- 'नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रम 7' में लड़कियों की सहायता के लिए विकास, नवजीवन, उद्योगिनी आदि जैसी योजनाओं के तहत बैंक ऋण के माध्यम से स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहन (Assistance to girls in job oriented courses & encouragement to take up self-employment through bank loans under schemes like 'Vikasini', 'Navajeevan', 'Udyogini' etc.)
- बाल-श्रम, शारीरिक-विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल (Special schools for Physical Handicapped Children, Controlling child-labour)
- विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना (Providing scholarships to disabled students and encouraging them for self-employment)
- विधवा / देवदासी विवाह (Widow / Devadasi-marriage)
- महिला मंडल और महिला संघों को सहायता (Assistance to Mahila Mandals and Mahila Federations)
- समेकित बाल विकास सेवा योजना (Integrated Child Development Services Scheme-ICDS)

iv) समेकित बाल विकास सेवा योजना (Integrated Child Development Services Scheme-ICDS)

2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास योजना 33 सामुदायिक विकास खंडों में शुरू की गई। भारत सरकार ने अगस्त, 1974 में बच्चों पर एक 'राष्ट्रीय नीति' घोषित की, जिसमें बच्चों को "अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्ति" घोषित किया गया। राष्ट्रीय नीति ने बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक फ्रेम वर्क प्रदान किया। इसे 1975 में लॉन्च किया गया था, जिसमें बच्चे के समग्र विकास के लिए एक एकीकृत तरीके से सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करने की मांग की गई थी।

7.3.1 महिलाओं के लिए योजनाएं (Schemes for Women)

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- प्रधान मंत्री माता वन्धना योजना

- आपी बेटा हमरी बेटा
- ओनिस्टॉप केंद्र
- बच्चों के लिए योजनाएं
- एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस-Integrated Child Development Services Scheme- ICDS)
- शिशु और युवा बाल-खानपान (आईवायसीएफ- Infant and Young Child Feeding (IYCF) में सुधार
- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस-Integrated Child Protection Scheme)

7.3.2 महिला और बाल सशक्तिकरण (Women and Child Empowerment)

- स्वयंसिद्धा (Swayamsidha)

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए स्वयंमाधि एक एकीकृत योजना है। यह सेवाओं को कवर करता है। माइक्रो-क्रेडिट तक पहुंच बनाता है और सूक्ष्म-उद्यमों को बढ़ावा देता है।

- स्वाशक्ति परियोजना

स्वाशक्ति परियोजना का उद्देश्य समय की कमी वाले उपकरणों के उपयोग के माध्यम से जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए महिलाओं की पहुंच बढ़ाना, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं प्रदान करना और आय-सृजन गतिविधियों के लिए महिलाओं को कौशल प्रदान करना है।

- बाल विकास सेवा योजना (सीडीएस)

‘बाल विकास सेवा योजना’ शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों को विशेष कवरेज देने के उद्देश्य से यह योजना 1975 में शुरू हुई थी। यह योजना बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और जलपान सेवाओं से युक्त सेवाओं के एक एकीकृत पैकेज के वितरण की भी परिकल्पना करती है।

- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन (**Facility of Training and Employment to Women**)

यह कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सेरीकल्चर, हैंडलूम, हस्तशिल्प और खादी और रोजगार के 'ग्राम उद्योग क्षेत्रों' में गरीब अशिक्षित महिलाओं को नए कौशल और ज्ञान प्रदान करता है।

- स्वावलंबन (**Swavlamban**)

यह योजना महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करती है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें या स्वरोजगार कर सकें। जिन ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है, उनमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मेडिकल-ट्रांसक्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक-असेंबलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो और टीवी-रिपेयरिंग, गारमेंट-मेकिंग, हैंडलूम-बुनाई, हस्तशिल्प, सचिवीय-अभ्यास, कढ़ाई और सामुदायिक स्वास्थ्य शामिल हैं।

- कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रेच / डे केयर सेंटर (**Creches and Day Care Centers**)

इसका उद्देश्य माता-पिता के बच्चों (0-5 वर्ष) को 'दिन में देखभाल सेवाएं' प्रदान करना है, जिनकी आय 1,800 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। सेवाओं में नींद और दिन की देखभाल की सुविधा, मनोरंजन, पूरक-पोषण, टीकाकरण और दवा शामिल हैं।

- कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास (**Working Women Hostels**)

इस योजना के तहत, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कामकाजी महिलाओं (एकल या विवाहित) को सुरक्षित और किराये की आवास, रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने और पेशेवर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए प्रावधान शामिल हैं।

- स्वाधार (**Swadhar**)

यह योजना महिलाओं को उनके परिवारों के समर्थन के बिना एकीकृत सेवाएं प्रदान करती है जैसे कि वृंदावन और काशी में रहने वाली विधवाएँ; जेल से रिहा कैदियों; प्राकृतिक आपदाओं से बचने वाले; महिलाओं / लड़कियों को वेश्यालय और अन्य स्थानों से बचाया जाना; यौन अपराधों के शिकार आदि इस योजना में भोजन, कपड़े, आश्रयों, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और कानूनी-सहायता और शिक्षा-जागरूकता, कौशल-निर्माण और व्यवहार-प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्वास जैसी सेवाएं शामिल हैं।

- **राष्ट्रीय महिला कोष (National Credit Fund for women)**

महिलाओं के लिए 'राष्ट्रीय क्रेडिट फंड' का मतलब गरीब महिलाओं को क्रेडिट सहायता या माइक्रो-फाइनेंस की सुविधा देना है ताकि कृषि, डेयरी, दुकान-रखने, वेंडिंग और हस्तशिल्प जैसी आय पैदा करने वाली योजनाओं को शुरू किया जा सके।

- **स्ट्रीट चिल्ड्रेन का कल्याण (Welfare of Street-children)**

सड़क पर रहने-पलने वाले बच्चों को जीवन से वंचित और उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से, स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम 24 घंटे ड्रॉप-इन आश्रयों, रैन बसेरों, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, मनोरंजक-सुविधाएं और दुरुपयोग और शोषण से सुरक्षा और स्वच्छता जैसी व्यापक-पहलों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

7.3.3 महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षात्मक उपाय (Legal Protective Measures for Women)

- **कन्या भ्रूण हत्या (Female Foeticide)**

गर्भवती औरतों के टेस्ट करने के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वहां अल्ट्रासाउंड स्कैन के जरिये यह पता लगाया जाता है की माँ के कोख में लड़का है या लड़की। अगर लड़की हुई तो माँ के गर्भ में जन्म लेने से पहले लड़की को मार दिया जाता है। इसे अंग्रेजी में एबॉर्शन (Abortion) कहते हैं। भारत में भ्रूण-हत्याएं अत्यधिक बढ़ रही हैं। 'कन्या भ्रूण हत्या' एक कानूनन जुर्म है।

भ्रूण-हत्या यानी जन्म लेने से पहले ही अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से उसका लिंग जान लेने के बाद कोख में ही मार डालना। जनसंख्या-विस्फोट इसलिए सताता है कि भविष्य का आकलन आज की तकनीक और जीवनशैली के आधार पर किया जाता है। तब यह भुला दिया जाता है कि अब से पचास साल बाद जरूरत के हिसाब से तकनीक में भी विकास आ जाएगा। तकनीक का विकास विरोधाभासी है। 'लांसेट' में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक तकनीक के कारण ही पिछले दो दशक में, अकेले भारत में ही एक करोड़ कन्या-भ्रूण कोख में ही मार दिए गए थे। भारत में 'कन्या भ्रूण हत्या' और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए 'द प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स-सेलेक्शन एक्ट-1994)' एक्ट संसद से पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग- निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 'प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसीपीएनडीटी) एक्ट-1996' के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल तक की सजा और 10 हजार से एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना या करवाना, शब्दों या इशारों में इस संबंध में कुछ बताना या जानकारी करना, इसकी जांच का विज्ञापन देना, गर्भवती महिला को इसके बारे में जानने के लिए उकसाना, इसके लिए अल्ट्रासाउंड इत्यादि मशीनों का इस्तेमाल करना जुर्म है। जांच-केंद्र के मुख्य स्थान पर यह लिखवाना अनिवार्य है कि यहां पर भ्रूण के लिंग की जांच नहीं की जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने घर पर भ्रूण के लिंग की जांच के लिए किसी भी तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकता है। पहली बार कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल की कैद और 50 हजार रुपए तक जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच साल की कैद और एक लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। लिंग की जांच करने का दोषी पाए जाने पर क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। इसके साथ ही 'गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम-1971' की धारा 313 के अनुसार स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराने वाले को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। धारा 314 के अनुसार गर्भपात के

दौरान स्त्री की मौत हो जाने पर 10 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। धारा 315 के अनुसार नवजात को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसको मारने की कोशिश करने का अपराध करने पर 10 साल की सजा या जुर्माना, दोनों की सजा हो सकती है। हैरत की बात तो ये है कि पिछले दो दशकों में एक करोड़ कन्या-भ्रूण हत्याएं की जा चुकी हैं लेकिन अभी तक 'द प्री-कन्सेप्शन एंड पी-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन) एक्ट-1994' के तहत एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। इससे हमारी संघीय कानून व्यवस्था के पूरी तरह निष्प्रभावी होने का बोध होता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चौबीस साल पहले कानून भी बन चुका है और अल्ट्रासोनोग्राफी तकनीक से एक करोड़ कन्या भ्रूण हत्याओं के षड्यंत्रकारी भी बेखौफ हैं। कानून से बेखौफ होकर कन्याओं को या तो कोख में मार दिया जा रहा है अथवा कुछ वर्षों के भीतर मौत के मुँह में धकेल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की पूर्व कार्यकारी निदेशक शैलजा चंद्रा के मुताबिक इस कानून को लागू करना बेहद मुश्किल है।

दहेज(Dowry)

- a) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
- b) दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-एके अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है।
- c) धारा 406 के अन्तर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं।

- d) यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
- e) आज जीवन विलासी होता जा रहा है, जो सामान लड़के पहले 15-20 साल काम करके इकट्ठा कर पाते थे, वही सामान आज लड़के विवाह के समय बटोर लेना चाहते हैं। यह 'उपभोक्तावादी प्रवृत्ति' भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नितान्त विरुद्ध है। आज इन पवित्र परम्पराओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण दूषित होता जा रहा है। दहेज एक सामाजिक समस्या है जिसका उन्मूलन तभी हो सकता है जब हम संकल्पपूर्वक इसके विरुद्ध कदम उठाएं।
- f) दहेज से सम्बंधित किसी भी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को अपनी पहल पर कदम उठाने होंगे।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के महत्वपूर्ण प्रावधान (Provisions of Dowry Act, 1961)

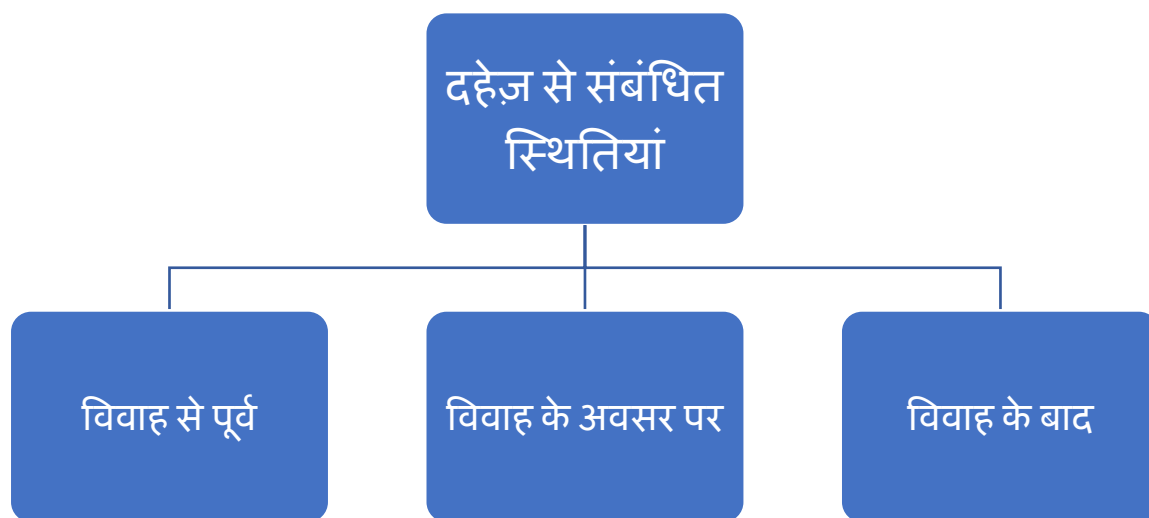
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 को दहेज (निषेध) अधिनियम संशोधन अधिनियम 1984 और 1986 के तौर पर संशोधित किया गया जिसमें दहेज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:-

“दहेज” का अर्थ, प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गयी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा या उसे देने की सहमति” है:-

- विवाह के एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को; या
- विवाह के किसी पक्ष के अभिभावकों द्वारा; या
- विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को;

- शादी के वक्त, या उससे पहले या उसके बाद कभी भी जो कि उपरोक्त पक्षों से संबंधित हो जिसमें मेहर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती, अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) लागू होता हो।

इस प्रकार दहेज से संबंधित तीन स्थितियां निम्नलिखित हैं:-



दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर या तो 6 महीने का अधिकतम कारावास है या 5000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ता है। वधु के माता-पिता या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर भी यही सजा दी जाती है। बाद में संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सजाओं को भी बढ़ाकर न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम दस साल की कैद की सजा तय कर दी गयी है। वहीं जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपये या ली गयी, दी गयी या मांगी गयी दहेज की रकम, दोनों में से जो भी अधिक हो, के बराबर कर दिया गया है। हालाँकि अदालत ने न्यूनतम सजा को कम करने का फैसला किया है लेकिन ऐसा करने के लिए अदालत को जरूरी और विशेष कारणों की आवश्यकता होती है। (दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा '3' और '4' के अनुसार)

घरेलू हिंसा (Domestic Violence)

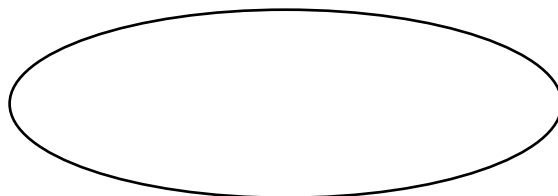
महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस अधिनियम की शुरुआत साल 2005 में हुई और 26 अक्टूबर 2006 को इसे लागू किया गया। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए मंत्रालय द्वारा जोन अनुसार आठ संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह अधिकारी पूरी जांच पड़ताल के बाद प्रकरण को न्यायालय भेजते हैं।

यह अधिनियम उन सभी महिलाओं के लिए है जो अपने घरों में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं। इसमें कई प्रकार की हिंसा शामिल है जैसे किसी महिला को अपशब्द कहना, या किसी प्रकार की रोकटोक और मारपीट करना आदि।

इस अधिनियम के तहत महिलाएं हर उस पुरुष के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं जो उनके साथ हिंसा करता है। इसमें महिलाओं का हर रूप मां, भाभी, बहन, पत्नी, किशोरियों को शामिल किया गया है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं के हर रूप मां, भाभी, बहन, पत्नी व महिलाओं के हर रूप और किशोरियों से संबंधित प्रकरणों को शामिल किया जाता है।

- हिंसा के कारण

एक पुरुष किसी महिला पर अनके तरीकों से नियंत्रण करने की कोशिश करता है। मार-पिटार्ई उनमें से केवल एक तरीका है। ये सभी तरीके महिला को चोट पहुंचा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि नीचे बनाया हुआ चक्र एक पहिया है।



शक्ति व नियंत्रण इस पहिये के केंद्र में हैं क्योंकि ये सभी कार्य कलापों की जड़ें हैं। पहिये का हर भाग एक व्यवहार को दर्शाता है जिसका प्रयोग एक हिंसक पुरुष, एक महिला को नियंत्रित करने के लिए करता है। हिंसा

इस पहिने की परिधि (रिम) है जो एक साथ रखती है और उसे शक्ति प्रदान करती है। आमतौर पर एक प्रकार की प्रताड़ना, दूसरे हिंसा- प्रकार में बदल जाती है अनेक मामलों में मौखिक शाब्दिक प्रताड़ना थोड़े समय के बाद शारीरिक- प्रताड़ना में बदल जाती है इसकी शुरुआत पत्नी द्वारा प्राप्त दहेज है, दहेज लाने से शुरू होकर यह एक शाब्दिक प्रताड़ना, फिर दूसरे, शारीरिक हिंसा में बदल जाती है। उसे त्योहारों, उत्सवों तथा बिमारियों जैसे अवसरों पर अपने मायके जाने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। इस प्रकार का घुटन वाला व्यवहार, शारीरिक पिटाई से भी अधिक दर्दनाक बन जाता है।

- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा '3' के अंतर्गत घरेलू-हिंसा को बहुत विस्तृत परिभाषा दी गई है। निम्नलिखित कार्य घरेलू हिंसा की परिभाषा में आते हैं:-
 - a) शारीरिक-हिंसा (**Physical violence**)- कोई ऐसा कार्य या आचरण जो महिला शारीरिक पीड़ा, स्वास्थ्य या शरीर को खतरा या महिला के स्वास्थ्य या शारीरिक विकास को हानि पहुँचाता है वो महिला का शारीरिक हिंसा माना जायेगा। महिला के ऊपर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग भी शारीरिक-हिंसा माना जायेगा। उदाहरण स्वरूप-महिला के साथ मारपीट करना, बीमार महिला का इलाज न करवाना इत्यादि।
 - b) लैंगिक हिंसा (**Gender Violence**)- कोई ऐसा कार्य या आचरण तो लैंगिक तरीके से महिला का अपमान या तिरस्कार करता हो अथवा महिला की गरिमा को हानि पहुँचाता हो वो लैंगिक-हिंसा माना जायेगा। जबरन सम्भोग और वैवाहिक-बालात्कार भी 'लैंगिक हिंसा' के दायरे में आयेंगे।
 - c) मौखिक और भावनात्मक हिंसा (**Oral and Emotional Violence**)- महिला का अपमान या उपहास या तिरस्कार करना और लड़का या संतान न होने को लेकर अपमान करना या उपहास करना मौखिक और भावनात्मक हिंसा माना जायेगा। महिला से गाली गलौज करना, अभद्र-भाषा का प्रयोग करना या उसके रिश्तेदारों को नुकसान पहुँचाने की धमकी देना भी इस दायरे में आएगा।

d) आर्थिक दुरुपयोग (Economic Misuse)- किसी भी वित्तीय या आर्थिक संसाधन जिसकी महिला कानूनन रूप से हकदार है या स्त्रीधन या संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति इत्यादि से महिला को वंचित करना आर्थिक हिंसा माना जायेगा। आसान शब्दों में समझा जाए तो कोई भी ऐसी संपत्ति जिस में महिला का मालिकाना हक हो उसे बेचना या महिला का मालिकाना हक समाप्त करना भी इसी दायरे में आएगा। ऐसे किसी संसाधन या सुविधा से महिला को वंचित करना या इस्तेमाल में बाधा उत्पन्न करना जिसके इस्तेमाल के लिए महिला हकदार है, ऐसे कार्य भी इसी दायरे में आते हैं। उदाहरण स्वरूप- साड़ी गृहस्थी में महिला को पानी, बिजली इत्यादि के उपयोग से रोकना। दहेज की मांग- दहेज या किसी मूल्यवान संपत्ति की गैर कानूनी मांग करना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। इस सम्बन्ध में महिला को क्षति पहुँचाना या उत्पीड़न करना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। इस सम्बन्ध में महिला के रिश्तेदारों को धमकाने की दृष्टि से महिला का उत्पीड़न करना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है।

तलाक (Divorce)

यह कानूनी कार्रवाई द्वारा विवाह की समाप्ति है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि आधिकारिक तौर पर आपकी शादी खत्म हो रही है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे के जीवन से बाहर जाना चाहता है, तब भी उसके पास उनके साथी के जीवन की जिम्मेदारी बनी रहती है।

भारत में तालाक की प्रक्रिया या तलाक लेने के नियम **(Talak ke Niyam)**

निम्नलिखित दो प्रक्रियाएँ हैं जिनमें तालाक को मंजूरी दी जा सकती है।

- i. आपसी सहमति से तालाक (Divorce by Mutual Consent)
- ii. भारत में कंटेस्टेड तालाक (Contested Divorce)

i) आपसी सहमति से तालाक (Divorce by Mutual Consent)

आपसी सहमति से तलाक तब दायर किया जा सकता है जब पति और पत्नी कम से कम एक साल से अलग रह रहे हों और उन्होंने अपनी शादी को खत्म करने का निर्णय किया हो। उन्हें दिखाना होगा कि एक साल के दौरान वे पति-पत्नी के रूप में नहीं रह पाए। आपसी सहमति से तालाक तब होता है जब पति और पत्नी दोनों शांतिपूर्ण तरीके से विवाह को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं।

दो मुख्य पहलू हैं जिनमें पति और पत्नी को आम सहमति तक पहुंचना होता है।

- i. पहला एलिमनी या मेंटेनेंस मुद्दा है। कानून के अनुसार मेंटेनेंस की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। यह किसी भी आंकड़े का हो सकता है।
- ii. दूसरा मुद्दा बच्चे की कस्टडी का है। यह संयुक्त या सिर्फ एक व्यक्ति का भी हो सकता है जो पति और पत्नी के निर्णय पर निर्भर करता है।

तालाक को एक पारिवारिक न्यायालय या एक जिला अदालत में दायर किया जाना चाहिए। हिंदू विवाह की धारा '13 बी' के तहत आपसी सहमति से तलाक दायर किया जाता है। जब इसे अदालत में दायर किया जाता है तो आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए छह महीने की अवधि दी जाती है। अगर न्यायालय देखता है कि इसे हल करना मुश्किल है तो इस अवधि में छूट दी जा सकती है। इसके बाद दूसरा प्रस्ताव दायर किया जाता है और अदालत तालाक को पुष्टि देती है।

अदालत द्वारा लगभग 18 से 24 महीने में तालाक की अनुमति दी जाती है लेकिन पति-पत्नी इस 18 महीने की अवधि के दौरान तलाक की याचिका को वापस ले सकते हैं और फिर अदालत द्वारा कोई तालाक नहीं दिया जाएगा। तालाक की याचिका एक हलफनामे के रूप में होती है जिसे परिवार द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया जाता

है। याचिका दायर करने और दोनों व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत उस मामले को 6 महीने के लिए देखती है।

इस छह महीने के बाद दोनों खुद को अदालत में पेश करते हैं और दूसरी गति की पुष्टि करते हैं। पूरी प्रक्रिया के लिए याचिका दाखिल करने की तारीख के बाद आपसी सहमति याचिका दायर करने तक छह महीने से एक साल तक का समय अदालत में फैसला देने से लेकर लगता है।

ii) भारत में कंटेस्टेड तलाक (Contested Divorce in India)

जैसा कि नाम ही बताता है कि आपको तालाक के लिए संघर्ष करना होगा। इसमें पति-पत्नी एक समझौते पर या एक या अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी शादी को समाप्त करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। तालाक तब दायर किया जाता है जब पति या पत्नी में से कोई एक अपनी सहमति के बिना तालाक लेने का फैसला करता है। यह तालाक अदालत में वकील की मदद से दायर किया जाता है। अदालत दूसरे को तालाक का नोटिस भेजती है।

भारत में कंटेस्टेड तलाक की प्रक्रिया (Process of Contested Divorce in India)

तालाक-प्रक्रिया में पहला कदम तालाक के लिए एक वकील को नियुक्त करना है जो आपके पक्ष में है और अदालत के सामने आपकी रुचि का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में तालाक की अर्जी दाखिल करने के लिए वकील को तालाक की याचिका के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:--

- आयकर विवरण
- जीवनसाथी का विवरण प्रमाण
- उनके व्यवसायों का विवरण
- संपत्ति का स्वामित्व

एक बार जब आपकी तालाक की याचिका अदालत में दायर की जाती है तो न्यायालय पति या पत्नी की याचिका पर सुनवाई करेंगे। तलाक का नोटिस आपके जीवनसाथी को भेजा जायेगा। यदि आप अपने पति या पत्नी का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं तो स्थानीय समाचार पत्र में एक नोटिस प्रकाशित किया जाएगा या आपको तालाक से आगे बढ़ने से पहले कुछ समय तक इंतजार करना होगा। यदि आपका पति इस समय में जवाब नहीं देता है तो वह डिफॉल्टर के रूप में दर्ज हो जाता है।

भारत में तालाक से संबंधित निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है जैसे कि:--

a) **मेंटेनेंस (Maintenance)**

पत्नी खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए एक मेंटेनेंस याचिका दायर कर सकती है जब वह उसे आर्थिक रूप से समर्थन करने में सक्षम नहीं होती है। यह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर किया जा सकता है। अदालत पति के वेतन, उसके रहने के खर्च, उसके आश्रितों आदि जैसे मुद्दों पर विचार करने के बाद पत्नी का मेंटेनेंस तय करती है।

b) **चाइल्ड कस्टडी (Child Custody)**

चाइल्ड कस्टडी की एक याचिका वकीलों में से किसी एक द्वारा दायर की जा सकती है। अदालत बच्चे की उम्र के अनुसार कस्टडी प्रदान करती है और जो बच्चे के पक्ष में है उसे ही माना जाता है।

c) **साथ में ली गयी प्रॉपर्टी का बंटवारा (Division of Joint Property)** साथ में खरीदी गयी संपत्ति का बंटवारा वकील की मदद से किया जाता है।

d) **अन्य चीजें (Other Matters)**

यदि घरेलू हिंसा के मामले में तलाक की याचिका दायर की जाती है तो पत्नी, पति के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कर सकती है। पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है और शिकायत के वास्तविक होने पर पति के खिलाफ अलग आपराधिक मुकदमा शुरू होगा।

e) तालाक में महिलाओं के अधिकार (**Women Rights during Divorce**)

हिंदू दत्तक और अनुरक्षण अधिनियम के तहत 1856 की धारा 18 के अनुसार यदि वह क्रूरता, चालबाजी का दोषी है या उसे वेनेरेअल (VENEREAL) की बीमारी है। एक हिंदू पत्नी अपने पति से मेंटेंनेंस का दावा कर सकती है।

7.4 अपनी प्रगति जांचें (**Check Your Progress**)

अधिगम सम्बंधित क्रियाकलाप

रिक्त स्थान भरें:--

a) महिलाओं के लिए का मतलब गरीब महिलाओं को क्रेडिट सहायता या माइक्रो-फाइनेंस की सुविधा देना है।

b) शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों को विशेष कवरेज देने के उद्देश्य से यह योजना 1975 में शुरू हुई थी।

c) महिलाओं और बच्चों के लिए को लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर, विशेषकर जमीनी स्तर पर स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है।

d) उद्देश्य माता-पिता के बच्चों (0-5 वर्ष) को दिन देखभाल सेवाएं प्रदान करना है, जिनकी आय 1,800 रुपये प्रति माह

से अधिक नहीं है।

e) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना..... की गई।

f) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वाराकी शुरुआत 1983 में की गई।

g) अदालत पति के वेतन, उसके रहने के खर्च, उसके आश्रितों आदि जैसे मुद्दों पर विचार करने के बाद पत्नी कातय करती है।

h) भारत मेंअत्यधिक बढ़ रही है। कन्या भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है।

i) “दहेज” का अर्थ हैतौर पर दी गयी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा या उसे देने की सहमति”

j) अदालत बच्चे की उम्र के अनुसारप्रदान करती है और जो बच्चे के पक्ष में है उसे ही माना जाता है।

कृपया उत्तर की पड़ताल पाठ के अंतिम हिस्से 7.8 में करें।

7.5 सारांश (Summary)

महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक शाखा है जो भारत में महिलाओं और बाल विकास से संबंधित नियमों और विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की वर्तमान मंत्री श्रीमति मेनका गांधी है। महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई थी ताकि महिलाओं और

बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक प्रेरणा प्रदान की जा सके। 30.01.2006 से प्रभावी होने के साथ, विभाग को मंत्रालय में अपग्रेड कर दिया गया है।

- मंत्रालय का व्यापक जनादेश महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास करना है।
- महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में मंत्रालय योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करता है।
- अधिनिर्णय / कानून में संशोधन करता है, महिला और बाल विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संगठनों के प्रयासों का मार्गदर्शन और समन्वय करता है।
- इसके अलावा अपनी नोडल भूमिका निभाते हुए, मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ नवीन कार्यक्रमों को लागू करता है।
- ये कार्यक्रम कल्याण और सहायता सेवाओं, रोजगार और आय सृजन के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन और लिंग संवेदीकरण को कवर करते हैं।
- ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में अन्य सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए एक पूरक और पूरक भूमिका निभाते हैं।

इन सभी प्रयासों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाए और इस तरह पुरुषों के साथ राष्ट्रीय विकास में बराबर भागीदार बनाया जाए।

7.6 सूचक शब्द (Keywords)

- वंचित: ठगा हुआ, धोखा खाया हुआ।
- पुनर्वास: फिर से बसना, फिर से बसाना, आबाद करना

- स्वयंसिद्धा: सर्वमान्य अर्थात् जिस बात के लिए किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता न हो। जिसे सब लोग माने और अधिक तर्क वितर्क न करें।
- रैन बसेरा: वह स्थान जहाँ रहकर यात्री रात बिताते हैं, मार्ग में टिकने की जगह।
- लिंग संवेदीकरण: लिंग संवेदीकरण एक आम संदर्भ है, तयशुदा तौर पर सामाजिक सिद्धांतों की ओर इंगित करते हुए कुछ दावानुमा व्यक्तव्य तक सीमित।
- विकासात्मक: उन्नतिशील, विकास की प्रक्रिया से संबंधित, या विशेषता वैडिंग
- हस्तशिल्प: हाथों से किया गया काम।
- मेंटेनेंस: रखरखाव, अनुरक्षण, जीविका, बचाव, पालन पोषण
- कस्टडी: संरक्षण

7.7 स्व-मूल्यांकन हेतु प्रश्न (Self-Assessment Questions) (SAQs)

निम्नलिखित प्रश्नों के यथासंभव उत्तर दीजिये:--

- बाल विकास सेवा योजना (सीडीएस) से आप क्या समझते हैं?
- केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई?
- महिला और बाल विभाग की योजनाएँ कौन-कौन सी हैं? संक्षिप्त नोट लिखें।
- सड़क पर रहने वाले बच्चों को जीवन और उनका पुनर्वास हेतु नोट लिखें।
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का वर्णन करें।

7.8 अपनी प्रगति की जाँच करने के लिए उत्तर दें (Answers to Check Your Progress)

a) राष्ट्रीय क्रेडिट फंड

b) बाल विकास सेवा योजना

c) कल्याणकारी गतिविधियों

d) क्रेच / डे केयर सेंटर

e) 1953 में

f) परिवार परामर्श केंद्र

g) मेंटेनेंस

h) भ्रूण हत्याएं

i) प्रत्यक्ष या परोक्ष

j) कस्टडी

7.9 सन्दर्भ ग्रन्थ/निर्देशित पुस्तकें (References/ Suggested Readings)

<http://www.wcdhry.gov.in>

Subject : Sociology (Social Problems in India)	
Course Code : SOCL 202	Author : Dr. Shakuntla Devi
Lesson No. : 08	Updated By: self
एड्स/ एचआईवी और निदान (AIDS / HIV and Solutions)	

अध्याय की संरचना

8.0 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

8.2 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

8.2.1 एड्स का अर्थ और परिभाषा (Meaning and Definition of AIDS)

8.2.2 एड्स होने के कारण (Causes of AIDS)

8.2.3 एड्स के लक्षण (Symptoms of AIDS)

8.2.4 एड्स का उपचार (Treatment of AIDS)

8.3 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further Main Body of the Text)

8.3.1 एड्स से बचाव (Prevention of AIDS)

8.3.2 एड्स के विषय में गलतफहमियां (Doubts about AIDS)

8.3.3 एड्स / एचआईवी के बारे में कुछ तथ्य और मिथक (Some Facts and Myths regarding AIDS/HIV)

8.3.4 एड्स के सरल उपाय और निदान (Simple Measures to treat AIDS)

8.4 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)**8.5 सारांश (Summary)****8.6 सूचक शब्द (Keywords)****8.7 स्व-मूल्यांकन हेतु प्रश्न (Self-Assessment Questions) (SAQs)****8.8 अपनी प्रगति की जाँच करने के लिए उत्तर देखें (Answers to check your progress)****8.9 सन्दर्भ ग्रन्थ/निर्देशित पुस्तकें (References/ Suggested Readings)****8.0 अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)**

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद, आप निम्न में सक्षम हो सकेंगे:--

- एड्स का अर्थ और परिभाषा, एड्स होने के कारण, एड्स के लक्षण जानेंगे और समझेंगे।
- एड्स का उपचार, एड्स से बचाव के विषय में पढ़ेंगे।
- एड्स से बचाव के सरल उपाय और निदान करेंगे।

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

एड्स नाम अपने आप में भयावह और दर्दनाक एहसास दिला देता है। बीमारियाँ वैसे तो बुरी होती हैं पर एड्स को बीमारी ही नहीं बल्कि कई जानलेवा बीमारियों का जरिया कहना गलत नहीं होगा। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति जीने की उम्मीद खोकर मरने की राह देखने लगता है। इसलिए हम सभी को एड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए।

आपको जानना होगा कि कुछ लोगों में एचआईवी संक्रमण के बाद कई महीनों तक बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते। दरसल, एड्स एचआईवी वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। यह तब होता है जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने में कमजोर पड़ जाता है। और तब विकसित होता है, जब एचआईवी

इंफेक्शन बहुत अधिक बढ़ जाता है। एड्स एचआईवी इंफेक्शन का अंतिम चरण होता है। जब शरीर स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता और शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ, संक्रमण हो जाते हैं एचआईवी शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता पर आक्रमण करता है। जिसका काम शरीर को संक्रामक बीमारियों जो कि जीवाणु और विषाणु से होती , से बचाना होता है। एचआईवी (HIV) रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसीका-कोशो पर हमला करता है। ये पदार्थ मानव को जीवाणु और विषाणु जनित बीमारियों से बचाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। जब एचआईवी (HIV) द्वारा आक्रमण करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षय होने लगती है तो इस सुरक्षा कवच के बिना एड्स पीड़ित लोग भयानक बीमारियों क्षय रोग और कैंसर आदि से पीड़ित हो जाते हैं। और शरीर को कई अवसरवादी संक्रमण यानि आम सर्दी जुकाम, फुफ्फुस प्रदाह इत्यादि घेर लेते हैं। जब क्षय और कर्क/कैंसर रोग शरीर को घेर लेते हैं तो उनका इलाज करना कठिन हो जाता है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है।

अभी तक एचआईवी या एड्स के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। हालाँकि सही उपचार और सहयोग से एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति लम्बा और स्वस्थ जीवन जी सकता है। और ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि उचित उपचार लिया जाए और किसी भी संभावित दुष्परिणाम से निपटा जाए। अगर एक सामान्य व्यक्ति एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के वीर्य, योनि स्राव अथवा रक्त के संपर्क में आता है तो उसे एड्स हो सकता है। आमतौर पर लोग एच.आई.वी. पॉजिटिव होने को एड्स समझ लेते हैं जो कि गलत है। बल्कि एचआईवी पॉजिटिव होने के 8-10 साल के अंदर जब संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है तब उसे घातक रोग घेर लेते हैं और इस स्थिति को एड्स कहते हैं।

8.2 अध्याय के मुख्य बिंदु (Main Points of the Text)

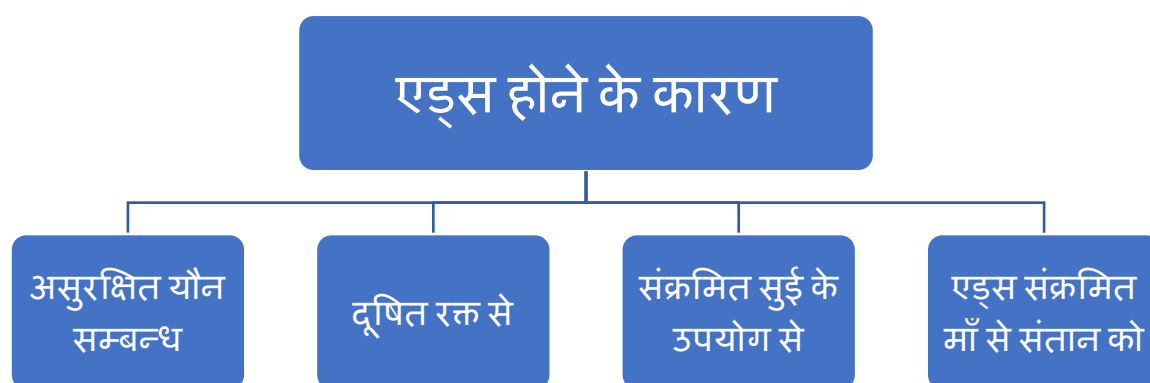
8.2.1 एड्स का अर्थ और परिभाषा (Meaning and Definitions of AIDS)

एड्स का पूरा नाम 'एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम' (acquired immune deficiency syndrome) है और यह एक तरह के विषाणु जिसका नाम HIV (Human Immunodeficiency virus) है, से फैलती है।

एचआईवी (मानव इम्यूनोडिफिसिएन्सी वायरस) संक्रमण का अंतिम चरण एड्स (अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम) है। एक बार जब आपको एचआईवी संक्रमण हो जाता है, तो आपके पास यह जीवन भर के लिए होता है लेकिन यह सभी लोगों में एड्स प्रगति नहीं करता है। एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी उपचार (एआरटी) के साथ कई लोग एचआईवी संक्रमण के साथ एक सामान्य जीवन प्रत्याशा जी सकते हैं।

8.2.2 एड्स होने के कारण (Causes of AIDS)

एड्स होने के कारण निम्नलिखित/ निम्नचित्रित हैं:--



चित्र-8.1

8.2.3 एड्स के लक्षण (Symptoms of AIDS)

एच.आई.वी से संक्रमित लोगों में लम्बे समय तक एड्स के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। लंबे समय तक (3, 6 महीने या अधिक) एच.आई.वी. का भी औषधिक परीक्षण से पता नहीं लग पाता। अधिकतर एड्स के मरीजों को सर्दी, जुकाम या विषाणु बुखार हो जाता है पर इससे एड्स होने का पता नहीं लगाया जा सकता। एचआईवी

वायरस का संक्रमण होने के बाद उसका शरीर में धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। जब वायरस का संक्रमण शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है उस समय बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। एड्स के लक्षण दिखने में आठ से दस साल का समय भी लग सकता है। ऐसे व्यक्ति को, जिसके शरीर में एच.आई.वी. वायरस हों पर एड्स के लक्षण प्रकट न हुए हों, उसे एचआईवी पॉसिटिव कहा जाता है। पर ध्यान रहे ऐसे व्यक्ति भी एड्स फैला सकते हैं।

एड्स के शुरूआती लक्षण निम्नलिखित प्रकार से हैं:--

- वजन का काफी हद तक काम हो जाना
- लगातार खांसी आना
- बार-बार जुकाम होना
- बुखार
- सिरदर्द
- थकान
- शरीर पर निशान बनना (फंगल इन्फेक्शन के कारण)
- हैजा
- भोजन से मन हटना
- लसीकाओं में सूजन

उपलिखित लक्षण अन्य सामान्य रोगों के भी हो सकते हैं। अतः एड्स की निश्चित रूप से पहचान केवल और केवल औषधीय परीक्षण से ही की जा सकती है व केवल औषधीय परीक्षण से ही की जानी चाहिये। एचआईवी

की उपस्थिति का पता लगाने हेतु मुख्यतः एंजाइम लिंकड इम्यूनोएब्जॉर्बेंट एसेस यानि एलिसा टेस्ट करवाना चाहिए।

8.2.4 एड्स का उपचार (Treatment of AIDS)

एड्स के उपचार में एंटी रेट्रोवाइरल थेरपी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इन दवाइयों का मुख्य उद्देश्य एच.आई.वी. के प्रभाव को कम करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना और अवसरवादी रोगों को ठीक करना होता है। समय के साथ-साथ वैज्ञानिक एड्स की नई-नई दवाइयों की खोज कर रहे हैं। लेकिन सच कहा जाए तो एड्स से बचाव ही एड्स का सर्वोत्तम इलाज है।

8.3 पाठ का आगे का मुख्य भाग (Further main Body of the Text)

8.3.1 एड्स से बचाव (Prevention of AIDS)

एड्स से बचाव के लिए सामान्य व्यक्ति को एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति के वीर्य, योनि स्राव अथवा रक्त के संपर्क में आने से बचें। साथ ही साथ एड्स से बचाव के लिए बताई गई कुछ निम्नलिखित सावधानियां भी बरतें।

- पीड़ित साथी या व्यक्ति के साथ यौन सम्बन्ध न स्थापित करने से बचें और अगर करें भी तो सावधानीपूर्वक कंडोम का इस्तेमाल करें। लेकिन कई बार कंडोम इस्तेमाल करने में भी कंडोम के फटने का खतरा रहता है। इसलिए एक से अधिक व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें।
- खून को अच्छी तरह जांचकर ही चढ़ाएं। कई बार बिना जांच के खून मरीज को चढ़ा दिया जाता है जोकि खतरनाक है। इसलिए खून चढ़ाने से पहले पता करें कि कहीं खून एच.आई.वी. दूषित तो नहीं है।
- उपयोग की हुई सुईओं या इंजेक्शन का प्रयोग न करें क्योंकि ये एच.आई.वी. संक्रमित हो सकते हैं।
- दाढ़ी बनवाते समय हमेशा नाई से नया ब्लेड उपयोग करने के लिए कहें।

एड्स की इन जानकारियों के साथ ही जरूरी हम एड्स के बारे में फैली हुई गलतफहमियों से वाकिफ रहें।

8.3.2 एड्स के विषय में गलतफहमियां (Doubts about AIDS)

कई लोग समझते हैं कि एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ खाने, पीने, उठने, बैठने से एड्स हो जाता है। जो कि पूरी तरह गलत है। ऐसी भ्रांतियों से बचें। हकीकत में रोजमर्रा के सामाजिक संपर्कों से एच.आई.वी. नहीं फैलता जैसे कि:-

- पीड़ित के साथ खाने-पीने से
- बर्तनों की साझादारी से
- हाथ मिलाने या गले मिलने से
- एक ही टॉयलेट का प्रयोग करने से
- मच्छर या अन्य कीड़ों के काटने से
- पशुओं के काटने से
- खांसी या छींकों से
- बताई गई बातों को समझकर सावधानी बरतें और पीड़ित व्यक्ति रेगुलर इलाज करवाएं।

भारत में 2010 के बाद से एचआईवी संक्रमण के नए मामलों की संख्या में 46 फीसदी की कमी आई है और एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियेंसी सिन्ड्रोम) के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भी 22 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। चिकित्सकों का कहना है कि कुछ सरल उपाय अपनाकर इस बीमारी पर लगाम लगाई जा सकती है।

नोएडा स्थित जेपी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसप्लूजन मेडिसिन, हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ प्रशांत पाण्डे के अनुसार, एड्स, एचआईवी के कारण होता है। इस सिन्ड्रोम

में शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है जिससे व्यक्ति बड़ी आसानी से किसी भी संक्रमण या अन्य बीमारी की चपेट में आ जाता है। सिन्ड्रोम के बढ़ने के साथ लक्षण और गंभीर होते चले जाते हैं।

8.3.3 एड्स / एचआईवी के बारे में कुछ तथ्य और मिथक (Some Facts and Myths regarding AIDS/HIV) एड्स / एचआईवी के बारे में उदहारण के लिए कुछ तथ्य और मिथक निम्नलिखित हैं:--

i. तथ्य (Fact)

“कैजुअल कॉन्टैक्ट से एचआईवी फैलना मुश्किल है”

एचआईवी आकस्मिक संपर्क, हवा, पानी, साझा करने वाले व्यंजन, टॉयलेट सीट या लार से नहीं फैलता है। वायरस शरीर के बाहर लंबे समय तक नहीं रह सकता है। एचआईवी रक्त, वीर्य और स्तन के दूध सहित शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है और असुरक्षित यौन संबंध, और सुइयों को साझा करके रोग फैलाना संभव है। आमतौर पर, एचआईवी को स्तन के दूध, रक्त आधान (यह दुर्लभ है क्योंकि यू.एस. में रक्त की आपूर्ति सावधानी से जांच की जाती है) के माध्यम से पारित किया जा सकता है, और एचआईवी-दूषित सुई या वस्तु के साथ एच.आई.वी. संक्रमित संभव हो सकता है।

ii. मिथ (Myth)

“तुम जीने के लिए कुछ साल ही है”

एड्स महामारी की शुरुआत में, जीवन प्रत्याशा केवल कुछ साल थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है। नई दवाओं और उपचारों ने एचआईवी वाले लोगों का जीवन बढ़ाया है और कई लोग सामान्य जीवन अवधि जी सकते हैं। शुरुआती हस्तक्षेप से आप एचआईवी को एड्स बनने से रोक सकते हैं।

iii. मिथ (Myth)

“आपको पता चलेगा कि आपके लक्षणों के कारण आपको एचआईवी है”

एचआईवी से संक्रमित होने पर हर किसी के लक्षण नहीं होते हैं। एचआईवी संक्रमित होने के 2 से 4 सप्ताह के भीतर कई लोगों में फलू जैसे लक्षण होते हैं, जिन्हें "एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम" (ARS) या "प्राथमिक एचआईवी संक्रमण" कहा जाता है। लक्षण बुखार, सूजन ग्रंथियों, गले में खराश, दाने, थकान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और सिरदर्द शामिल हो सकते हैं। लक्षण कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक रह सकते हैं। हालांकि ये लक्षण कई अन्य संक्रमणों से मिलते जुलते हैं और यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि क्या आप एचआईवी से संक्रमित हैं या नहीं।

iv. मिथ (Myth)

“एचआईवी ठीक हो सकता है”

ऐसी कोई दवा नहीं है जो एचआईवी संक्रमण को ठीक कर सकती है, लेकिन ऐसे उपचार हैं जो वायरस को नियंत्रित करने और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बचाने में मदद कर सकते हैं, और संभवतः एचआईवी को एड्स बनने से रोक सकते हैं। अभी एचआईवी दवाओं के पांच अलग-अलग "वर्ग" हैं, और वर्तमान सिफारिशें मरीजों को दो अलग-अलग वर्गों से तीन अलग एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स लेने के लिए हैं।

v. तथ्य (Fact)

“किसी को भी एचआईवी हो सकता है”

रोग नियंत्रण केंद्र (सीडीसी) का अनुमान है कि 13 वर्ष की आयु के 1.1 मिलियन लोग और एचआईवी से संक्रमित हैं और 2014 में 44,000 लोग नए संक्रमित हैं। कोई भी व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हो सकता है। 2010 में, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों ने 67% नए संक्रमणों के लिए जिम्मेदार थे, और महिलाओं ने 19% नए संक्रमणों के लिए जिम्मेदार थे। अफ्रीकी-अमेरिकियों के बीच एचआईवी की घटना गोरों की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक है।

vi. तथ्य (Fact)

“एचआईवी पॉजिटिव होने वाली गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों को एचआईवी वायरस पास करा सकती हैं।” यह गर्भावस्था के दौरान, योनि प्रसव के दौरान, या स्तनपान करते समय हो सकता है। हालांकि, अगर गर्भावस्था के दौरान मां एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं से उपचार प्राप्त करती है, तो सी-सेक्शन डिलीवरी होती है, और स्तनपान से बचाती है, तो वह अपने बच्चे को संक्रमण से गुजरने के जोखिम को कम कर सकती है।

vii. मिथ (Myth)

“एचआईवी वाले लोग अवसरवादी संक्रमण के प्रति संवेदनशील होते हैं।” इनमें तपेदिक, निमोनिया, सेप्टिसीमिया (रक्त विषाक्तता), कैंडिडिआसिस, दाद, साइटोमेगालोवायरस और कुछ एचआईवी से जुड़े कैंसर जैसे कि कपोसी के सार्कोमा, लिम्फोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा शामिल हैं। एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी उपचार आपके सीडी 4 कोशिकाओं को बढ़ाकर इन अवसरवादी संक्रमणों के जोखिम को कम कर सकता है। दवाओं के साथ अन्य संक्रमणों को रोका जा सकता है।

8.3.4 एड्स के सरल उपाय और निदान (Simple Measures to prevent and treat AIDS)

निम्नलिखित उपाय अपनाकर इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है जैसे:-

- बॉडी फ्लूड से बचें: किसी भी अन्य व्यक्ति के खून या अन्य बॉडी फ्लूड से दूर रहें, अगर आप इसके संपर्क में आते हैं, तो त्वचा को तुरंत अच्छी तरह धोएं। इससे संक्रमण की संभावना कम हो जाती है।
- ड्रग्स के इन्जेक्शन और नीडल शेयर करना: कई देशों में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज को शेयर करना एचआईवी फैलने का मुख्य कारण माना जाता है। यह एचआईवी के अलावा हेपेटाइटिस का भी कारण है। इसलिए हमेशा साफ और नई नीडल ही इस्तेमाल करें।

- गर्भावस्था: एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला से उसके बच्चे में एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा स्तनपान कराने से भी एचआईवी का वायरस बच्चे में जा सकता है। हालांकि, अगर मां उचित दवाइयां ले रही है तो यह संभावना कम हो जाती है।
- खून चढ़ाने/ रक्ताधान के दौरान सुरक्षा बरतना: स्वयं सेवी रक्तदाताओं के खून की एनएटी जांच के बाद किसी को खून देना एचआईवी को फैलने से रोकने का सुरक्षित तरीका है।
- दवाइयों का सेवन ठीक से न करना: एचआईवी के मामले में डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयां लेना जरूरी है, अगर आप कुछ खुराकें छोड़ देते हैं तो इलाज में रुकावट आ सकती है इसलिए पूरी खुराक लें। एचआईवी से पीड़ित लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करें, सेहतमंद आहार लें और धूम्रपान न करें। साथ ही नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलते रहें।

8.4 अपनी प्रगति जांचें (Check Your Progress)

अधिगम सम्बंधित क्रियाकलाप

निम्न वाक्यों के समक्ष “T/F” लिखें

- एचआईवी आकस्मिक संपर्क, हवा, पानी, साझा करने वाले व्यंजन, टॉयलेट सीट या लार से नहीं फैलता है।
- जांच के बाद किसी को खून देना एचआईवी को फैलने से रोकने का सुरक्षित तरीका है।
- किसी भी अन्य व्यक्ति के खून या अन्य बॉडी फ्लूड से दूर रहें।
- हम सभी को एड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए।
- एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला से उसके बच्चे में एचआईवी का

संक्रमण हो सकता है।

vi) "कैजुअल कॉन्टैक्ट से एचआईवी फैलना मुश्किल है"

vii) एचआईवी (मानव इम्यूनोडिफेंसिअन्सी वायरस) संक्रमण का अंतिम चरण एड्स (अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम) है।

कृपया उत्तर की पड़ताल पाठ के अंतिम हिस्से 8.8 में करें।

8.5 सारांश (Summary)

आप ने जाना कि कुछ लोगों में एचआईवी संक्रमण के बाद कई महीनों तक बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते। हालांकि 80 फीसदी मामलों में दो से छह सप्ताह के भीतर फ्लू जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इसे एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम कहा जाता है। एचआईवी संक्रमण के लक्षण- बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पसीना आना (खासतौर पर रात में), ग्रंथियों का आकार बढ़ना, त्वचा पर लाल रैश, थकान, बिना किसी कारण के वजन में कमी हैं। इसके निदान के बारे में बताते हुए डॉ. प्रशांत पाण्डे ने कहा, "एचआईवी का निदान ब्लड टेस्ट स्क्रीनिंग की मदद से किया जाता है। अगर इसमें एचआईवी पाया जाए तो टेस्ट का परिणाम 'पॉजिटिव' होता है। 'पॉजिटिव' परिणाम देने से पहले खून की कई बार जांच की जाती है"। यह भी कहा जाता है, "एचआईवी वायरस का संक्रमण होने के बाद यह तीन सप्ताह से छह महीने के अंदर जांच में स्पष्ट होता है। जितनी जल्दी इसका निदान हो जाए, उतना ही इलाज की संभावना अधिक होती है। एचआईवी का पता लगने पर व्यक्ति को तनाव या अवसाद होना बेहद आम है। अगर कोई ऐसे लक्षणों से परेशान हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लें लेनी चाहिए।"

8.6 सूचक शब्द (Keywords)

- संक्रमण: रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने की क्रिया।

- निदान: कारण, रोग का कारण।
- अवसाद होना: अवसाद या डिप्रेशन का तात्पर्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोभावों संबंधी दुख से होता है।
- स्क्रीनिंग: प्रवेश करने से रोकें; नेटिंग से युक्त एक सुरक्षात्मक कवर।
- प्रतिरक्षा प्रणाली: कई प्रतिरोधक (बैरियर) जीवों को बीमारियों से बचाते हैं, इनमें यांत्रिक, रसायन और जैव प्रतिरोधक होते हैं।
- प्रतिरोधक क्षमता: शरीर की वह क्षमता जिससे वह किसी रोग या संक्रमण से बचा या अप्रभावित रहता है।

8.7 स्व-मूल्यांकन हेतु प्रश्न (Self-Assessment Questions) (SAQs)

- एड्स का अर्थ और परिभाषा दीजिए।
- शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना और अवसरवादी रोगों को ठीक करना होता है। संक्षिप्त उत्तर दें।
- एचआईवी का निदान से आप क्या समझते हैं?
- प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारणों का वर्णन करें।
- एड्स के लक्षण (Symptoms of AIDS) लिखें।

8.8 अपनी प्रगति की जाँच करने के लिए उत्तर देखें (Answers to check your progress)

निम्न वाक्यों के समक्ष “T/F” लिखें

उत्तर:

- i) T
- ii) T
- iii) T

iv) T

v) T

vi) T

vii) T

8.9 सन्दर्भ ग्रन्थ/निर्देशित पुस्तकें (References/ Suggested Readings)

- Sociology: An Introduction by Smelser, Neil, J., Wiley Eastern Private Limited
- Sociology: Principles of sociology with an Introduction to Social Thought by Shanker Rao C.N., S. Chand and Company.
- Samajshastra (Hindi), M.L.Gupta & D. D. Sharma, Sahitya Bhawan Publications, Agra

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.